


लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]



[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिंदी में दिये गये भाषाणों आदि का हिंदी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contain Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3, मंगलवार, 14 जून, 1977/24 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

No. 3 Tuesday, June 14, 1977/24 Jaistha 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 24, 26, 28 और 29	Starred Questions Nos. 21 to 24, 26, 28 and 29	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	18
तारांकित प्रश्न संख्या 25, 27 और 31 से 40	Starred Questions Nos. 25, 27 and 31 to 40.	18—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 176 से 375	Unstarred Questions Nos. 176 to 375	25—126
15 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6171 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण।	Statement Correcting Answer to U.S.—Q. No. 6171 dt. 15-4-75	126
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	127—128
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	128—130
भिलाई इस्पात संयंत्र की डाली रझाड़ा खानों के श्रमिकों पर पुलिस द्वारा कर्चित गोलीबारी करना	Reported police firing on workers of Dalli Rajhara mines of Bhilai Steel Plant	128
श्रीमति पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	128
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	128—130
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
प्रथम प्रतिवेदन :	First Report	131
रेल बजट, 1977—78—सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1977-78—General Discussion	131
श्री वशीर अहमद	Shri Bashir Ahmad	131—132
श्री पी० वी० वी० राजू	Shri P. V. G. Raju	133
श्री एस० ननजेश गौडा	Shri S. Nanjesh Gowda	133
श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	133—135
श्री यू० एस० पाटिल	Shri U. S. Patil	135—136
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Paravathi Krishnan	136—137

किसी नाम पर अंकित यह * इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign * marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

श्रीमति रेणुका देवी बरकटकी	Shrimati Renuka Devi Barkataki	137—139
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	139—140
श्री राम चन्द्र मलिक	Shri Ram Chandra Mallick	140—141
श्री वी० पी० कदम	Shri V. P. Kadam	141
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi	141—142
श्री जार्ज मैथ्यू	Shri George Mathew	142—143
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty	143—144
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	144—145
श्री मोती भाई चौधरी	Shri Motibhai R. Chaudhary	145—146
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyortirmoy Bosu	146—147
श्री पी० अंकिनीडू प्रसाद राव	Shri P. Anukineedu Prasad. Rao	147—148
श्री विनोद भाई बी० सेठ	Shri Vinidbhai B. Sheth	148—149
डा० बसंत कुमार पंडित	Dr. Vasant Kumar Pandit	149—150
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	150

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 14 जून, 1977/24 ज्येष्ठ 1899 (शक)
Tuesday, June, 14 1977/Jaistha 24, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
MR. SPEAKER in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेलवे में भ्रष्टाचार के बारे में आचार्य कृपलानी समिति के प्रतिवेदन
का क्रियान्वित किया जाना

* 21. श्रीमति मृणाल गोरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे में भ्रष्टाचार के बारे में आचार्य कृपलानी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) : कृपलानी समिति के नाम से विख्यात रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ने जुलाई, 1955 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 152 सिफारिशों की थीं, जिनमें रेलों में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए परिचालन सम्बन्धी कुछ सुधारों और संशोधनों का सुझाव दिया गया था। इनमें से 143 सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया था और आवश्यक परिचालनिक तंत्र की स्थापना कर दी गई थी। अब इस बात की जांच करने का प्रस्ताव है कि क्या अब भी ऐसी कुछ त्रुटियां रह गयी हैं जो व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी हैं तथा ऐसे कदाचार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाना आवश्यक है।

SHRIMATI MRINAL GORE : The reply to my question is incomplete. I wanted to know the recommendations implemented. It would then have been easy to put further questions. Even then I would like to know whether recommendation No. 8 has been implemented, which is as under :—

“निर्धारित कोटे, वर्तमान पाबंदियों तथा नित्यप्रति के आठन आदेशों सम्बन्धी सूचन नोटिस बोर्डों पर लगायी जानी चाहिए तथा स्थानीय चेम्बर आफ फर्स अथवा अन्य मार्केटिंग एंजिनियरिंग को भेजी जानी चाहिए।”

क्या इसे कार्यान्वित किया गया है ?

Recommendation No. 11 relates to perishable goods. Has it been implemented? Then comes recommendation No. 25 :—

“स्टेशन पर बुकिंग सुविधाओं पर पुनः विचार किया जाना चाहिये तथा आवश्यक हो तो इसमें वृद्धि की जानी चाहिये।”

It is not being implemented. Then comes recommendation No. 33.

अध्यक्ष महोदय : उन सब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना कि कुछ सिफारिशें लागू कर दी गयी हैं।

SHRIMATI MRINAL GORE : The Question is whether corruption has been minimised after implementing 143 recommendations out of 152 recommendations.

PROF. MADHU DANDAVATE : What has been stated by the hon. member is correct. 143 recommendations of the Kriplani Committee have been implemented and operational machinery for the same has been set up, but some loopholes are still there even after setting up this machinery and satisfactory progress could not be achieved with the result that there is still corruption and we want to remove these loopholes with a view to eradicate corruption.

Kriplani Committee Report came in 1955, whereafter Railway Ministry felt that corruption is still there due to certain loopholes. Santhanam Committee recommended in 1964 that Vigilance Department should be extended upto zonal level. Corruption continued even after doing so. In 1967, Administrative Reforms Commission appointed 3-member Committee which also included Railway Officer. That Committee also gave same suggestions but I confess in my capacity as Railway Minister that corruption is still there in same quarters. We are continuing our efforts to remove garbage accumulated during the last 30 years. I want to assure the hon. member that we are trying to remove these loopholes with a view to remove corruption.

SHRIMATI MRINAL GORE : Is the Hon. Minister thinking of removing political corruption from the Railways? Corruption in the Railways is increasing even after constitution of so many committees. Besides removing the loopholes, is the Hon. Minister thinking of removing corruption on large scale?

PROF. MADHU DANDAVATE : I would like to point out here that I have gone through all the files relating to *ad-hoc* appointments made during the last 3 years wherein some letters contained remarks like “Desired by the M.R. when this remark was challenged by the Section Officer, it was further said that

“जब कभी ऐसी टिप्पणी हो कि एम० आर० अमुक व्यक्ति की नियुक्ति चाहते हैं तो इसे एक आदेश ही समझना चाहिये।”

A number of persons were appointed in this way which led to increase in corruption in the Railways. We will refer all such appointments to the Railway Service Commission and their confirmation will be taken thereafter. Similarly, so many committees were constituted for political patronage which transacted no business. We have disbanded all such committees.

DR. SUSHILA NAYAR : People are allowed to sit in the corridors of first class compartment of trains after charging money which obstructs the passage of the passengers. It came to end during emergency and has received again. Also berths are vacant and reservations are denied. All such malpractices have revived again. What is the Hon. Minister thinking about all these matters.

PROF. MADHU DANDAVATE : I agree with the Hon. Member. The corruption is not only in the railway corridor but also in the corridor of power. We are taking necessary steps but it will take some time to put an end to this evil. I may assure that we will succeed in our attempts to end the corruption.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मेरी समझ में यह नहीं आता कि मंत्री महोदय ने 30 साल की फाइलें 2 महीनों के अंदर कैसे देख लीं। यह कैसे सम्भव है। मेरी सूचना के अनुसार इन दो महीनों के अंदर रेलवे में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्या उनके पास भी ऐसी सूचना है या मैं उन्हें सूचना प्रदान करूं ?

श्री० मधु दण्डवते : मैंने पिछले 30 वर्षों की बहुत सी फाइलें देखी हैं यदि माननीय सदस्य चाहे तो वे रेल भवन में आकर देख सकते हैं कि बहुत देर तक बैठ-बैठ कर मैंने ये फाइलें कैसे देखी हैं। वास्तव में सभी फाइलें देखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ खास-खास फाइलें देखनी पड़ती हैं। उनसे कुछ गोपनीय बातों का पता लगता है। कुछ चुना हुआ काम करना पड़ता है और इसे 30 दिनों के अंदर किया जा सकता है। 30 दिनों के अंदर मैंने साठ हजार अनिर्णीत मामले देखे हैं।

आपने मुझ द्वारा कार्यभार सम्भालने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ने या कम होने की बात की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ स्थानों पर भ्रष्टाचार में कमी हुई है। मैं एक ठोस उदाहरण देता हूँ। मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन सम्बन्धी कुछ शिकायतें मिली थीं। हमने सम्बन्धित अधिकारी को बुलाया और तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने के लिये कहा। मुझे इस बात की सूचना देते हुए खुशी होती है कि दो सप्ताह के अंदर ही मुझे 12 पृष्ठ की रिपोर्ट मिली थी जिसमें ट्रेवलिंग एजेंसी सम्बन्धित कर्मचारी तथा समाज विरोधी तत्वों तथा उन प्लेटफार्मों के नाम दिये गये थे जिस पर भ्रष्ट कार्य होते थे। यह रिपोर्ट मेरे पास है। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी घोषणा के दस दिन बाद हमने देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चलने वाला भ्रष्टाचार का वह घोटाला अब समाप्त हो गया है। इस प्रकार के भ्रष्ट कार्य नई दिल्ली स्टेशन ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी होते हैं। अब भ्रष्टाचार की रफ्तार कम हो गयी है इसे पूर्णतः समाप्त करने के लिये कुछ समय लगेगा।

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : We have discussed the question of political corruption. There had been many organisations like Bharat Sadhu Samaj and Bharat Sevak Samaj. Have you examined the question of those committees and their members ?

PROF. MADHU DANDAVATE : I have not paid any attention towards this, but I may assure you that nobody whether he is Sadhu or Dacoit will be allowed to indulge in corruption. It will continue to be our way of working.

श्री के० लक्ष्मण : मेरा प्रश्न कृपलानी समिति की कुछ उन सिफारिशों के बारे में है, जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि कृपलानी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? आपने अपने उत्तर में कहा है कि आपके कार्यभार सम्भाले केवल 30 दिन हुए हैं। आपने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की ? अब रेलवे प्रशासन से भ्रष्टाचार किस उपाय से दूर होगा ? क्या आपने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री० मधु दण्डवते : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्हें उत्तर देने दें।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मुझे अपने प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देंगे ? जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, आप जानना चाहते हैं कि किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया और किन्हें नहीं तथा कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गयीं। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हमारे पास एक बड़ी रिपोर्ट है। इसे प्रकाशित किया गया है। यह एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है जिसकी प्रति पुस्तकालय में है। यदि इसे सभा पटल पर रखा जाये तो, इसकी प्रतियां तैयार करने के लिये बहुत समय लगेगा। माननीय सदस्य इसे वहीं पढ़ सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में सांस्कृतिक संगठन तथा मजदूर संघ

*22. **श्रीमति अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में सांस्कृतिक संगठन तथा मजदूर संघ कितने हैं;

(ख) क्या ये संगठन कोई निधि एकत्रित करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) वहां दो सांस्कृतिक संगठन और 6 अमान्यता प्राप्त यूनियनें हैं।

(ख) और (ग) चूंकि ये प्राइवेट संगठन हैं अतः सरकार को यह मालूम नहीं है कि वे निधि वसूल करते हैं या नहीं यदि वसूल करते हैं तो कैसे।

SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR : May I know the number and names of railwaymen organisations which have been recognised ?

प्रो० मधु दण्डवते : चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में ये कार्मिक संघ हैं :

(क) सी० एल० डब्ल्यू० रेलवे मैनेज यूनियन (ए० आई० आर० एफ० से संबद्ध)

(ख) सी० एल० डब्ल्यू० रेलवे मैनेज कांग्रेस (एन० एफ० आई० आर० से संबद्ध)

(ग) सी० एल० डब्ल्यू० लेबर यूनियन (सी० आई० टी० यू० से संबद्ध)

(घ) सी० एल० डब्ल्यू० कर्मचारी संघ (भारत राष्ट्रीय मजदूर सभा)

(ङ) सी० एल० डब्ल्यू० रेलवे वर्करज यूनियन (आई० एन० टी० यू० सी०)

दि इण्डियन रेलवे टेक्नीकल आफिसर्स एसोसिएशन किसी भी अखिल भारतीय संगठन से संबद्ध नहीं। अभी किसी भी संगठन को मान्यता प्राप्त नहीं है। हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं। ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि छोटे-छोटे संघों की संख्या कम से कम हो। हम कार्मिक संघों के साथ बात-चीत करके कुल सदस्यता का पता लगायेंगे। मुझे बताया गया है कि आल इण्डिया रेलवे मैनेज यूनियन और सी० आई० टी० यू० से संबद्ध यूनियन के बीच विलय की वार्ता चल रही है। हम इसी प्रक्रिया के आरम्भ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न के लिए आप इतना विस्तार से उत्तर न दें।

SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR : This recognition is always given in the basis of secret ballot. May I know if you are aware that one Vice-President of the union has been murdered ?

PROF. MADHU DANDAVATE : I assure you that recognition will be given by following the set procedure. But it will be our endeavour to help in the formation of only one union in one industry and we are trying to find the base in this connection. We will sit with the trade unions to find solution of this problem.

श्री जी० एस० रेड्डी : सांस्कृतिक संगठनों को यातायात की सुविधाएं देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्या प्रश्न का इससे कोई संबद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : मांगों पर चर्चा के समय नीति सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा ।

गुजरात में और अधिक रेल लाइनों का निर्माण

* 23. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार राज्य में और अधिक रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए केन्द्र से अनुरोध करती रही है;

(ख) क्या सरकार ने आगामी दो-तीन वर्षों में गुजरात राज्य में इन सभी रेल लाइनों का निर्माण करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस वर्ष राज्य में कितनी रेल लाइनों का निर्माण करेगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) से (ग) गुजरात राज्य द्वारा (i) भाव नगर से तारापुर (ii) गांधीधाम से लखपत और (iii) नडियाड से मदासा तक नई लाइनों के निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है ।

इन लाइनों के निर्माण के बारे में सर्वेक्षण किये गये हैं । पहले से चालू निर्माण-कार्यों को पूरा करने के लिए इस समय संसाधनों की अत्यन्त कमी है । नई लाइनों के लिए अधिक संसाधनों के प्राप्ति के लिए प्रयास किये जायेंगे ताकि गुजरात राज्य में नयी लाइन परियोजनाओं का काम शुरु करना संभव हो सके ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अन्य राज्यों में नई लाइनों के निर्माण के साथ-साथ गुजरात में भी कुछ नई लाइनों का निर्माण किया जायेगा । अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि योजना आयोग के परामर्श से इस कार्य हेतु संसाधन जुटाये जायेंगे । अतः किसी अनुपूरक प्रश्न की आवश्यकता नहीं है ।

श्री के० एस० चावड़ा : पश्चिम रेलवे में कांसा को उत्तर रेलवे के भिलडी के जोड़ने के लिए काफी समय से मांग की जा रही है । संसद की याचिका समिति ने भी इस की सिफारिश की है । यह लाइन गुजरात और राजस्थान को जोड़ेगी । क्या मंत्री जी इस वर्ष इस लाइन का निर्माण आरम्भ करायेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : इस समय यह सम्भव नहीं क्योंकि जब तक संसाधन उपलब्ध नहीं होते सम्पूर्ण सर्वेक्षण सम्भव नहीं है ।

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री जी के अनुसार मुख्य रूप से संसाधनों की कमी के कारण गुजरात में नई लाइनों का निर्माण सम्भव नहीं। मंत्री जी को पता है कि पश्चिम रेलवे से सर्वाधिक आय होती है और गुजरात में माल की ढुलाई से जो आय होती है वह व्यय से अधिक होती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के अन्य भागों में अनेक नई लाइनों का निर्माण किया गया है। लेकिन जब गुजरात राज्य में भावनगर से तारापुर, गांधीधाम से लखपत और नाडियाड से मदासा तक लाइनों की मांग की गई तो मंत्री जी को क्या कठिनाई आ रही है। उन्होंने लाभ का बजट प्रस्तुत किया है और रेलों से उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने 32.5 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया है। भावनगर-तारापुर लाइन पर 33.65 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय आयेगा। गांधीधाम-लखपत लाइन पर 22.45 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का हिसाब लगाया गया है। नाडियाड-मदासा लाइन पर 9.5 करोड़ रुपये खर्च आयेगा।

श्री डी० डी० देसाई : मूल्यहास निधि में भी 250 करोड़ रुपये पड़े हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक भावनगर-तारापुर लाइन का सम्बन्ध है, मूल सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां से 5.6 प्रतिशत की आय होगी। लेकिन बीरमगांव-ओखा लाइन पर जब से लाइन बदलने का काम शुरू हुआ है तब से कुछ परिवर्तन हुआ है। वहां अच्छी और सुदृढ़ सड़कें भी बनायी गयी हैं। अतः नये सर्वेक्षण के अनुसार आय 5.6 प्रतिशत से कम होकर 1.7 प्रतिशत का घाटा होगा।

श्री डी० डी० देसाई : लेकिन मंत्री जी को राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वह इस अंतर को समाप्त कर देगी।

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो ठीक है। यदि राज्य सरकार अनुमानित खर्च कम कर दे तो इस लाइन का निर्माण सम्भव हो सकता है। इसके लिए हम योजना आयोग से चर्चा कर रहे हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : क्या मैं जान सकता हूं कि बीरमगांव-ओखा लाइन को ब्राड गेज में बदलने में कितना समय लगेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : संसाधन उपलब्ध होने पर यह काम कुछ ही वर्षों में पूरा हो सकता है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने भावनगर-तारापुर रेल लाइन के निर्माण का उल्लेख बजट में किया है। पर नाडियाड-कापड़गंज-मदासा रेल लाइन के लिए कम से कम सर्वेक्षण कार्य और इंजीनियरी कार्य में ही तेजी लाने के प्रयत्न होने चाहियें ताकि लाइन के निर्माण का कार्य शीघ्रता से आरम्भ किया जा सके। यह लाइन पिछड़े क्षेत्र में विछायी जानी है जिसके न होने से इस क्षेत्र का विकास रुका पड़ा है।

प्रो० मधु दण्डवते : इस लाइन के लिए आरम्भिक सर्वेक्षण कार्य 1974 में आरम्भ हुआ था। सम्भाव्यता प्रतिवेदन और आय सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो रयी थीं।

अब नयी सम्भावनाएं पैदा हुई हैं क्योंकि चैम्बर ऑफ कामर्स ने सरकार को आश्वसान दिया है कि वहां उद्योग लगाये जायेंगे । तब वहां से 7.8 प्रतिशत आय होने लगेगी । यदि इस बात की अन्य उद्योगपतियों द्वारा पुष्टि की जाती है तो हम उस पर विचार करेंगे ।

SHRI MOTIBHAI R. CHOUDHARY : The Hon'ble Minister has assured that railway lines will be put up in backward areas. May I know the time by which work on Radharpur-Harij railway line will be taken up ?

PROF. MADHU DANDAVATE : During the last few years the number of backward areas have been increasing. So much that we have to fix priority. So the line about which the Hon'ble Member has referred to can be taken up later on. We have given priority to Tarapore because it is a backward area and later on new lines will be constructed.

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी : क्या पहले ऐसा कोई प्रस्ताव था कि भावनगर-तारापुर रेल लाइन का लिम्बिडी तक विस्तार किया जाये और फिर उसे भावनगर की ओर मोड़ा जाये तथा राजकोट ले जाया जाये ? क्या इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है या यह विचाराधीन है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह प्रस्ताव तो पहले से ही था लेकिन प्रश्न यह देखना है कि क्या भावनगर-तारापुर रेलवे का विस्तार सम्भव है । वर्तमान मार्ग तैयार करने के बाद ही लाइन को मोड़ने की बात पर विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 24 लिया जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लगता है माननीय मंत्री जी ने लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन नहीं पढ़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 24 लिया जायेगा ।

वर्ष 1974 की रेल हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों का बहाल किया जाना

* 24. श्री पी० जी० मावलंकार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च के अन्त में की गई सरकारी नीतिकी घोषणा के अनुरूप वे सभी रेल कर्मचारी, जिन्होंने वर्ष 1974 की रेल हड़तालों में भाग लिया था अपने पदों पर बहाल कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ।

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

1. स्थायी और अस्थायी कर्मचारी

28-2-1977 को जो 627 कर्मचारी नौकरी में नहीं थे, उनमेंसे 611 ने अपना काम भार संभाल लिया है । शेष 16 कर्मचारियों में से :—

(i) एक कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है.

(ii) तीन कर्मचारी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं.

- (iii) चार कर्मचारियों के विरुद्ध हत्या के आरोप में मुकदमें चल रहे हैं और उन्हें बहाल कर लेने के बाद निलम्बित कर दिया गया है। न्यायालय का फैसला प्राप्त हो जाने के बाद ही उनके मामलों को अन्तिम रूप से निपटाया जा सकता है,
- (iv) दो कर्मचारियों का कोई पता-ठिकाना मालूम नहीं है, और
- (v) छः कर्मचारियों ने अभी तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, यद्यपि उनकी बहाली के आदेश दिये जा चुके हैं और उन्हें सूचित कर दिया गया है।

2. नैमित्तिक श्रमिक/एवजी :

28-2-1977 को जो 5,161 कर्मचारी नौकरी में नहीं थे, उनमें से 4,609 कर्मचारियों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शेष 552 कर्मचारियों में से :—

- (i) एक कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है,
- (ii) 110 कर्मचारियों का कोई पता-ठिकाना मालूम नहीं है, और
- (iii) 441 कर्मचारियों ने अभी तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, यद्यपि उनकी बहाली के आदेश दिये जा चुके हैं और उन्हें सूचित कर दिया गया है।

3. जिन कर्मचारियों के पते-ठिकाने मालूम नहीं है, उन्हें ढूँढ निकालने के लिए रेल कर्मचारियों की यूनियनों का सहयोग भी प्राप्त किया गया है।

4. निलम्बित कर्मचारी

28-2-1977 को जो 53 कर्मचारियों निलम्बित थे, उनकी संख्या घटकर अब 15 रह गयी है। इनमें उपर्युक्त (I) (iii) में उल्लिखित चार कर्मचारी भी शामिल हैं। इन 15 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा है और उनकी बहाली के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकेगा जब न्यायालय में उनके विरुद्ध चल रहे मामलों का फैसला हो जायेगा। मई, 1974 की हड़ताल के दौरान उत्पीड़न के मामलों में सेवा-भंग और स्थानांतरण के मामले भी शामिल थे। इस संबंध में स्थिति नीचे बताई गई है :—

1. सेवा भंग की माफ़ी

प्रारम्भिक कुल संख्या—5.91 लाख सभी मामलों में माफ़ी के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

2. स्थानांतरण को रद्द करना

28-2-1977 को स्थानांतरित कर्मचारियों की कुल संख्या 1,678 सभी का स्थानांतरण रद्द कर दिया गया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को बधाई देते हुए वे दो बातें पूछना चाहता हूँ जिनका वक्तव्य में कोई उल्लेख नहीं है। शनिवार को बजट भाषण में उन्होंने वरीयता को पुनः लागू करने की बात कही थी। वरीयता में उलट-फेर किये जाने की समस्या का उन्होंने क्या हल निकला है? वक्तव्य से ऐसा लगता है कि बहाली से पूर्व

दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई लाभ दिये जाने की सम्भावना है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय जहां तक वरीयता ठीक करने का प्रश्न है तो मेरा यह कहना है कि जब भी सेवा में व्यवधान को समाप्त किया जाता है, वरीयता में गड़बड़ी को भी ठीक कर दिया जाता है। मुझे खुशी है कि सभी 746 मामलों में वरीयता पूर्ववत् कर दी गई है।

यहां तक मृत व्यक्तियों के परिवारों को सहायता का प्रश्न है जो आदेश दिया गया है उसके अन्तर्गत यह प्रश्न नहीं आता। हम इस सुझाव पर विचार करेंगे। यह कार्यवाही के लिए सुझाव है :

प्रो० पी० जी० मावलंकर : वक्तव्य से पता चलता है कि मई, 1974 में रेलवे हड़ताल के समय कुछ रेल कर्मचारियों को हिंसा या तोड़फोड़ के कारण बर्खास्त किया गया अथवा नौकरी से निकाला गया था। मुझे यह देख कर बड़ी हैरानी हुई है कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या तो बहुत कम है जब कि पिछली सरकार द्वारा संसद की पिछली सभा को दी गई जानकारी तथ्यों के अनुरूप नहीं है। यदि ऐसा है तो क्या हम उन सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते जिन्होंने सभा को गुमराह करके विशेषाधिकार को भंग किया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, सभा में दिये गये वक्तव्य में मैंने सारी बातों का उल्लेख करते हुए इस झूठ का पर्दाफाश किया है कि बहुत अधिक व्यक्ति हिंसात्मक कार्यवाहियों के दोषी थे। न्यायालय ने भी उन्हें बरी कर दिया है।

जहां तक दोषपूर्ण प्रचार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है, मेरा विचार है कि मतदाताओं ने पहले ही कार्यवाही कर दी है। रेल मंत्रालय को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं।

श्रीमति पार्वती कृष्णन : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में केवल उम्हें लोगों का उल्लेख किया गया है जिन्हें नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि उनमें से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ? मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, उनके परिवारों की इसकी सजा क्यों भुगतनी पड़े ? अतः मैं यह जानना चाहती हूँ कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, उनकी धनराशि उनके परिवारों को दिलवाने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह जो मामला उठाया गया है इसके सम्बन्ध में अपने नियमों के उपबन्धों की व्यवस्था का पूर्ण पता लगाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा तथा यदि इस प्रकार का लाभ प्रदान करने संबंधी व्यवस्था हुई, तो हम इसका पता लगाकर उससे लाभ उठाने का भरसक प्रयत्न करेंगे; यह आश्वासन मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूँ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : जिन कर्मचारियों को बहाल किया गया है उनमें से कितने ऐसे हैं जिन पर हत्या तथा सम्पत्ति आदि को नष्ट करने के मुकदमों है ? क्या इस प्रकार के कुछ मामले थे भी ?

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने वक्तव्य नहीं पढ़ा : उसमें यह जानकारी है।

श्री प्रद्युम्न बाल : यह प्रसन्नता की बात है कि रेल मंत्री रेल व्यवस्था को नया रूप तथा नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने अभी बजट भाषण में यह भी कहा है कि 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी माफ कर दिया जायेगा जिन्हें आपातकालीन स्थिति के दौरान पीड़ित किया गया। यह भी कहा गया है कि उनके साथ न्याय करने के लिए उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे। मेरी दिलचस्पी एक विशिष्ट मामले में है बौन्डा गौडा के नजदीक अनेक मार्शलिंग यार्ड के व्यक्तियों अनेक व्यक्तियों को पीड़ित किया गया था जब आपात स्थिति की घोषणा की गई थी तो उस मार्शलिंग यार्ड में भारी हड़ताल का आवहान किया गया था और संकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाया गया।

अध्यक्ष महोदय आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री प्रद्युम्न बाल : क्या इस प्रकार के लोगों को बहाल कर, उनके साथ न्याय किया जायेगा? क्या मंत्री महोदय उनको आश्वासन देंगे?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने अपने बजट भाषण में इस बात को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों को आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक कारणों से नुकसान पहुंचाया गया था या जिन लोगों को आंसुका तथा भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बंदी बनाया गया था या उन्हें राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नुकसान पहुंचाया गया था प्रताड़ित किया गया, उन सभी लोगों को वापिस ले लिया जायेगा? जहां तक हड़ताल से संबद्ध कर्मचारियों का प्रश्न है, उनके मामलों पर अलग से विचार किया जायेगा।

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Mr. Speaker, Sir, it has been stated by the Minister in his budget speech that those who were arrested or those who were victimized during emergency, will be taken back into service, but may I know if some time limit has been fixed for the same? May I know if some time limit will be fixed? No reference has been made in the budget speech in this regard.

PROF. MADHU DANAVATE : I assure the House that when I will reply to the budget sheet after going through all such cases. In that time I will give the exact date.

श्री के० मालना : जब इन कर्मचारियों की बहाल किया गया तो क्या उस समय उनके स्थान पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई। यदि हो, तो कितने कर्मचारियों को और इसका वित्तीय प्रभाव क्या होगा और कर्मचारियों के बहाली पर कितना खर्च आयेगा—जैसे कि उन्हें पुरानी मजूरी तथा अन्य लाभ देने आदि पर?

प्रो० मधु दण्डवते : मई, 1974 की हड़ताल में पीड़ित किये गये सभी कर्मचारियों की बहाली पर कुल 1.32 करोड़ रुपए का खर्चा आयेगा। हम ऐसा बिना बजट के उपबन्धों में कोई परिवर्तन किये ही करने में सफल हो गये हैं। दूसरे इन कर्मचारियों को बहाल करते समय हमने उनके स्थान पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी नौकरी से अलग नहीं किया क्योंकि हमारे विभाग का विस्तार होता रहता है तथा उसमें नई नौकरियों के लिए व्यवस्था की जाती है। हमने उन सभी पुराने लोगों को काम पर ले लिया है जिन्हें पीड़ित किया गया था तथा जहां नये मौसमी रोजगारों की व्यवस्था की जा सकी है, हमने उन सभी नैतिक कर्मचारियों को काम पर वापिस ले लिया है जिन्हें नौकरी से अलग किया गया था। बिना उन लोगों को कई हानि कोई पहुंचाया हमने मामले को सुलझा दिया है।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : It has been stated by the Hon. Minister in his statement that those who were dismissed from service at the time of strike have been reinstated, but may I know if their wages etc. have been paid to them or they have been assured for the payment of the same ?

Secondly, in the case of who have been removed from service for violence, generally it was the duty of the Government to get the effective workers involved in violence charges by fabricated charges against them. So, I want to honour whether Government will evolve some such machinery who may look into all such fabricated charges or charges based on frauds ?

PROF. MADHU DANDAVATE : Those who were charged of violence but no proof of the same was available, no action has been taken against them. But those who have been dismissed by the court under the rule of law, the question of their being taken back does not arise. Regarding your first question with regard to payment of salaries, I may state that our order is clear about it i.e. they should be reinstated with half-salary plus allowances without disturbing the budgetary provisions.

उनमें से प्रत्येक को उनके वेतन तथा मजूरी का आधे से भी अधिक भाग दिया जायेगा ।

श्री के० विजय भास्करा रेड्डी : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस नीति का पालन किया गया था तथा भविष्य में भी सरकार इसी की नीति का पालन करेगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : निःसन्देह उन्हें उसी नीति का पालन करना पड़ेगा ।

श्री के० विजय भास्करा रेड्डी : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में जब हड़ताल तथा अन्य इसी तरह की चीजें होंगी तो इस समय भी इसी नीति का अनुसरण किया जायेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : प्रत्येक मामले का निर्णय गुण दोष के आधार पर किया जायगा । प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि इस हड़ताल के लिए वैध नोटिस दिया गया था । यह हड़ताल कर्मचारियों पर सरकार द्वारा थोपी गई थी उन्होंने कहा था कि मांगपत्र के बारे में बातचीत हो सकती है । इस प्रकार सरकार ने कर्मचारियों के साथ अजीब व्यवहार किया अतः इसीलिए हमने भूतपूर्व सरकार की तुलना में उनके साथ एकदम भिन्न व्यवहार किया है ।

श्री के० विजय भास्करा रेड्डी : क्या सरकार भविष्य में भी इसी नीति का अनुसरण किया जायेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : हम प्रत्येक मामले का निर्णय गुण दोष के आधार पर करेंगे ।

रेलवे में की गई गैर-कानूनी नियुक्तियां

* 26. **श्री बशीर अहमद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा रेलवे सेवा आयोग से परामर्श किये बिना बहुत सी नियुक्तियां गैरकानूनी ढंग से की गई हैं; और

(ख) इन गैर-कानूनी नियुक्तियों को रद्द करने तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) रेल सेवा आयोग को पूछे बिना पूर्ववर्ती रेल मंत्रियों के अनुदेश पर कुछ तदर्थ नियुक्तियों की गई थीं ।

(ख) अब यह विनिश्चय किया गया है कि श्रेणी III में तदर्थ रूप से नियुक्त इस प्रकार के कर्मचारियों को अन्य आवेदनकर्ताओं के साथ-साथ रेल सेवा आयोग के समक्ष विचार के लिए भेजा जाये ।

श्री बशीर अहमद : क्या रेल मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि इलाहाबाद डिवीजन के एक कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कर दी गई थी और इस प्रकार की नियुक्तियों को नियमित करने के लिए भी कहा गया ? उन नियुक्तियों का क्या होगा जिन्हें साक्षात्कार के आधार पर नियमित किया जाना है ? वह विशिष्ट अधिकारी इलाहाबाद डिवीजन का सबसे कनिष्ठ अधिकारी था । परन्तु इसके बावजूद भी उसे रेल सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा इसके लिए भूतपूर्व रेल मंत्री तथा भूतपूर्व मंत्री के निजी सचिव जिम्मेवार है क्योंकि आदेश में यह लिखा गया है, "माननीय रेल मंत्री चाहते हैं"

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यहां व्यक्तिगत मामलों की बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । इस सदन में नामों का उल्लेख करना अच्छा नहीं है ।

श्री डी० के० बरुआ : आप को नाम देने की जरूरत, नहीं है परन्तु आप उनकी संख्या तो दे सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तृतीय श्रेणी में तदर्थ नियुक्त किये गये किसी कर्मचारी को केवल कुछ अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार किये जाने के आधार पर नियमित नहीं किया जा सकता । वह मामला रेल सेवा आयोग को भेज दिया जायेगा तथा आयोग के परामर्श के आधार पर ही उस पर निर्णय किया जायेगा । एक गैर-सरकारी प्रश्न यह भी पूछा गया है कि इस प्रकार के मामलों की निश्चित संख्या कितनी है । यदि हम उनकी ओर ध्यान न दे जिन्हें इमानदार कर्मचारियों के रूप में या जिन्हें खिलाड़ियों के कोटे के आधार पर या अन्य प्रकार के कोटे के आधार पर लिया गया, तो तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 300 से अधिक होगी । हमें उस पर विचार करना पड़ेगा ।

श्री बशीर अहमद : कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मामलों का उल्लेख रेल सेवा आयोग को किया गया था । एक व्यक्ति विशेष की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की गई थी । इन तदर्थ नियुक्तियों को रेल सेवा आयोग को भेजा गया था क्योंकि यह नियुक्तियां केवल मौखिक साक्षात्कार के आधार पर ही की गई थी । इस प्रकार के मामलों का क्या किया जायेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : इसके बारे में रेल सेवा आयोग की सिफारिश अन्तिम ही होगी ? चाहे वह कुछ भी हो । यदि हम ने एक बार भी रेल सेवा आयोग के कार्यकरण में हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया, तो उसका कोई अंत नहीं होगा ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You have stated the cases of those class III *ad hoc* appointments will be referred to the Commission but besides them the other class IV officers who were appointed on *ad hoc* basis or there were irregularities in their appointment,

whether their cases will also be referred to so that justice may be done to all? I want to know the number of such employees and what is the name of that former Railway Minister?

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, just now I made a mention of class three employees. In my budget sheet I have referred to the procedure which will be adopted in their case. They will be referred to Railway Service Commissions. Regarding class IV officers also, I have clearly stated that they too will have to appear before screening machinery alongwith others and afterwards they will be appointed.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने नाम पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह नाम बताना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु ऐसा लगता है कि अब वह नाम नहीं बताना चाहते ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आवश्यक नहीं है । निश्चय ही आपको नाम देने के लिए बाध्य नह किया जा सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको बता दूँ कि इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियां करने की जिम्मेदारी मेरे से पहले रेल मंत्री की ही है ।

श्री निहार लास्कर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि किसी विशिष्ट चवन की अन्तिम रूप देने के लिए औसतन रेल सेवा आयोग द्वारा कितना समय लिया जाता है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि रेल सेवा आयोग के समक्ष कितने प्रार्थी होते हैं परन्तु हमारा प्रयत्न यह होगा कि ।

श्री निहार लास्कर : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने तृतीय श्रेणी के पद के लिए आवेदन दिया है, तो फिर उसको कितना समय लगेगा ? वह चार या पांच वर्ष तक के लिए तो इंतजार नहीं कर पायेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : इसको तो दो या तीन महीने लग सकते हैं क्योंकि यह तो प्रार्थना पत्रों की संख्या पर निर्भर करता है क्योंकि इसकी छानबीन की एक प्रक्रिया होती है तथा फिर कुछ साक्षात्कार भी होते हैं । अतः यह इसी बात पर निर्भर करता है कि कितने कितने लोग आयोग के समक्ष आते हैं । मैंने कहा है कि इसे तीन महीने से अधिक का समय नहीं लगना चाहिये । मैं भूत की बात नहीं कर रहा मैं तो वर्तमान तथा भविष्य का उल्लेख कर रहा हूँ ।

श्री डी० के० बरुआ : उन्होंने औसतन समय पूछा है । यह जानकारी तो आंकड़ों संबंधी है । इसकी कुछ जानकारी तो आप को अवश्य होगी ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया तो है कि दो या तीन महीने ।

श्री मधु दण्डवते : मुझे अभी तक यह तो पता नहीं चल पाया है कि गत 30 वर्षों में इस प्रकार की नियुक्तियां करने में कितना समय लगता रहा परन्तु मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि भविष्य में इसको अधिक समय नहीं लगेगा — (व्यवधान) ।

SMT. CHANDRAWATI : May I know from the Minister that whether former Minister or any of his relative or middleman took any money for these direct appointments ?

PROF. MADHU DANDAVATE : I have already answered the same. Regarding money, I do not want to say anything.

SHRIMATI CHANDRAWATI : Will you make an enquiry into this ?

PROF. MADHU DANDAVATE : I have already stated that all the *ad hoc* appointments that have been made in an illegal manner or where corrupt practices have been followed will be enquired into.

SHRI MANOHAR LAL : Sir, the Hon. Minister is not disclosing the name of the former Minister and we also would not mention his name. But the relatives of the Minister, who was known for getting his feet touched, have been appointed illegally. What action is proposed to be taken against those officers who have made these appointments and put pressure on the Railway Service Commission ?

PROF. MADHU DANDAVATE : We will examine all the aspects. We do not believe in punishment without proper inquiry.

SHRI MANOHAR LAL : It is correct that Government will not take any action before conducting an enquiry; but I want to know how long will it take.

PROF. MADHU DANDAVATE : We have to find as to how many persons are involved etc. and after that action will be taken.

SHRI D. N. TIWARI : The hon. Minister has said that about four hundred *ad hoc* appointments have been made. I want to know whether these appointments have been made against certain posts. Will their fitness be examined by the Railway Service Commission alongwith others or will they be considered by the Commission separately against new posts ?

PROF. MADHU DANDAVATE : These appointments have been made on various posts which may exceed four hundred. They have been posted in different Railways throughout the country. They are not concentrated at one place. It has to be done in such a way that there is no imbalance in efficiency and job opportunities. We will do this work keeping in view all these things.

* 28. श्री बृज भूषण तिवारी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री के 0 लक्ष्मण

(क) क्या आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के बाद रेल गाड़ियां विलम्ब से चलने लगी
; ;

रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) एक विवरण, सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) हाल में, कुछ क्षेत्रों में सवारी गाड़ियों के समय-पालन में मामूली गिरावट आयी है।

(ख) गाड़ियों के समय-पाबन्दी पर सामान्यतः इन कारकों का बुरा प्रभाव पड़ा जैसे खतरे की जंजीर खींचने की अधिक घटनाएं जिनमें बदमाशों द्वारा होस पाइप का कनेक्शन हटा देना भी शामिल है। प्रचण्ड आंधी, दुर्घटनाएं/पटरी से उतर जाने और रेल इंजनों/सिगनल की खराबियों के कारण-समय-समय पर समय की हानि आदि।

(ग) क्षेत्रीय रेलें दैनिक आधार पर, सभी स्तरों पर सवारी गाड़ियों के समय पालन पर नजर रखती हैं और जांच करती हैं। लम्बी दूरी की अनेक महत्वपूर्ण गाड़ियों पर रेलवे बोर्ड दैनिक आधार पर नजर रख रहा है। परिहार्य विलम्ब के मामलों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है और तदुपरान्त उपचारात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों के साथ उपयुक्त स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ताकि खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं तथा ऐसी अन्य असामाजिक और बदमाशी की हरकतें रोकी जा सकें। गर्मी के महीनों में जब भारी संख्या में ग्रीष्म विशेष गाड़ियां चलती हैं, एक समेकित अभियान चलाया जा रहा है और गाड़ियों पर निगाह रखी जा रही है ताकि सवारी ढोने वाली सभी गाड़ियों के समय पालन में अधिक सुधार हो सके।

श्री के० लक्ष्मणा : माननीय मंत्री ने मेरी इस बात को स्वीकार किया है कि हाल में कुछ क्षेत्रों में सवारी गाड़ियों के समय-पालन में गिरावट आयी है। परन्तु मेरे पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। आपातकाल में बहुत अनुशासन था। नई सरकार के बनने के बाद से (सत्ता संभालने) बाद रेलवे कानून और व्यवस्था और रेलवे अनुशासन में गिरावट आयी है। गाड़ियों के समय पर चलने में सुधार के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

प्रो० मधु दण्डवते : गाड़ियों के समयानुसार चलने की समस्या विभिन्न जोनों में भिन्न-भिन्न है। यह सभी जोनों में समान नहीं है। मैं 1977 में बड़ी लाइन और मीटर लाइन और 1976 में इन लाइनों की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ।

जहां तक मीटर लाइनों का सम्बन्ध है, औसत समय-पालन की प्रतिशतता समूचे देश में जून, 1977 में 95 प्रतिशत थी जबकि जून, 1976 में यह 94.8 प्रतिशत थी; मई, 1977 में 94.7 प्रतिशत और मई, 1976 में 95.1 प्रतिशत थी; अप्रैल, 1977 में 95.9 प्रतिशत और अप्रैल, 1976 में 95.5 प्रतिशत थी; मार्च, 1977 में 96.5 प्रतिशत और मार्च, 1976 में 95.8 प्रतिशत थी; और फरवरी, 1977 में 97.2 प्रतिशत और फरवरी, 1976 में 95 प्रतिशत थी। यह सामान्य स्थिति थी जहां तक अन्य.....

अध्यक्ष महोदय : आप सभी आंकड़े इसी समय कैसे दे सकते हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक विवरण सभा पटल पर रख दूंगा :

श्री के० लक्ष्मणा : यह सब आंकड़ों का मामला है। जनता सरकार के अधीन समूचे रेल प्रशासन में अनुशासनहीनता घुस आयी है। मैं जानता चाहता हूँ कि रेलवे प्रशासन के सभी

स्तरों पर अनुशासन लागू करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। कृपया हमें ऐसे आंकड़े न बतायें जो ठीक स्थिति प्रस्तुत नहीं करते।

प्रो० मधु दण्डवते : समय-पालन में जब भी कुछ कमी आती है उसके इन तीनों में से कोई भी कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि किसी मशीन आदि में त्रुटि उत्पन्न हो जाये; दूसरा, कर्मचारियों की कोई गलती; और तीसरा जंजीर खींचना। तीनों मामलों में हम अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिये प्रयत्नशील हैं। हमने सभी सम्बन्धित स्टाफ को बता दिया है कि जहां कहीं वे लोग समय-पालन में त्रुटि के लिये जिम्मेदार हों, वहां उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी और दण्ड दिया जायेगा। जहां पर मशीनरी में खराबी होने की शंका हो, वहां रखरखाव विभाग को चाहिए कि निरीक्षण और अधिक सख्त हो। जंजीर खींचने की बात तो समूचे देश में है। गाजियाबाद के निकट, उत्तरी बिहार में और कानपुर के निकट इस में वृद्धि हुई है। हमने अनेक सामाजिक संगठनों से अनुरोध किया है कि इस मामले में हमारी सहायता करें। हमने पुलिस की सहायता नहीं ली। अनुशासन को बढ़ावा देने के लिये हम कर्मचारियों को न्याय दिलाने का आश्वासन देना चाहते हैं और प्रबन्ध कार्य में उनको भागीदार बनाना चाहते हैं। इस से अनुशासन बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

समुद्री पानी से नमक निकालने की योजना

* 29. श्री डी० डी० देसाई : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री पानी से और अधिक मात्रा में नमक निकालने तथा इस नमक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले विभिन्न रसायनिक कारखाने समुद्र तट पर लगाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी हां। उन पार्टियों को, जिनकी कास्टिक सोडा और सोडा ऐश के उत्पादन के लिए क्षमता बढ़ाने की योजना है, पश्चिम समुद्रतट पर लवण उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र स्वीकृत किए गए हैं।

तीन कम्पनियों अर्थात् टाटा कैमिकल्स लि०, सोराष्ट्र कैमिकल्स और बालारपुर इनडस्ट्रीज लिमिटेड को लवण उत्पादन के लिए क्रमशः 16,343, 1849 और 1,000 एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्रों की स्वीकृति दी गई है। ये कम्पनियां कास्टिक सोडा और सोडा ऐश के उत्पादन में अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लवण उत्पादन का प्रयोग करेगी।

श्री डी० डी० देसाई : नमक के बनाने के मामले में हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि विश्व के सभी भागों की तुलना में हमारे देश के समुद्री जल में नमक बहुत अधिक है। इसके अलावा हमें सूर्य की गर्मी भी उपलब्ध है जो एक बड़ा लाभ है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट नहीं किया कि नमक का उत्पादन कम क्यों हो रहा है।

इसके अतिरिक्त इस उद्योग में रोजगार की गुंजाइश होना एक महत्वपूर्ण बात है। नमक का उत्पादन कम हो रहा है और मंत्री महोदय ने उसके कारण नहीं बताये हैं। क्या नमक की उत्पादन लागत में उसके लदान के व्यय और उसके गन्तव्य स्थान तक भाड़े भी शामिल हैं? अनेक कारखाने समुद्र तट पर स्थित हैं। दूसरे, क्या वहां पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या देश में कम दरों पर नमक उपलब्ध करने के लिए कारखानों का काम ठीक प्रकार से चल रहा है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : नमक के उत्पादन का विनियमन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक कर अधिनियम, 1954 के अधीन किया जाता है और इस का प्रशासन उद्योग विभाग के अधीन है। यह प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

श्री डी० डी० देसाई : मेरे विचार में उनका उत्तर संतोषजनक नहीं है। यह हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन पर आधारित है। जब हम गांधी दर्शन की बात करते हैं तो उसके सभी पहलुओं की ओर ध्यान हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है। मंत्री महोदय सोडा ऐश और कास्टिक सोडा की बात कर रहे थे। उन्होंने अन्य रसायनों की बात नहीं की जिन की सहायता से नमक बनाया जा सकता है। क्या बन्दरगाहों पर लदान की सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : प्रश्न बहुत सीमित है। यह अतिरिक्त क्षेत्र देने से सम्बन्धित है। मैंने उसका उत्तर दे दिया है। यदि माननीय सदस्य और जानकारी चाहते हैं तो एक और प्रश्न का नोटिस दे सकते हैं।

श्री एस० कुन्डु : मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर उत्पादन के बीच असन्तुलन को जानते हैं। क्या उन्हें मालूम है उड़ीसा, जिसकी तटसीमा 300 मील है और जो एक पिछड़ा राज्य है, अभी भी बाहर से नमक मंगवाता है। क्या इस असन्तुलन को समाप्त करने के लिये मंत्री महोदय की कोई नीति है जिससे (उत्तर-पूर्वी तट के) पिछड़े राज्यों में नमक बनाने लगे और समुद्र जल से अन्य उत्पाद भी बनने लगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं सभी स्थानों पर नमक उत्पादन का स्वागत करता हूँ। मेरा विषय नमक के औद्योगिक प्रयोग तक सीमित है और शेष उद्योग मंत्री के अधीन आता है। वही नमक के बनाने के बारे में अधिक बता सकते हैं।

डा० हेनरी आस्टिन : माननीय मंत्री जानते हैं कि देश के अनेक भागों, विशेषतः दक्षिण (तमिलनाडु) से नमक के निर्यात का बहुत व्यापार होता है। वहां पर यह बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। क्या मंत्री इस में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग आरम्भ करायेंगे? अब इससे अनेक रसायन तैयार किये जा सकते हैं। भारतीय नमक अच्छी किस्म का होता है क्योंकि इसमें सोडियम मिश्रण, आयोडीन आदि अन्य चीजें भी हैं। क्या मंत्री महोदय बेरोजगार श्रमिकों का लाभ उठावेंगे ताकि नमक सस्ता मिल सके और हमारा निर्यात बढ़ सके?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : नमक पर आधारित वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है। नमक तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। मंत्रालय नमक को आधार भूत रसायन समझता है और इसके उपयोग के प्रति जागरूक है।

श्री ज्योतिमय बसु : सुन्दरवन और समीप समुद्री क्षेत्र के जल में नमक का मिश्रण बहुत अधिक है। क्या मंत्री महोदय सुन्दरवन के इस जल से नमक निकाल कर उसके औद्योगिक उपयोग के लिये एक सर्वेक्षण करायेंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी नोट कर ली है।

श्री ज्योतिमय बसु : मेरा विशिष्ट प्रश्न है। मैंने कहा है कि वहां के जल में नमक बहुत अधिक है। क्या वहां पर नमक निकालने के लिये सर्वेक्षण कराया जायेगा? इसका 'हां' या 'ना' में उत्तर दिया जाये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस समय हम अपनी ओर से देश के किसी भाग में ऐंसा नहीं कर रहे हैं मैं यह कह सकता हूं कि हम सुन्दरवन क्षेत्र को ध्यान में रखेंगे। और जब कोई नया क्षेत्र लिया जायेगा तो इस क्षेत्र पर विचार किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

'हाई स्पीड डीजल' और मिट्टी के तेल की उपलब्धता में कमी

* 25. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल के उत्पादन और उसकी उपलब्धता में कमी होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी पूरी करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यद्यपि, देश में हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) तथा मिट्टी के तेल की उपलब्धता में कुल मिलाकर कोई समस्या नहीं है, परन्तु मांग में अचानक वृद्धि हो जाने और कोयाली (गुजरात) शोधनशाला तथा बम्बई पत्तन में हुई हड़तालों के कारण लाने ले जाने से उत्पन्न समस्याओं के कारण, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है, मई, 1977 के उतरार्द्ध में उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत अल्प समय के लिए कमी का सामना करना पड़ा।

(ख) शोधनशालाओं में जून, माह में यथा-सम्भव सीमा तक कूड उत्पादन में वृद्धि हुई है और खाड़ी क्षेत्र से कुछ अतिरिक्त एच० एस० डी० तथा मिट्टी के तेल के आयात की व्यवस्था की गयी है। जून, 1977 में इन्डो-सोवियत संघ व्यापार योजना के अन्तर्गत

सोवियत संघ से और अधिक मात्रा में इन वस्तुओं को आयात करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। आशा है कि उठाये गये इन कदमों के परिणाम स्वरूप इन उत्पादों की कोई कमी नहीं होगी।

पठानकोट-जोगिन्दरनगर रेलवे लाइन पर गाड़ियां

*27. श्री दुर्गा चन्द : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेलवे लाइन पर हाल ही में चार रेल गाड़ियां चला करती थीं ;

(ख) क्या इस समय इस लाइन पर केवल दो गाड़ियां; एक एक्सप्रेस और दूसरी यात्री गाड़ी, चल रही है जिससे यात्रियों को बहुत कठिनाई हो रही है।

(ग) क्या सरकार को इस लाइन पर चार गाड़ियां चलाने के बारे में कोई अध्या-वेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) आजकल इस लाइन पर दो जोड़ी गाड़ियां—एक सवारी गाड़ी और दूसरी तेज सवारी गाड़ी चल रही है।

(ग) जी हां।

(घ) इस खण्ड पर एक तीसरी जोड़ी गाड़ी चलाने के प्रश्न की जांच की जा रही है और जो कार्रवाई उचित और व्यावहारिक समझी जायगी, की जायगी।

हाथी समिति द्वारा सिफारिश की गई 'बल्क ड्रग्स' का उत्पादन

*31. श्री चित्त बसु : क्या पेंड्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'बल्क ड्रग्स' के उत्पादन को बढ़ाने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेंड्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रपुंज औषधों के उत्पादन को बढ़ाने के बारे में हाथी समिति ने ठोस सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इस बीच में, अप्रैल, 1975 में हाथी समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 169 औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र औषध निर्माताओं को जारी किए गए हैं। सरकार ने सरकारी क्षेत्र उपक्रम अर्थात् इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटीकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड की विभिन्न विस्तार योजनाओं की भी स्वीकृति दी है। इन योजनाओं के व्यौरे निम्नलिखित हैं :—

- (1) 21.79 करोड़ रुपये के निवेश से सिन्थेटिक ड्रग्स प्लांट हैदराबाद के विस्तार सं० 1988 मी० टन से 3886 मी० टन उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी :

- (2) 8.58 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी परिव्यय से बिहार में निकोटीनामाइड संयंत्र की स्थापना ;
- (3) 6.93 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी परिव्यय से गुड़गांव, हरियाणा में एक नए सूत्रयोग संयंत्र की स्थापना ।
- (4) 15.31 करोड़ रुपये के निवेश से एन्टीबायोटिक्स प्लांट, ऋषिकेश का विस्तार;
- (5) पेंसिलिन, स्ट्रुप्टोमाइसिन के उत्पादन में तथा जटामाइसिन और डीफमपीसिन के उत्पादन में विस्तार के लिए 10.14 करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय से हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का विस्तार ।

औषधियों की कीमतें

*32. श्री एस० जीमरुगण्यन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि औषधियों की कीमतें इतनी अधिक बढ़ रही हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं; और

(ख) यदि हां, तो कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा उर्वरक और रसायन मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) औषधों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं। मूल्यों को इस आदेश के अन्तर्गत एक बार सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने पर निर्माता सरकार की पूर्वानुमति के बिना उनमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। 50 लाख रुपये से कम वार्षिक बिक्री वाले एककों को इस आदेश से छूट दी गई है। इस आदेश को लागू करने से औषधों के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखना सम्भव हो गया है। गत दो वर्षों, अर्थात् 1975-76 और 1976-77 के दौरान औषधों और दवाइयों के थोक मूल्यों के सूचकांक (1970-71 के लिए 100 आधार मान कर) क्रमशः 118.7 और 133.9 थे।

1976-77 के दौरान पेटेंट और स्वामित्व वाली दवाइयों के उत्पाद शुल्क में सरकार द्वारा 7 1/2 प्रतिशत से 12 1/2 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी। इसी प्रकार अल्कोहल, नारकोटिक औषधों और नारकोटिक्स सहित औषधीय पदार्थों के उत्पाद शुल्क में भी 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी। मध्यवर्ती पदार्थों और तैयार प्रपुंज औषधों के अयात पर भी सीमा शुल्क में उनके मूल्य के 27.5 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी। अतः 1976-77 के दौरान मूल्यों में वृद्धि में परिवर्तन के कारण वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त कुछ प्रपुंज औषधों के मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ है जिसके कारण सूत्रयोगों के मूल्यों में कुछ सीमा तक वृद्धि हुई है।

श्रीषध और भेषज उद्योग समिति (हाथी समिति) ने अपनी रिपोर्ट में श्रीषधों के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने लिए अनेक सिफारिशों की हैं। उसकी रिपोर्ट पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

मैसर्स ग्लेक्सो कर्मचारी संघों द्वारा ज्ञापन दिया जाना

* 33. श्री वसन्त साठे }
श्रीमती पार्वती कृष्णन } : क्या पेंट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लेक्सो कर्मचारी संघों की केन्द्रीय समिति ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें ग्लेक्सो के राष्ट्रीयकरण और ग्लेक्सो द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं के बारे में जांच किये जाने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है/ये जाने का विचार है ?

पेंट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें मैसर्स ग्लेक्सो की अनेक अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। तथापि इसमें कम्पनी के राष्ट्रीयकरण की मांग भी शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) कम्पनी पर लगाये गये अभियोगों की सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से जांच की जा रही है।

मारुति कैमिकल्स द्वारा पानी साफ करने के रसायनों की सप्लाई

* 34. श्री ज्योतिमय बसु : क्या पेंट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री संजय गांधी की रसायन कम्पनी (मारुति कैमिकल्स) ने विभिन्न सरकारी, अर्ध-सरकारी और अन्य संगठनों तथा संस्थाओं को पानी साफ करने वाले ऐसे रसायन सप्लाई किये थे जो मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पाये गये हैं तथा जिन से 28 लाख रुपये के सरकारी धन की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके मालिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का है; और

(ग) श्री संजय की कम्पनियों में अन्य कितने रसायनों का उत्पादन होता है जिन्हें सरकारी विभाग और अन्य संगठन तथा संस्थाएं खरीदती हैं ?

पेंट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) (ख) और (ग) "क्विक फ्लोक पालीमिक्स के ट्रेड नाम से एक 'पालीमर कम्पाउंड' मैसर्स मारुति टैक्नीकल सर्विस (प्राइवेट) लिमिटेड, गुडगांव द्वारा दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान सहित

दिल्ली: नगर निगम को 21.14 लाख रुपये के मूल्य पर पानी/मल उपचार के प्रयोग के लिए सप्लाई किया गया था। मैसर्स मारुती लिमिटेड टेक्नीकल सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड केवल एक रसायन अर्थात् क्विक फ्लोक पालीमिक्स के उत्पादन के लिए एक लघु उद्योग एकक के रूप में पंजीकृत है। अन्य सरकार, अर्ध सरकार और अन्य संगठन व संस्थाओं के नाम जिन्हें यह रसायन सप्लाई किया गया था, वे निम्नलिखित हैं :—

- (1) वाटर वर्क्स इंजीनियर कुमाऊ जल संस्थान हल्दवानी, जिला नैनीताल ।
- (2) वाटर वर्क्स इंजीनियर कुमाऊ जल संस्थान अल्मोड़ा ।
- (3) महा प्रबन्धक जल संस्थान देहरादून ।
- (4) अधीक्षक इंजीनियर बंगलौर वाटर सप्लाई एण्ड स्वेज बोर्ड बंगलौर ।
- (5) नगर अभियन्ता जल-कल विभाग एशबाग एण्ड जल निगम लखनऊ ।
- (6) दिल्ली क्लाय एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, दिल्ली ।
- (8) नगर अभियन्ता (जल-कल विभाग) वाटर वर्क्स आगरा ।
- (8) एस० डी० ओ० अनुरक्षण एकक, उ० प्र० जल निगम झांसी ।
- (9) अलाइड एजेंसीज के-112 न्यू क्लाय मार्केट अहमदाबाद-2 ।
- (10) कृष्ण एजेंसीज, 17 नजीर भवन, कालीकट स्ट्रीट वैलर्ड स्टैट बम्बई, बम्बई के प्रयोग के लिए ।
- (11) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ।
- (12) नगर अभियन्ता जल विभाग, कानपुर ।
- (13) जलन इन्टर प्राइजिज 7 बाबू लाल लेन, कलकत्ता ।
- (14) जुगल किशोर चिरंजी लाल वजार सिरकी वाला, दिल्ली ।
- (15) श्री गुप्ता, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली ।
- (16) उप माल अधिकारी, अनुरक्षण एकक, उप प्र० जल निगम, बबीना ।

दिल्ली जल प्रयोजनशाला में अब तक की गई जांच से इस रसायन का कोई आसामान्य वैषिक प्रभाव अब तक नहीं दिखाई देता है ।

त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी रेलवे लाइन का निर्माण

* 35. श्री आर० कोलान थाइवेलु } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
श्री के० टी० कोयलराम }

(क) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन के निर्माण के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लक्ष्यों के वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) लाइन के कब तक पूरा होने और चालू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) आशा है कि तिरुवन्तपुरम से नागरकोइल तक के परियोजना के पहले चरण का काम 1978 में पूरा हो जायेगा । इस परियोजना के

निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित मूल लक्ष्य की अपेक्षा कुछ विलम्ब हो गया है क्योंकि इसके लिए संसाधन समिति मात्रा में उपलब्ध है।

(ख) आशा है कि यह सम्पूर्ण लाइन मार्च, 1980 तक बनकर तैयार हो जायेगी तथा इस पर गाड़ियां चलने लग पड़ेगी।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स श्रमिक संघ के उप-प्रधान की हत्या

* 36. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के एक कर्मचारी श्री मिहिर कुमार डे० की, जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स श्रमिक संघ के उप-प्रधान भी थे, 21 जून, 1975 को हुई हत्या के बारे में जांच प्रारम्भ कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या इस मामले में किन्हीं अपराधियों को पकड़ा गया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में पुलिस ने 25 दिसम्बर, 1976 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट संख्या 47 पेश की थी और इस घटना को सही माना था।

(ग) जी नहीं।

RAILWAY BRIDGE OVER GANGA NEAR BHAGALPUR

*37. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme to construct a railway bridge over the Ganga river near Bhagalpur;

(b) if so, since when and the progress made in this regard;

(c) the factors necessitating the metre gauge line at Barari from Bihpur pending the construction of railway bridge over the Ganga; and

(d) whether his Ministry have received many representations about it from Bhagalpur Eastern Divisional Chamber of Commerce and other organisations and if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

(d) A representation was received from the Eastern Bihar Chamber of Commerce and Industries, Bhagalpur, requesting *inter alia* for construction of rail bridge. There is no proposal under consideration for construction of a rail bridge at Bhagalpur.

समान विवाह विधि

* 38. श्री बापू कालदत्ते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की विवाह विधियों में सुधार करने का है ;

- (ख) क्या इस प्रयोजन के लिये संविधान के अनुच्छेद 44 का सहारा लिया जायेगा;
 (ग) यदि नहीं, तो देश में समान विवाह विधि बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) से (ग) देश में समान विवाह विधि बनाए जाने की दृष्टि से विवाह विधियों में सुधार का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के समक्ष नहीं है :

EMPLOYMENT TO YOUTHS IN JAMALPUR RAILWAY WORKSHOP

†*39. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether twenty-two thousand workers were employed in Jamalpur railway workshop before the initiation of the Five Year Plans, whereas the strength has been reduced to 8 to 9 thousand workers after formulation of five Five Year Plans and if so, the reasons therefor :

(b) whether it is the only big railway workshop in Monghyr district which has local workers and skilled artisans;

(c) whether thousands of trained youths are without employment there and if so, Government's scheme therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) No, Sir. Jamalpur workshop never had a strength of anywhere near 22,000. Immediately before the First Five Year Plan the strength was 11,378. The present strength is 11,076.

(b) Yes Sir.

(c) So far 869 Apprentices have been trained under the Apprentices Act out of which only 182 are awaiting to be absorbed. Another batch of 723 is undergoing training. The qualified Act Apprentices are absorbed as skilled artisans in the Workshop after all the eligible semi-skilled and unskilled staff are trade tested and promoted.

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स स्थित कर्मचारी कैंटीन

* 40. डा० सरदीश राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोक सभा चुनाव के तुरन्त बाद से चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के उच्च अधिकारी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कर्मचारियों को भड़काने में सक्रिय थे ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कुछ अधिकारियों ने चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारी कैंटीन में जानबूझकर गड़बड़ कराने का प्रयास किया था जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बी० जी० पी० गोल्डन बीच रिजोर्ट, मद्रास

176. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी जी० पी० गोल्डन बीच रिजोर्ट, मद्रास तथा कुछ अन्य कम्पनियाँ उनके द्वारा लोगों को बेचे गये शेयरों पर लाभांश नहीं देती ह ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन कम्पनियों को या तो लाभांश देने या धन वापस करने के लिए बाध्य करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) बी० जी० पी० गोल्डन बीच रिजोर्ट लिमिटेड, 19-9-1973 को विनिगमित हुई थी। कम्पनी ने 30-6-1975 की वर्ष समाप्ति के मध्य, 2,93, 319 रु० हानि उठाई है, तथा 30-6-1975 तक इसकी कुल हानियां 4,70,259 रु० तक हो गई हैं। अतः इस कम्पनी के लाभांश घोषित करने की स्थिति में होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न में निर्देशित "अन्य कम्पनियों" की बाबत कोई सूचना देना संभव नहीं है, क्योंकि इन कम्पनियों के नाम नहीं दिये गये हैं।

(ख) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, सरकार के पास, कम्पनियों को लाभांश घोषित करने के लिये बाध्य करने की शक्ति नहीं है। हिस्सा पूंजी कम्पनी अधिनियम में प्राविधान के अनुसार, केवल परिसमापन की दशा में, अथवा हिस्सा पूंजी में कमी, की दशा में ही वापिस की जा सकती है।

शोलापुर चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज

(महाराष्ट्र) के अभ्यावेदन

177. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शोलापुर चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (महाराष्ट्र) द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियों सहित अप्रैल, 1977 में एक अभ्यावेदन मिला है,

(ख) सरकार ने उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है अथवा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है और कब तक, और

(ग) क्या सरकार उनके अनुरोधों को मानने में कठिनाई का अनुभव कर रही है और यदि हां, तो क्यों और ये कठिनाइयां कैसे और कब तक दूर की जाएंगी ?

रेल मंत्री (प्रो० मधुदंडवते) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शोलापुर मंडल के मशले सहित वर्तमान जोनल रेलवे के क्षेत्राधिकार की समीक्षा के लिए शीघ्र ही एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की जाएगी।

KHANDWA-DOHAD RAILWAY LINE

†178. SHRI RAMESHWAR PATIDAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the district advisory committee of the Khargona district of Madhya Pradesh submitted a proposal to the Central Government in 1973-74 regarding Khandwa-Dohad railway line; and

(b) if so, the action being taken thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) The proposal from District Advisory Committee Khargona District made in 1973-74 regarding Khandwa-Dohad railway line is not traceable. However, a reference from the President, Nimar District Congress Committee Khargona on the same subject was received through Madhya Pradesh Congress Committee, Bhopal in August 1975.

(b) On account of shortage of resources it had not been possible to consider the proposal for construction of Railway line from Khandwa to Dohad.

तेल का उत्पादन

179. श्री के० मायातेवर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) आगामी 10 वर्षों में तेल का उत्पादन बढ़ाने की क्या भावी योजनाएं तथा चरण हैं ;

(ग) आगामी दस वर्षों में तमिलनाडु में तेल का अनुमानित: कितना उत्पादन होगा; और

(घ) आगामी 10 वर्षों में तमिनाडु में तेल के क्या चरण हैं : ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1976-77 के दौरान में लगभग 8.9 मि० मी० टन क्रूड तेल खरीदा गया था।

(ख) वर्तमान सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1977-78 से 1983-84 तक निम्नलिखित उत्पादन होने का अनुमान है :—

वर्ष	उत्पादन (मि० मी० टन)
1977-78	11.3
1978-79	14.3
1979-80	15.6
1980-81	17.6
1981-82	19.6 प्रति वर्ष
1982-83	
1983-84	

वर्ष 1983-84 के बाद उत्पादन का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु में अभी तक किसी प्रकार के हाईड्रोकार्बन की खोज नहीं की गयी है। अतः वहां के लिए उत्पादन की कोई योजना नहीं बनाई जा सकती।

RAIL CONNECTION BETWEEN DOHAD, JHABUA, DHAR AND INDORE

†180. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a survey was conducted in the past few years for the construction of a new railway line connecting Dohad, Jhabua, Dhar and Indore; if so, whether Government have any proposal under consideration to take up the construction work on this line and the salient features thereof;

(b) whether the survey work on new railway line connecting Ratlam-Banswada-Dungarpur has been completed; and

(c) the names of lines and cities proposed to be linked by the Ratlam-Banswada railway line ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) No, Sir.

(b) Survey work for the proposed new line connecting Ratlam-Banswada with possibility of future extension upto Dungarpur has been completed.

(c) The proposed Ratlam-Banswada railway line will have the following important stations :

1. Dhamnod
2. Sailana
3. Sarwan
4. Danpur
5. Chandargarh (Seran)
6. Khoripepli

IN RAILWAYS

**PERCENTAGE OF S.C. IN DIFFERENT CATEGORIES OF RECRUITMENT
IN RAILWAYS**

†181. SHRI MANGALDEV VISHARAD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the total number of persons recruited in Railways in different categories during the period from January, 1974 to February, 1977 and the percentage among them of Scheduled Castes ?

THE MINISTER FOR RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : The position in regard to recruitment on Railways during the period 1-1-74 to 28-2-77 is given below :

Class I—Recruitment to Class I is made by the U.P.S.C.

Class II—Normally the vacancies in Class II are filled by promotion from Class III. Only in certain categories recruitment is made by U.P.S.C.

(1)	Class III		Class IV	
	Total recruited	Percentage of SCs	Total recruited	Percentage of SCs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Central Railway	3332	15.3	7964	21.2
Eastern Railway	1577	14.1	4529	42.2
Northern Railway	4739	25.7	3881	46.30
N. E. Railway	1451	15.7	2631	24.5
N. F. Railway	1545	16.8	2555	35.5
Southern Railway	1841	20.0	12219	23.8
S. C. Railway	1992	11.65	7106	19.5
S. E. Railway	2284	17.8	7394	18.5
Western Railway	2161	10.55	5424	10.5

CONSTRUCTION OF NEW RAILWAY LINES IN RAJASTHAN

- †182. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
- the amount provided for the construction of new railway lines in the current year;
 - the amount out of the aforesaid provision to be spent in Rajasthan; and
 - the salient features of the proposed new railway projects of the State ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDEVATE) : (a) The amount provided for construction of new railway line and restoration of dismantled line in the current year is 23.58 crores.

(b) Nil.

(c) Gauge conversion of Suratgarh-Bhatinda railway line falling in Rajasthan is in progress and conversion of Delhi-Ahmedabad, a major portion of which falls in Rajasthan has also been included in the Budget for 1977-78. A survey for new railway line from Bikaner to Chattargarh which will serve the Rajasthan Canal Area has also been included in the Budget for 1977-78.

NEW POLICY FOR LAYING AND EXTENDING RAILWAY LINES IN BUNDI, JHALAWAR, CHITTORGARH

†183. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have adopted a new policy for laying and extending railway lines in backward States; and

(b) if so, the reasons for not constructing new railway lines in Bundi, Jhalawar, Chittorgarh and other areas ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDEVATE) : (a) Yes, it is the policy of the Government to construct railway lines in backward areas of the country, where adequate traffic potential exists and their construction would lead to development of these areas.

(b) There is extreme shortage of funds which are insufficient even for completion of the projects already in hand. Due to shortage of funds it has not been possible to undertake railway lines in Bundi, Jhalawar, Chittorgarh and other areas.

WIDENING OF VIDISHA PEDESTRIAN RAILWAY OVERBRIDGE

†184. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether his Ministry has received a suggestion for the widening of Vidisha pedestrian Railway overbridge;

(b) whether any scheme for the widening of the overbridge is under consideration of the Central Railway; and if so, salient features thereof; and

(c) whether Government have under consideration any scheme for the construction of an overbridge at Vidisha railway station for vehicles also ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDEVATE) : (a) Representation have been received for the extension of foot overbridge at Vidisha, but not for its widening.

(b) The proposal for the widening of the foot overbridge at Vidisha from 8' to 12' was considered by the Central Railway on its own, but it was not found feasible as the structure of the existing foot overbridge is not safe to take the additional load.

(c) Yes. The Railway have under consideration a proposal for the construction of a road overbridge at Vidisha in replacement of the existing level crossing No. 270-B and a general layout plan for the same has been sent to the State Government of Madhya Pradesh for acceptance which is awaited. After the drawings, designs and estimates for the scheme are finalised and mutually accepted by the Railway and the State Govt., and subject to the availability of funds, the proposal will be considered for inclusion in the Railway's future Works Programme.

FACILITY OF FREE RAIL TRAVEL AND RAIL TRAVEL AT CONCESSIONAL RATES

*185. SHRI MRITYUNJAY PRASAD VERMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether the Railways provide the facility of free rail travel or rail travel at concessional rates during a specified period between specific stations or to all places to certain persons office bearers of public organisations and social workers who have no direct or indirect connection with Railway Administration or with travel facility to Railway passengers and if so, the rules governing the entitlement of this facility in 1967, 1972 and 1976?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Complimentary passes are issued with the approval of Minister to organisations/individuals who deserve them on the basis of the work that they are doing either for the Railways or the country. Such passes are issued for a limited period from the date of issue, not exceeding one year, depending upon the field of activity and the duration required therefor. While there has been no change in the policy, the number of such passes issued in the years 1967, 1972 and 1976 is as under:

1967	1972	1976
59	71	155

As regards rail travel concession, a note giving the requisite information is attached.

STATEMENT

The facility of concessional rail travel is also allowed to the delegates attending the annual conferences of certain All India bodies of Social, Educational and Cultural importance; the nature of concession being 15% in first class and 50% in second class.

As a matter of policy, while considering requests from such Organisations, the following factors are generally kept in view:—

- (i) The organisation should be of All India nature and not regional or provincial.
- (ii) The organisation should be of educational, cultural or social importance.
- (iii) It should not be political, religious or sectarian in approach.
- (iv) Generally only one All India Organisation in a particular field of activity is given the concessions and duplications are avoided.

The same policy with regard to the grant of concession to such bodies has been followed all these years excepting that during the year 1976, concession was also allowed in the following three cases as per the Minister's orders:—

- (1) to the delegates attending the National Conference of Block Youth Congress Presidents organised by the Indian Youth Congress at New Delhi. (August, 1976).
- (2) to the delegates of Indian Youth Congress attending the Meeting of the All India Congress Committee at Gauhati. (November, 1976).

- (3) to the delegates travelling from Howrah to Gauhati & back for participating in the Eastern Zone Convention of different National Forums of State Units organised by the Central Campaign Committee of A.I.C.C. at Gauhati during November, 1976.

उर्वरकों की उत्पादन लागत

186. श्री ए० वालाज्जनोर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उर्वरकों की कीर्ति उचित है जिससे समग्र रूप से कृषि के विकास में सहायता मिल सकती है :

(ख) यदि नहीं, तो उर्वरकों की उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उत्पादन लागत के बारे में कथित अध्ययन पूरा हो गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं और उर्वरकों की कीमत पर इसका प्रभाव कब तक पड़ने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) उर्वरकों के मूल्य जो अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि के कारण जून, 1974 में बढ़ाए गए थे वे उस समय कई बार कम किए गए हैं। उर्वरकों के मूल्य निर्धारित करने में देशी उत्पादों के उत्पादन की लागत और आधार मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। उर्वरकों के मूल्यों में समायोजन के अतिरिक्त कई कृषि उत्पादों के मूल्य भी समय समय से संशोधित किए गए थे। निवेश के मूल्यों और कृषि उत्पादों के समायोजन में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पादों पर इन मूल्यों के प्रभाव का भी ध्यान रखा जाता है।

(ख) (ग) और (घ) यद्यपि संयंत्र की कार्यकुशलता में सुधार लाने और उत्पादना लागत में कमी करने के लिए लगातार विभिन्न उपाय अपनाए जा रहे हैं। तथापि प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत मुख्यतः संयंत्र की मूल लागत, कच्चे माल की लागत और उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जाती है। उर्वरक संयंत्रों को निवेशों पर भी उचित वसूली की अनुमति देनी चाहिए। सरकार ने मूल्यांकन नीति की सिफारिश करने के लिए उर्वरक मूल्य समिति स्थापित की है जो निवेश पर उचित लाभ बनाए रखने को सुनिश्चित करेगी और इस समिति ने प्रत्येक उर्वरक संयंत्र में उत्पादन लागत का विस्तृत अध्ययन किया है। समिति ने अब नाइट्रोजन उर्वरक से सम्बंधित रिपोर्ट का भाग-I प्रस्तुत किया है। फस्फेटिक उर्वरक से सम्बंधित रिपोर्ट का भाग-II अर्थात् प्रस्तुत किया जाना है। समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय, सरकार बहुत मुख्य कृषि विकास को सुविधा देने के लिए किसानों को यथा सम्भव उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी।

भारत के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक बरास्ता ग्वालियर, शाहजहानपुर और पीलभीत रेलवे लाइन

187. श्री अर्जुन सिंह भवौरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बरास्ता ग्वालियर, शाहजहानपुर और पीलभीत एक रेलवे लाइन बनाने का है जिससे भारत के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक, विशेषकर बम्बई तक तेज गति वाली रेलगाड़ी की व्यवस्था की जा सके, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु बंडवते) : (क) और (ख) ग्वालियर और फर्रुखाबाद के बीच पहले से ही बड़ी लाइन उपलब्ध है। फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर तक और शाहजहांपुर से गोला गोकरणनाथ/मैलानी तक एक नयी रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्टें अभी रेलवे से प्राप्त नहीं हुई हैं। रिपोर्टों की प्राप्ति और उनकी जांच के बाद तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाएगा। शाहजहांपुर से पीलीभीत तक वर्तमान मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन, जो कि पीलीभीत और बम्बई के बीच सीधा संपर्क है, फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

TUBE RAILWAY SCHEME FOR DELHI

†188. SHRI UGGRASEN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the much awaited Tube Railway Scheme for Delhi has been dropped and the total expenditure incurred thereon so far as also the reasons for dropping it; and

(b) whether Government have any other scheme under their consideration in its place and if so, the details thereof and the expenditure to be incurred on the new scheme and the time by which it would be implemented ?

THE MINISTER FOR RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) and (b) A master plan for the mass rapid transit system for Delhi area comprising of 36 kms. of underground corridors and 97 kms. of surface corridors has been prepared by the Metropolitan Transport Project (Railways) Organisation, Delhi. It has not been possible to take up this major scheme on account of shortage of resources. However, estimate for a small phase scheme which envisages operation of EMU services on the Ring Railway is being estimated. This phase may take about 3 years to get completed when once it is approved.

Total expenditure of Rs. 179 lakhs has been incurred on survey work and investigations and other ancillary works of Mass Rapid Transit System upto 28-2-77.

फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स लिमिटेड ट्रावनकोर, केरल के कर्मचारियों से अध्यावेदन

189. श्री वयालार रवि : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स लिमिटेड ट्रावनकोर, केरल के कर्मचारियों ने हाल ही में अपनी शिकायतें दूर किये जाने के बारे में प्रबंधकों को कोई अध्यावेदन प्रस्तुत किया है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

धनबाद-पाथरडीह ब्रांच लाइन का सिंद्री तक बढ़ाया जाना

190. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान धनबाद-पाथरडीह ब्रांच लाइन यात्री सेवा को सिंद्री तक बढ़ाने के बारे में जनता की ओर से एक याचिका मिली है जिसका सम्बन्ध इस उद्योग समूह और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग एक लाख व्यक्तियों की चिरकालीन समस्याओं से है; और

(ख) यदि हां, तो जनता के हित के लिये रेलवे लाइन में विस्तार करने की वर्तमान सरकार की नीति के अनुरूप इन व्यक्तियों की समस्याओं को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) पत्थरडीह से सिन्दरी तक यात्री गाड़ियों को चलाने के लिए पत्थरडीह से सिन्दरी के बीच मार्ग की तथा सिन्दरी में यात्री टर्मिनल की व्यवस्था करनी होगी किन्तु इसके लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। सड़क यातायात को कुशल सेवाओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए यात्रियों को सिन्दरी जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं प्रतीत होती। इसलिए सिन्दरी तक यात्री यातायात की व्यवस्था को बढ़ाने का आर्थिक दृष्टि से औचित्य नहीं है।

EXPENDITURE-FREE-ELECTIONS

†191. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

- whether Government have received a scheme about "Expenditure-free-elections";
- if so, the salient features of the scheme; and
- the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. P. C. CHUNDER) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

रेलवे संस्थानों में निर्वाचित समितियां

192. श्री रोबिन सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स स्थित दोनों रेलवे संस्थानों में गत कार्यकाल से कोई निर्वाचित समितियां नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) फिलहाल इन में से किसी भी इंस्टीट्यूट में निर्वाचित समितियां नहीं हैं। दोनों इंस्टीट्यूट तदर्थ कार्यकारी समितियों द्वारा चलाये जा रहे हैं, जिनमें इंस्टीट्यूट के सदस्यों में से प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है।

(ख) इंस्टीट्यूट की कार्यकारी समितियों के चुनाव जो जून, 1976 में होने थे, जिला प्राधिकारियों के परामर्श पर स्थगित कर दिये गए थे। उनका यह दृढ़ मत था कि चुनाव कराने से शहर में कानून और व्यवस्था की गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी।

(ग) इन समितियों के चुनाव कब कराये जायें, इस संबंध में सिविल प्राधिकारियों के परामर्श से निर्णय किया जायेगा।

समस्त विश्व में भेषजों की बिक्री में भारत का हिस्सा

193. श्री के० मालना : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) समस्त विश्व में भेषजों की बिक्री में भारत का हिस्सा कितना है ;
- (ख) भारत में औषधियों तथा भेषजों का वर्तमान वार्षिक उत्पादन कितना है ;
- (ग) क्या यह देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है ; और
- (घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1975 के दौरान विश्व के भेषज विक्रय में भारत का भाग 1.25 प्रतिशत अनुमानित है ;

(ख) 1975 के दौरान भारत में प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों का उत्पादन क्रमशः 110 करोड़ रुपये और 570 करोड़ रुपये था ;

(ग) और (घ) पक्ष में औषध और भेषजों के क्षेत्र में आत्म निर्भरता नियमित रूप से बढ़ती जा रही है। 1972-73 से 1975-76 तक औषधों और भेषजों का आयात और निर्यात निम्न प्रकार था :—

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आयात	निर्यात
1972-73	35.04	10.33
1973-74	37.50	37.54
1974-75	45.60	43.12
1975-76	39.36	42.19

औषधों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार निरन्तर आधार पर औद्योगिक अनुमोदन द्वारा अतिरिक्त क्षमता की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है। औषध क्षेत्र में 1976-77 के दौरान 93 आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे।

परन्तु औषध उद्योग का कार्य इस प्रकार का है कि इसमें अप्रचलन अधिक मात्रा में होता है और न्यूनतम उत्पादों के विकास करने के लिए स्थिति पर काबू पाने के लिए निरन्तर ध्यान देने की सदा आवश्यकता रहती है।

देश में औषधों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तथा यथा संभव आयात पर निर्भरता को हटाने के लिए देश में नयी औषधियों के विकास के लिए अनुसंधान आधार के विकसित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मतदान आयु कम करने का प्रस्ताव

194. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मतदान की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने और इस प्रश्न पर पिछली सरकार द्वारा अब तक अपनाये गये रुख पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) यह विषय अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अन्तिम निर्णय लिए जाने में अभी कुछ और समय लगने की संभावना है।

INCREASE IN TICKETLESS TRAVELLERS

†195. SHRI JANESWAR MISHRA } : Will the Minister of RAILWAYS be pleased
SHRI NIHAR LASKAR }
to state :

(a) whether the number of ticketless travellers in Railways has registered an increase during the past three months; and

(b) if so, steps being taken by Government to check it ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) No.

(b) A statement showing steps taken to check ticketless travel on Railways is attached.

STATEMENT

The ticket checking organisation on Railways consists of :—

(1) Stationary Ticket Collectors who are posted at stations for manning the gates. They check the tickets of passengers entraining and collect the tickets of those detraining at their stations; and

(2) Travelling Ticket Examiners who check the tickets of passengers in running trains and work on their respective sections to prescribed programme.

Besides general checks by these staff, the following steps are taken to check ticketless travel :—

1. Special massive checks against ticketless travel are being conducted by mobilising a large force of ticket checking staff, Railway Protection Force, Government Railway Police and Local Police personnel under supervision of senior railway officers.

2. Joint drives against ticketless travel in co-ordination with the state governments.
3. Frequent concentrated surprise checks, especially by moving the checking parties accompanied by Railway Protection Force/Police and Railway Magistrates by road transport.
4. Incognito checks by travelling ticket examiners in plain clothes.
5. Replacement checks by headquarters and divisional ticket checking squads by intercepting the trains in mid-sections.
6. Deployment of ticket checking staff of one railway system for ticket checking on another system.
7. Educative propoganda against ticketless travel is carried out among the travelling public particularly among the student community.

नामरूप तथा गोरखपुर स्थित उर्वरक संयंत्रों के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

196. श्री मुकुन्द मंडल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम स्थित नामरूप उर्वरक कारखाने के चार कर्मचारियों तथा गोरखपुर स्थित उर्वरक संयंत्र के छः कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में परेशान किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) नामरूप उर्वरक कारखाने के चार कर्मचारियों को मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। इनको अब सेवा में निरंतरता तथा वरिष्ठता के लाभों के साथ बहाल किया गया है।

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र के 6 कर्मचारियों को अनुपस्थिति के कारण सेवा-मुक्त किया था। इनमें चार कर्मचारियों पर एक हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है और उनकी पुनः नियुक्ति के लिए कोई विचार नहीं किया गया है। शेष दो व्यक्तियों में से एक को पुनः नियुक्त किया गया है और दूसरे के केस में एफ० सी० आई० द्वारा विचार किया जा रहा है।

विभिन्न लोगों को निःशुल्क रेलवे पास जारी किया जाना

197. श्री मधु लिमये : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार के अधीन रेलवे बोर्ड विभिन्न लोगों को निःशुल्क रेलवे पास जारी करता था,

(ख) यदि हाँ, तो कितने पास जारी किये गये और उनके अंतर्गत किस श्रेणी की निःशुल्क रेलवे यात्रा की अनुमति दी गई थी ;

(ग) क्या नयी सरकार ने इस बीच ये पास बिलकुल रद्द कर देने अथवा इनको देने के लिये नये मानदंड निर्धारित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में किए गये निर्णय का व्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां, मंत्री जी के अनुमोदन से मानार्थ पास जारी करने की परिपाटी थी।

(ख) पासों की संख्या	पास की श्रेणी
228	प्रथम दर्जा
41	द्वितीय दर्जा।

(ग) इस बात की हिदायतें जारी की गयी हैं कि पुराने मानार्थ पासों की तारीख समाप्त होने पर उन्हें पुनः जारी न किया जाये। पुराने पासों को पुनः जारी करने तथा नये पास देने के बारे में प्रतिमान तथा मानदण्ड निर्धारित किये जा रहे हैं जिनके आधार पर ही ऐसा किया जायेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

COMPLAINTS ABOUT BOGUS COMPANIES

198. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of complaints received by him during the period from 26-3-77 to 15-5-1977 along with the letters of Members of Parliament regarding bogus companies; and

(b) whether C.B.I. inquiry was ordered in this regard ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. P. C. CHUNDER) : (a) It is not clear what the Hon'ble Member means by the words "bogus companies". No complaints have been received against bogus companies taken in the sense of companies which are sham or spurious ones.

(b) Does not arise.

हजारीबाग नगर के लिए रेल-सम्पर्क

199. डा० बी० एन० सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग नगर को रेल लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए, जो खनिजों से भरपूर है; रेलवे लाइन बिछाने का कार्य इस वर्ष शुरू हो जायेगा और यह कार्य कब पूरा हो जाने की आशा है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) रांची रोड से हजारी बाग टाउन और हजारी बाग टाउन से हजारी बाग रोड तक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए टोह इंजीनियरी एवं याता-यात सर्वेक्षण कर लिये गये हैं। प्रस्तावित लाइन लगभग 118 किलोमीटर लम्बी होगी और इस पर वर्तमान मूल्यों के अनुसार लगभग 20 करोड़ रुपये लागत आने की संभावना है। इस

लाइन पर पर्याप्त यातायात होने की संभावना नहीं है और इसे लाभप्रद नहीं पाया गया। कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए, फिलहाल इस परियोजना का निर्माण-कार्य हाथ में लेना संभव नहीं है।

हजारी बाग टाउन से कोडरमा के रास्ते रांची रोड से गिरिडीह तक एक नयी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव 1977-78 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

INDORE-DOHAD RAILWAY LINE

†200. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the long standing demand of the people in respect of Indore-Dohad railway line;

(b) whether this railway line has been found uneconomical although it is very necessary from the point of view of the development of this adivasi region;

(a) whether the Railway Board gave its approval in 1974 for restoration of Rodhopur-declared policy of the present Government; and

(d) if so, the present reaction of Government to the line referred to in part (a) ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) and (b) Yes.

(c) and (d) There is great paucity of funds for new lines. The question of taking up more new lines and funds therefor will be a matter for discussion with Planning Commission.

RESTORATION OF RODHOPUR-NIRMALI AND PRATAPGANJ-BHIMNAGAR RAILWAY LINES

†201. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Railway Board gave its approval in 1974 for restoration of Rodhopur-Nirmali and Pratapganj-Bhimnagar railway line in the Samastipur Division;

(b) whether a survey for a new railway line connecting Simri-Bakhtiyarpur-Bihariganj, Saharsa-Maheshi and Dauram, Madhepura-Sindheshwar of the same division was completed in 1974 and the then Minister declared decision to implement the survey report immediately; and

(c) by what time the Government propose to complete this line ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Raghapur-Saraigarh section which forms a part of Saraigarh-Pratapganj has already been restored. Surveys for restoration of Nirmali-Saraigarh and Pratapganj-Bhimnagar sections were ordered in 1974 and have since been completed.

(b) Yes, a survey for construction of new railway line from Simri Bakhtiyarpur to Bihariganj and from Dauram Madhepura to Sigheshwar-Asthan was ordered in 1974. A Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for a new MG line from Saharsa to Tarapith Mahishi was sanctioned in 1976. No information is available about the then Minister's announcement about the immediate implementation of these projects.

(c) Decisions about the construction of the lines will be taken after the survey reports are examined, taking into account the availability of resources.

चितरंजन टाउनशिप को "सुरक्षित क्षेत्र" घोषित किया जाना

202. श्री समर मुखर्जी: क्या रेल मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चितरंजन टाउनशिप को 'सुरक्षित क्षेत्र' घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस आदेश को वापस लेने पर विचार कर रही है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) जी हां।

(ख) ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समयेचित था और साथ ही इस स्थान की सुरक्षा के लिए भी ऐसा करना हितकर था ताकि अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोका जा सके।

(ग) जी नहीं।

एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की गई स्मारिकाएँ

203. डा० मुरली मनोहर जोशी: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1975-76 और 1976-77 के वर्षों में एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की गई स्मारिकाओं में कुछ कम्पनियों ने विज्ञापन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस राजनीतिक दल को विज्ञापन प्राप्त हुए, किन-किन कम्पनियों ने विज्ञापन दिये और इस अवधि में प्रत्येक कम्पनी द्वारा विज्ञापन के लिये कितनी राशि दी गई;

(ग) क्या आयकर विभाग ने आयकर से इस राशि की छूट की घोषणा करते हुए एक परिपत्र जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परिपत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी; और

(ङ) क्या इन कम्पनियों ने किसी कानून का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन दिये हैं और यदि हां, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर): (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) मांगे गये पूर्ण विवरण अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) स्मारिकाओं में विज्ञापन हेतु समय-समय पर प्रत्यक्षकरों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा तीन परिपत्र जारी किये गये हैं, जिनकी प्रतियां परिपत्र संख्या 19 दिनांक 13-6-1969 संख्या 200 दिनांक 28-6-1976 और संख्या 203 दिनांक 16-7-1976 संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। दखिय संख्या एल० टी० 333/77]।

(ङ) ऐसी कार्यवाही जो आवश्यक पाई गई, पूर्ण विवरण, जो मांगे गये है, के प्राप्त होने पर की जाएगी।

विशाखापत्तनम में तेल-शोधक कारखाने का विस्तार

204. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशाखापत्तनम में तेल-शोधक कारखाने का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम स्थित कालटेक्स शोधनशाला का विस्तार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास नहीं है जिसका अधिग्रहण सरकार द्वारा 30 दिसम्बर, 1976 को किया गया है। तथापि इस शोधनशाला में कुछ संशोधन किये गये हैं ताकि यह शोधनशाला बम्बई हाई क्रूड का भी शोधन कर सके।

हुबली-करवार रेल लाइन का सर्वेक्षण

205. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में हुबली-करवार रेल लाइन का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना के लिये भूमि तथा स्लीपर निःशुल्क देने की पेशकश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रगति का व्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस लाइन के निर्माण का औचित्य मुख्यतः करवार पत्तन से होते हुए बेल्लारी हासपोट क्षेत्र से लौह अयस्क के निर्यात के लिये, और विजयनगर इस्पात कारखाने में काम शुरू होने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले यातायात के लिये था। चूंकि करवार पत्तन के रास्ते लौह अयस्क के निर्यात की योजना पर ठोस प्रगति नहीं हुई और प्रस्तावित इस्पात कारखाने ने भी अधिक प्रगति नहीं की, इसलिये अभी तक इस लाइन के निर्माण को अनुमोदित नहीं किया गया है। तथापि, अब तक हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना का नये सिरे से मूल्यांकन करने के आदेश दिये गये हैं।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल शंटर और विद्युत रेल-इंजनों का निर्माण

206. श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में प्रति माह कितने डीजल शंटर और विद्युत् रेल इंजन बनाये जाते हैं ;

- (ख) प्रति रेल-इंजन की लागत क्या है; और
 (ग) प्रति रेल इंजन का बिक्री मूल्य क्या है ?
 रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) :

(क) प्रति माह उत्पादन :	
डीजल शंटर	2.25 रेल इंजन
बिजली रेल इंजन	2.25 रेल इंजन
	5.00 रेल इंजन
(ख) प्रति रेल इंजन लागत : -	
डीजल शंटर	28 लाख रुपये
बिजली रेल इंजन	
ए० सी०/एम० टी०	45 लाख रुपये
ए० सी०/डी०सी०	54 लाख रुपये

(ग) रेलों के अपने उपयोग के लियं बनाये गये रेल इंजनों का अन्तरण मूल्य न लाभ न हानि के आधार पर होता है ।

कलकत्ता के लिए भूमिगत रेलवे

207. श्री सुशील कुमार धारा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;
 (ख) यह निर्माण-कार्य किन चरणों में किया जायेगा और यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है; और
 (ग) क्या कलकत्ता के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी भूमिगत रेलवे बिछाने संबंधी प्रस्ताव हैं, यदि हां तो सरकार किन-किन नगरों में ऐसा करना चाहती है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) कलकत्ता में दमदम-टालीगंज भूगत रेलवे पर काम में आज तक कुल मिलाकर 11% प्रगति हुई है ।

(ख) प्रायोगिक योजना के अनुसार यह लाइन कुल मिलाकर लगभग 11 किलोमीटर लम्बी दो भागों में बनानी है अर्थात् उत्तर में दमदम से स्याम बाजार और दक्षिण में एस्प्लेनेड से टालीगंज तक ।

यह काम 1986 तक पूरा हो सकता है बशर्ते इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों ।

(ग) कलकत्ता की दमदम-टालीगंज भूगत परियोजना को छोड़कर किसी भी महानगर में भूगत रेलवे के निर्माण के लिये अभी तक कोई भी योजना अनुमोदित नहीं की गयी है । लेकिन, बम्बई, दिल्ली और मद्रास के लिये व्यापक द्रूत पारवहन सुविधाओं के लिये सर्वेक्षण/अध्ययन किये गये हैं । बम्बई से एक लघु योजना, जिसमें बांदरा में फ्लाईओवर और कुछ दूसरे सहायक निर्माण-कार्य शामिल हैं, को त्रियान्वित करने का काम शुरू कर दिया गया है ।

तेल के मूल्य में वृद्धि

208. श्री डी० वी० चन्द्र गौडा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 में तेल के मूल्य में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसका भारत की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन के साथ भारत सरकार ने क्या भूमिका निभाई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : जी हां। डोहा कातर में 15 से 17 दिसम्बर, 1976 को हुए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सम्मेलन की 48 वीं बैठक में कच्चे तेल के मूल्यों के सम्बन्ध में एक दोहरी मूल्य पद्धति को लागू करने के निर्णय लिये गये थे, जोकि 1 अक्टूबर, 1975 से हुई वृद्धि से अवरुद्ध रहे हैं। जहां साउदी अरब और संयुक्त अरब गणराज्य ने अपने कच्चे तेल के मूल्यों में 1 जनवरी, 1977 से 5 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का निर्णय किया वहां अन्य 11 ओ०पी० ई० सी सदस्य देशों ने प्रति बैरल 11.51 डालर (मार्च कच्चे तेल का भूतपूर्व मूल्य) के मूल्य में 1 जनवरी, 1977 से वृद्धि करके प्रति बैरल 12.70 डालर तक और 1 जुलाई, 1977 से प्रति बैरल 13.30 डालर तक वृद्धि करने का निर्णय किया।

1 जनवरी 1977 से लागू कच्चे तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 1976-77 के जनवरी-मार्च, 1977 की अंतिम तिमाही के दौरान कच्चे तेल के आयात हेतु 24.00 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ी।

भारत ने ईराक, ईरान, संयुक्त अरब गणराज्य, कुवैत और साउदी अरब के साथ द्विपक्षीय सहयोग प्रबन्ध किये हुए हैं। बहु पक्षीय क्षेत्र में भारत ने गैर-जानिवदार अभियान की विभिन्न बैठकों में ओ०पी० ई० सी० देशों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम किया है। तेल मूल्य सम्बन्धी प्रश्न एक ऐसी समस्या थी जोकि पेरिस में हुए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के सम्मेलन की चर्चाओं में विचाराधीन थी। भारत ने तेल मूल्यों में हुई वृद्धि के समय तेल आयात विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त विशिष्ट एवं औपचारिक उपाय करने की आवश्यकता के लिये उन पर दबाव डाला। यद्यपि तेल के मूल्यों पर कोई समझौता नहीं हुआ था, फिर भी हमारी समस्याओं और हितों को अब बेहतर तरीके से समझा जा रहा है और उन्हें सराहा जा रहा है।

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या

209. श्री एस० आर० दामाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है और यह संख्या गत दो वर्षों की तुलना में कैसी है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में सूचना मिली है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में इस वर्ष के प्रारम्भ में ही पुनः वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु बंडवते)

विवरण

(क) 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान भारतीय रेलों पर बिना टिकट पकड़े गये यात्रियों की संख्या नीचे दी गयी है।

वर्ष	बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकट से यात्रा करते पाये गये व्यक्तियों की संख्या
1974-75	16,86,649
1975-76	23,39,161
1976-77	24,46,478

(ख) जी नहीं

(ग) रेलों पर टिकट जांच संगठन में निम्नलिखित शामिल होते हैं :—

- (1) स्थायी टिकट कलेक्टर जिन्हें स्टेशनों के द्वार पर तैनात करने के लिये नियुक्त किया जाता है। वे गाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों के टिकटों की जांच करते हैं और स्टेशनों पर गाड़ी से उतरने वाले यात्रियों के टिकट एकत्रित करते हैं; और
- (2) चल टिकट-परीक्षक जो चलती गाड़ियों में यात्रियों के टिकटों की जांच करते हैं और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने-अपने खण्डों पर काम करते हैं।

इन कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली साभान्य जांच के अतिरिक्त बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :—

1. वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के पर्यवेक्षण में टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के कर्मचारियों के बड़े दल संगठित करके बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध विशेष प्रभावशाली रोकथाम की जाती है।
2. बिना टिकट यात्रा के खिलाफ राज्य सरकारों के साथ समन्वय में संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं।
3. यदा-कदा संकेन्द्रित अचानक छापे, विशेष रूप से चल जांच दलों द्वारा ये छापे सड़क परिवहन द्वारा यात्रा करके मारे जाते हैं। इन दलों में रेल सुरक्षा दल/पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं।

4. चल टिकट परीक्षक द्वारा सादी पोशाक में गुप्त रूप से जांच।
5. मुख्यालय और मंडल टिकट जांच दलों द्वारा मार्गवर्ती खंडों पर गाड़ियों को बीच में रोक कर प्रतिस्थापन जांच।
6. एक रेलवे के जांच कर्मचारियों को दूसरी रेलवे पर लगाना।
7. यात्री जनता में विशेषकर विद्यार्थी समुदाय बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शैक्षणिक प्रचार किया जाता है।

**TRANSPORTATION OF COTTON BALES BY RAILWAYS FROM STATIONS IN
GANGANAGAR DISTRICT**

210. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether about 3½ lakhs cotton bales are produced every year in Raisingh Nagar, Gajsinghpur, Srikaranpur, Kesrisinghpur, Shriganga Nagar, Sadulshahr, Hanumangarh, Pilibangah Sangaria and other places in Ganganagar district of Rajasthan;

(b) whether the cotton bales received by the railways out of the aforesaid production for transportation during 1976-77 season were far less in quantity as compared to the quantities received in the previous years and if so, the reasons therefor;

(c) whether the cotton traders are dissatisfied with the services of the Railway department and show preference to road transport; and

(d) the efforts being made by the Railways for increasing cotton transportation by the Railways during the year 1977-78 and the quantity of cotton bales likely to be received as a result thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) Yes.

(b) & (c) During 1976-77, 1.11 lakh bales cotton were lifted by rail as against 2.31 lakh bales in 1975-76. The decline in rail movement in 1976-77 was not due to the dissatisfaction of the services rendered by the Railways but on account of other factors, such as, less production and consequent ban on export of cotton, more import of cotton to meet requirements of textile mills and limit in holding of stock by textile mills for a period of six weeks as against no-limit previously and holding of more unsold stocks with Cotton Corporation of India and private traders as compared to 1975-76.

(d) Efforts continue to be made to move more and more cotton traffic by rail. Some of the steps taken in this regard are, supply of wagons on a very high priority, close liaison with trade by holding frequent meetings and the removal of irritants in the clearance of cotton by rail, such as, relaxation in respect of registration of CRT type wagons, permitting booking via dearer route facilitating faster movement avoiding transshipment points. In order to further improve the rail movement of cotton during the coming season, cotton wagons are being scheduled to be hauled by direct super fast trains on the trunk routes.

It is premature to forecast the quantity of cotton bales likely to be received by the Railways in 1977-78, as this would depend upon current production, directives of the Government in regard to cotton trade, holding of stocks by the textile mills etc., which will affect the quantum of cotton that will be offered by the trade to the Railways for movement.

मई, 1977 में रद्द की गई रेल गाड़ियां

211. श्री मुक्तियार सिंह मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मई, 1977 में जोधपुर, दिल्ली बीकानेर और जयपुर डिब्बेजनों में यात्री यातायात स्थगित करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कितनी माल तथा यात्री रेल गाड़ियां रद्द की गई थीं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी धनराशि की हानि हुई?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : 15 जोड़ी यात्री गाड़ियां लोको रनिंग कर्मचारियों की सामूहिक अनुपस्थिति के कारण और 10 जोड़ी यात्री गाड़ियां दुर्घटना के कारण 1 से 9 दिन तक रद्द की गयी थीं।

295 मालगाड़ियां भी जोधपुर और जयपुर मंडलों में लोको रनिंग कर्मचारियों की सामूहिक अनुपस्थिति के कारण रद्द की गई थीं।

(घ) अनुमानित हानि लगभग 18.69 लाख रुपये की हुई।

रेलवे में सेवा-निवृत्ति के बाद सेवावधि का बढ़ाना बन्द किया जाना

212. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का रेलवे के सभी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के बाद उनकी सेवावधि न बढ़ाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो ऐसे मामले को छोड़कर किसी भी रेल कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की आयु के बाद उसकी सेवा-अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी।

विगत हड़तालों के दौरान बर्खास्त किए गए रेलवे कर्मचारियों का बहाल किया जाना

213. श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत हड़तालों के दौरान बर्खास्त किये गये रेल कर्मचारियों को बहाल किया गया है ;

(ख) यदि हां तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा अभी कितने कर्मचारियों को बहाल किया जाना है ;

(ग) क्या बर्खास्तगी और बहाल करने के बीच की अवधि ड्यूटी अवधि मानी जायेगी और उन्हें इस अवधि का वेतन दिया जायेगा और यदि हां, तो ऐसे वेतन के रूप में कितना व्यय आयेगा ; और

(घ) क्या बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को बहाल करने के कारण वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी और यदि नहीं, तो उनको किस प्रकार खपाया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) :

विवरण

स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य के मस्तिष्क में मई, 1974 की रेल कर्मचारियों की हड़ताल में संबंधित मामले हैं जिनके लिये हाल ही में विशेष आदेश जारी किए गए हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है :—

भाग (क) और (ख)

1. स्थाई और अस्थायी कर्मचारी

28-2-1977 को 627 बर्खास्त कर्मचारियों में से, 611 पहले ही नौकरी पर बहाल हो गए हैं। शेष 16 में से :—

- (i) 1 की मृत्यु हो गयी है।
- (ii) 3 आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं।
- (iii) चार पर कत्ल के अभियोग में मुकदमा चल रहा है और उन्हें बहाल किए जाने के पश्चात निलम्बित कर दिया है। उनके मामलों में अन्तिम निर्णय केवल फसला दिए जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है,
- (iv) 2 व्यक्तियों के बारे में कोई पता ठिकाना नहीं है, और
- (v) 6 व्यक्ति ड्यूटी पर नहीं आए यद्यपि उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए गए हैं, और इसकी सूचना उन्हें दे दी गयी है।

2. नैमित्तिक श्रमिक/बदलोदार

28-2-1977 को बर्खास्त किए गए 5,161 में से 4,609 व्यक्ति पहले ही नौकरी पर आ चुके हैं, शेष 552 में से :—

- (i) 1 की मृत्यु हो गयी है,
- (ii) 110 व्यक्तियों का कोई पता ठिकाना नहीं है, और
- (iii) 441 व्यक्ति अभी तक ड्यूटी पर नहीं आए। यद्यपि उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसकी सूचना उन्हें दे दी गयी है।

3. उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, इन व्यक्तियों को ढूँढ निकालने के लिये रेलवे कर्मचारी संगठनों को भी सहयोग के लिये कहा गया है।

4. निलम्बन

28-2-1977 को निलम्बित किए गए 53 कर्मचारियों की तुलना में उपरोक्त (III) के अधीन 4 कर्मचारियों सहित निलम्बित कर्मचारियों की संख्या घटकर 15 रह गयी है। इन 15 व्यक्तियों पर कत्ल के अभियोग में मुकदमा चलाया जा रहा था और उनकी बहाली के प्रश्न पर केवल उसी समय विचार किया जा सकता है जब उनके विरुद्ध चलाए जा रहे अदालती मामलों का अन्तिम निर्णय हो जाय।

भाग (ग)

स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों के मामलों में सेवा समाप्त किए जाने नौकरी से निकाले जाने की तारीख से बहाली की तारीख तक की अवधि को वेतनवृद्धि दिये जाने, बहाली के लाभ आदि के लिये ड्यूटी पर माना जायेगा और उन्हें नियमानुसार उस अवधि के लिए जीवन-निर्वाह भत्ते के बराबर वेतन और भत्तों का भुगतान किया गया है।

नैमित्तिक श्रमिक और एवजीदार केवल दुबारा नौकरी पर बुलाए जाने की तारीख से भुगतान के पात्र होंगे।

अतिरिक्त वित्तीय फलितार्थ लगभग 132 लाख ₹० होगा।

(घ) बहाली किये जाने के फलस्वरूप कोई भी सेवा से न निकाला जाय, इसके लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए गए हैं। रेलों को जारी की गयी हिदायतों के अनुसार मौजूदा रिक्त स्थानों और जहां-कहीं अपरिहार्य हो, अस्थायी उपाय के रूप में अतिरिक्त पदों का सृजन करके इनका समंजन भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों के साथ कर दिया जायेगा।

CONVERSION OF LUCKNOW-SAMASTIPUR LINE INTO BROAD GAUGE

‡214. SHRI RAMJIWAN SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the work in respect of converting the Lucknow-Samastipur railway line into broad gauge line will be expedited; and

(b) when this work is likely to be completed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) and (b) The work on the conversion of Barabanki-Samastipur line to broad gauge is being done expeditiously with the available resources. The project is expected to be completed in about three years at the rate at which funds are being allotted at present.

आसाम में रेलवे लाइनों का निर्माण

215. श्री निहार लास्कर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम में नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन नई लाइनों के नाम क्या हैं जिन पर आगामी दो वर्षों में काम आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) उसमें कुल खर्च कितना होगा ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) (ख) और (ग) : न्यू बोंगाई गांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन के विस्तार का कार्य पहले ही प्रगति पर है। असम में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पड़ने वाली निम्नलिखित नयी लाइनों का सर्वेक्षण या तो पूरा हो चुका है या इस समय प्रगति पर है :—

1. सिल्चर-जीरीबाम रेल सम्पर्क
2. जोगीधोपा/पंचरत्ना-दारागिरि बड़ी लाइन रेल सम्पर्क
3. बालीपुरा-भालुक पोंग मीटर गैज लाइन सम्पर्क

4. गुवाहाटी-बरनीहाट बड़ी लाइन रेल सम्पर्क
5. गुवाहाटी-दूधनाई सम्पर्क
6. लालघाट-लाल बाजार-सैरंग सम्पर्क
7. मुरकांग सेलक-पासीघाट
8. टिपलिंग-इटानगर सम्पर्क
9. अमगुडी-तुली रेल सम्पर्क
10. तेजपुर-भोमोरगुडी का विस्तार

संसाधनों की वर्तमान भारी कमी के कारण और अधिक निर्माण-कार्यों के लिए व्यवस्था करना उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक कोई परियोजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित न हो जाये और उनके द्वारा विकास के विचार से अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना सुनिश्चित न कर दिया जाये। इसलिए, इन परियोजनाओं को अगले दो वर्षों में हाथ में लेने और उनपर होने वाले खर्च आदि के बारे में कहने का अभी समय नहीं है।

PROPOSAL TO MAKE JUSTICE CHEAP

*216. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to make justice cheap and easily available to the common man; and

(b) if so, the salient features of this proposal and the time by which it is likely to be implemented ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. P. C. CHUNDER) : (a) & (b) It is the intention of the Government to make justice cheap and easily available to the common man. No specific proposal is under consideration at present. The matter is under examination by a Committee appointed by the Government where Justice P. N. Bhagwati of Supreme Court is the Chairman and Justice V. R. Krishna Iyer is the Member. Speedy action will be taken on receipt of the report of the Committee.

बम्बई हाई में कुओं की खुदाई

217. श्री एफ० पी० गायकवाड़ : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अशोधित तेल के लिए समुद्र तट से दूर खोज करने और उसका उत्पादन करने के लिए बम्बई हाई संरचना में, जो ओखा से कोंकण के बीच संपूर्ण कान्टिनेंटल शेल्फ तक फैला हुआ है, कितने कुओं की खुदाई की है ;

(ख) वर्ष 1976-77 के अन्त तक तथा आगामी पांच वर्षों के दौरान कितने नये कुओं की खुदाई करने का प्रस्ताव है ;

(ग) प्रत्येक संरचना का क्या नाम है तथा बम्बई हाई के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी कितनी है ; और

(घ) प्रत्येक कुएं से तेल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है और नये कुओं से अनुमानतः कितना उत्पादन होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 49 ।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान 24 कुएं खोदे गये थे। वर्ष 1977-78 में इस क्षेत्र में 38 कुएं खोदने का प्रस्ताव है, भावी वर्षों का कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में खुदाई कार्य के परिणामों पर आधारित होगा।

(ग) यह सूचना देनी जनहित में नहीं है।

(घ) वर्तमान 8 "उत्पादन कुओं" से वार्षिक उत्पादन पर लगभग 1.75 मि० मी० टन है। वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान इस दर को क्रमशः 2.50 तथा 4.75 मि० मी० टन करने की योजना है।

लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर सीमेंट कांक्रीट के स्लीपरों का लगाना

218. श्री पी० के० देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर पूर्व प्रतिबलित सीमेंट कांक्रीट के स्लीपर लगा रही है ;

(ख) यदि हां, तो देश में सभी रेलवे में इसकी वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ग) रेलवे को इस समय कौन से स्पलायर इन पूर्व प्रतिबलित सीमेंट कांक्रीट स्लीपरों की सप्लाई कर रहे हैं तथा प्रत्येक फर्म वर्ष में कितनी सप्लाई करती है; और

(घ) ब्राड गेज और मीटर गेज लाइनों के लिए ऐसे प्रत्येक स्लीपर का मूल्य कितना है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं। तेज रफ्तार वाली और अत्यन्त व्यस्त बड़ी लाइन के लम्बे वाले मार्ग पर कांक्रीट के स्लीपरों का उपयोग करने की योजना है। लकड़ी के स्लीपर भी अधिकतम सीमा तक जब तक के देश के अन्दर उपलब्ध होते हैं, उपयोग में लाये जा रहे हैं।

(ख) फिलहाल प्रतिवर्ष 2.0 से लेकर 2.25 लाख स्लीपरों की जरूरत होती है जो लगभग 4-5 वर्षों में क्रमशः बढ़कर प्रतिवर्ष 7 लाख हो सकती है।

(ग) यद्यपि देश के विभिन्न भागों में स्थित 9 फर्मों को प्रबलित कांक्रीट स्लीपर की सप्लाई करने के बारे में ठेके दिये गये हैं लेकिन वास्तव में केवल 5 फर्म ही सप्लाई कर रही हैं और शेष चार फर्मों को अभी उत्पादन शुरू करना है। एक सूची संलग्न है जिसमें आर्डर किये गये स्लीपरों की मात्रा और प्रत्येक आर्डर के मुकाबले प्रत्येक फर्म द्वारा प्रतिवर्ष सप्लाई किये गये स्लीपर दिये गये हैं।

(घ) लचीली जुड़नारों सहित बड़ी लाइन के लिए प्रति कांक्रीट स्लीपर का मूल्य 255 रु० है एक स्पलायर को दिया जाने वाला प्रति स्लीपर औसत मूल्य 140 रु० बैठता है। इस समय मीटर लाइन के लिए कोई कांक्रीट स्लीपर इस्तेमाल नहीं किया जाता।

विवरण

किससे सप्लाई मिली	कितने स्ली- परो का	डेके के अनु- सार सम्म- वित्त औसत वार्षिक सप्लाई	कितनी मात्रा में सप्लाई हुई				
			मार्च '74	74-75	75-76	76-77	मार्च '77 टिप्पणी तक
मैसर्स दया इंजीनियरिंग वर्क्स, गया	2,25,000	50,000	7386	12574	21422	8395	49,795
मैसर्स इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी, झांसी	3,52,671	75,000	--	7650	31332	26108	66,479
मैसर्स हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली	1,20,000	50,000	3338	17259	37921	33996	95,804
मैसर्स मैसूर स्ट्रुचरल्स लि०, हैदराबाद	2,15,000	50,000	--	--	--	20249	20,249
मैसर्स कंक्रिट प्रोडक्ट्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन कं० मद्रास	2,25,000	50,000	276	1761	14777	31178	47,992
मैसर्स सत्यनारायण ब्रादर्स, बुधनी	2,05,000	50,000	--	--	--	--	-- अभी उत्पादन शुरू होना है।
मैसर्स उषा पोस्टैस्ड स्लीपर उद्योग, भरतपुर	2,25,000	50,000	--	--	--	--	-- "
मैसर्स उड़ीसा कंक्रिट प्राडक्ट्स, झारसुगुडा	1,00,000	30,000	--	--	--	--	-- "
मैसर्स जय प्री-स्टैस्ड प्रोडक्ट्स, कोसी कलां	1,00,000	30,000	--	--	--	--	-- "
				जोड़			2,80,319

उच्च न्यायालय के स्थानान्तरित न्यायाधीश

219. श्री हरि विष्णु कामत : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान उच्च न्यायालय के स्थानान्तरित किये गये कितने न्यायाधीशों ने 24 मार्च, 1977 से अपने पहले वाले उच्च न्यायालय में वापस भेजे जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके अनुरोधों को स्वीकार कर लिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री पी० सी० चुन्दर) : (क) 21 मार्च, 1977 से उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों ने, जिनका आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानान्तरण किया गया था, पहले वाले उच्च न्यायालय में अपने पुनः स्थानान्तरण का अनुरोध किया है।

(ख) सरकार उनके अनुरोध पर विचार कर रही है।

गुरुव्यू-कुट्टीपुरम रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण

220. श्री बी० एम० सुधीरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुरुव्यू-कुट्टीपुरम रेल लाइन के सर्वेक्षण के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु मदनडवते) : गुरुव्यू के रास्ते त्रिचूर से कुट्टीपुरम तक एक रेल लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

PROPOSAL FOR SETTING UP OF A FERTILIZER PLANT IN GANGANAGAR

221. CHAUDHARI HARI RAM MAKKASAR : Will the Minister of PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a fertilizer plant in Ganganagar; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up there ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) There is at present no proposal to set up a fertilizer plant in Ganganagar.

(b) Does not arise.

तालचर (उड़ीसा) में उर्वरक का कारखाना तथा नगर का निर्माण करने के बारे में अन्तिम प्राक्कलन

222. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तालचर (उड़ीसा) में उर्वरक कारखाना, सड़कों तथा जल आपूर्ति आदि सहित नगर का निर्माण करने के बारे में अन्तिम प्राक्कलन क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : तालचर में उर्वरक संयंत्र की लागत जिसमें नगर निर्माण, सड़कें तथा पानी की सप्लाई के लिए 5.79 करोड़ रुपये शामिल हैं, का वर्तमान अनुमान 174.12 करोड़ रुपये है। ये अनुमान इस आधार पर है कि परियोजना 1 अप्रैल 1978 को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर देगी।

COMPLETION OF HASANPUR-SAKRI RAILWAY LINE

†223. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is proposed to complete the construction work of the railway line, inaugurated by the late Railway Minister, Shri Lalit Narain Mishra, between Hasanpur and Sakri on North-Eastern Railway in Bihar; and

(b) if so, the time by which it is to be completed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes.

(b) Owing to the extreme shortage of funds, an outlay of only Rs. 5.0 lacs has been proposed for this work in the Budget for 1977-78. The project estimate of this work, prepared earlier, is being revised to effect possible economies. It will be possible to commence the work as soon as the estimate is received and sanctioned. A target date for completion of the project cannot be given at this stage on account of the acute scarcity of resources.

ATTACHING OF COACHES TO TRAINS

†224. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Delhi coach attached to Itarsi-Bina Passenger train from Jabalpur, which used to be attached to Punjab Mail at Bina is now attached to Chhatisgarh Express;

(b) whether as a result of this change, the passengers have to wait for about 3/4 hours at Bina for up and down trains and have to board the trains at Nizamuddin which is a far off place and involves additional expenditure and time;

(c) the reasons for discontinuing the attaching of one sleeper and first class coach with Utkal Express for Delhi from Jabalpur which was very convenient for the passengers from Jabalpur to Delhi; and

(d) whether Government propose to replace the sitting coach which is attached to Allahabad Mail and at Allahabad to Upper India Express by a sleeper coach ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes.

(b) The waiting period at Bina in the direction towards Delhi is 2 hours 15 minutes now as against the earlier waiting period of 2 hours 53 minutes. In the direction towards Jabalpur the waiting time involved now at Bina is 4 hours as against 3 hours 20 minutes earlier. Jabalpur coaches are being terminated at Nizamuddin which has been developed as a satellite terminal to provide relief to the main terminals at Delhi/New Delhi. It was operationally not possible to take Chhatisgarh Express to New Delhi for want of adequate terminal facilities.

(c) The running of through coaches between Jabalpur and Delhi area was rationalised with effect from 1-4-77. Consequently two coaches (one First Class and one 3-tier sleeper coaches) running by 5/6 Punjab Mail and the other two coaches (one First class and one 3-tier sleeper coaches) running by the then tri-weekly 77/78 Utkal Express were shifted to run by 137/138 Chhatisgarh Express thereby releasing accommodation for through passengers on 5/6 Punjab Mail and 77/78 Utkal Express. This also provided additional accommodation for Jabalpur passengers to the extent of six coaches per week.

(d) No.

RAILWAY EMPLOYEES PARTICIPATED IN RAILWAY STRIKE OF MAY, 1974

†*225. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of Railway employees who had taken part in the Railway strike of 1974, zone wise;

(b) the number of employees who were dismissed by the then Government;

(c) the number of employees who were appointed in the places vacated by dismissed employees;

(d) whether services of the employees who were appointed against the posts of the dismissed employees have been terminated as the Government have now reinstated the employees who were dismissed earlier; and

(e) if so, the figures thereof ?

MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a)

Railways	No. who were absent during the strike period.
C.	65,602
	115,868
N.	38,453
N. E.	17,100
N. F.	65,000
S.	65,115
S. C.	43,748
S. E.	78,869
W.	72,581
Other units	28,417
TOTAL	591,159
(b)	16,898

(c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(d) No

(e) Does not arise.

न्यायालयों में वकीलों तथा अन्य लोगों के लिये सुविधाओं में सुधार की मांग

226. श्री वसंत कुमार पंडित : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने 29 अप्रैल, 1977 अथवा इसके आसपास सरकार को कोई याचिका दी है जिसमें उन स्थानों के लिए जहां न्यायालय हैं सुविधाओं में सुधार की मांग की गई है ;

(ख) क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट पर वकीलों तथा अन्य लोगों के लिए सुविधायें बहुत ही अपर्याप्त हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पार्लियामेंट स्ट्रीट से न्यायालयों को पटियाला हाउस में तथा दिल्ली उच्च न्यायालय को उसके नवनिर्मित भवन में भेजने का है और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) और (ख) नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने तारीख 27-4-1977 की एक याचिका निर्माण और आवास मंत्री को दी थी जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर वकीलों और लोगों के लिए सुविधाएं बहुत ही अपर्याप्त हैं और यह अनुरोध किया गया था कि न्यायालयों को वहां से हटा कर पटियाला हाउस में ले जाया जाए ।

(ग) यह विनिश्चय किया गया है कि पटियाला हाऊस (उसके मुख्य भवन को छोड़कर), नई दिल्ली न्यायालयों की आवश्यकताओं की जांच करने के पश्चात् उनको आवंटन के लिए दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया जाए। यह आवंटन अस्थायी अर्थात् उम समय तक के लिए होगा जब तक कि उस भूखण्ड पर न्यायालय भवन का निर्माण नहीं हो जाता है जो इस प्रयोजन के लिए आवंटित किया जा रहा है। जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय का संबंध है, वह सितम्बर, 1976 के अन्तिम सप्ताह में उसके नवनिर्मित भवन में ले जाया गया है।

सेबूर में हुई रेल दुर्घटना की जांच

227. श्री भगतराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 मार्च, 1977 को कटपड़ी के निकट सेबूर (दक्षिण रेलवे) में हुई रेल दुर्घटना की जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : बेंगलूर स्थित रेल संरक्षा के अवर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनकी प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, वे अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ तकनीकी पहलुओं की अभी भी जांच की जा रही है।

केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने के लिए केरल सरकार का अनुरोध

228. श्री के० ए० राजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने के लिए राज्य सरकार का अनुरोध काफी समय से सरकार के पास पड़ा है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने रियायती दरों पर बिजली देने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ओलवक्कोड-तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल के विद्युतीकरण के लिए लागत एवं व्यावहारिकता सर्वेक्षण करने के लिए अप्रैल, 1976 में आदेश दिये गये थे। यह काम पूरा हो चुका है। दक्षिण रेलवे द्वारा रिपोर्ट का संकलन किया जा रहा है। विद्युतीकरण के बारे में अन्तिम निर्णय परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लिया जायगा और यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा सभी विद्युतीकरण परियोजनाओं में परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के वफादार कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कार

229. श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के वफादार कर्मचारियों को उनके पुत्रों और पुत्रियों को रोजगार देने के अलावा कितने पुरस्कार दिए गए हैं ;

(ख) मई, 1974 की हड़ताल के बाद चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के वफादार कर्मचारियों के कितने आश्रितों को भर्ती किया गया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अधिकारियों को भी पुरस्कार दिए गए हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) दिये गये लाभ का विवरण इस प्रकार है :—

	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें ये लाभ दिये गये
(i) नकद पुरस्कार	98
(ii) अग्रिम वेतन वृद्धि	524
(iii) सेवा काल में वृद्धि	7

(ख) रेल कर्मचारियों के जिन आश्रितों को नौकरी दी गयी, उनकी संख्या 240 है।

(ग) 135 अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।

कोरापुट और अराकू के बीच रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

230. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या 9 अप्रैल, 1977 को कोरापुट और अराकू स्टेशन के बीच लौह अयस्क से लदी एक रेलगाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या मार्च-अप्रैल 1977 में 1975 और 1976 की उसी अवधि की तुलना में रेलवे दुर्घटनाएं बढ़ी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) चल स्टाक और रेलपथ आदि रेल सम्पत्ति को जो क्षति हुई है, उसका अनुमान लगभग 1,69,000/- रुपये लगाया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता !

APPOINTMENT OF SONS/DAUGHTERS OF LOYAL EMPLOYEES OF D.L.W. VARANASI

†231. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of railway employees who were covered by the strike notice during railway strike (from 8th May, 1974 to 16th May, 1974) in Diesel Locomotive Works, Varanasi but who reported for duty;

(b) the number of such loyal employees and the number of those among them who were given annual increment and promotions and whose sons/daughters were offered appointments, separately;

(c) whether in the name of appointments of sons/daughters of loyal employees made in Class III posts many sons/daughters of those officers were also given jobs who had no connection with the strike; and

(d) if so, their number and the action being contemplated by Government in regard to those irregular appointments ?

MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) to (d) Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

अमेरीका की कार्ल्सबर्ग नाटोमस फर्म द्वारा बंगाल-उड़ीसा बेसिन में कुओं की खुदाई

232. श्री एम० एन० गोविन्दन नाथर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरीका की कार्ल्सबर्ग नाटोमस फर्म ने बंगाल-उड़ीसा बेसिन में केवल दो कुओं की खुदाई की है जिसमें बड़ी मात्रा में गैस के भंडार का पता चला है ;

(ख) क्या इस फर्म ने इसमें अधिक रुजि नहीं दिखाई है और उसने आगे खुदाई का कार्य छोड़ दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्ल्सबर्ग फर्म ने इस सम्बन्ध में और आगे विश्लेषण करने तथा कार्य करने और अन्य तथ्य सम्बन्धी सभी संबद्ध आधार सामग्री तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को दे दी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) बंगाल, उड़ीसा बेसिन क्षेत्र में खरीदे गये दो अन्वेषी कुओं से वाणिज्यिक रूप से हाईड्रोकार्बन्स के भंडार का कोई सबूत नहीं मिला। अप्रैल/मई, 1976 बेसिन में खोदे गये इसके कुएं को शुष्क समझ-समझ कर छोड़ दिया गया था और तब से ठेकेदार आंकड़ों का मूल्यांकन करता रहा है और इस क्षेत्र में सतत रूप से अन्वेषण कार्य की लागत में भागीदार बनने में रुचि रखने वाली अन्य कम्पनियों के लिये प्रयास करता रहा; संविदा की शर्तों के अन्तर्गत विदेशी व्यावसायिक उद्यम को जून, 1977 तक इस आशय की घोषणा करनी होगी कि क्या वह उक्त क्षेत्र में अन्वेषण कार्य को चालू रखना चाहती है अथवा वह 1 अगस्त, 1977 से लागू करार को समाप्त करना चाहती है। यदि संविदा समाप्त कर दिया जाता है ओ० एण्ड एन० जी० सी० निस्सन्देह इस क्षेत्र के आंकड़ों/प्रत्याशालाओं के उसके अपने मूल्यांकन पर और आगे अन्वेषण के प्रश्न की जांच करेगा।

आगरा-दिल्ली एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को नई दिल्ली तक चलाया जाना

233. श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि आगरा-दिल्ली मार्ग पर आरम्भ की गई है 63 और 64 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की उपयोगिता बहुत सीमा तक इसलिए कम हो गई है कि वे रेलगाड़ियां नई दिल्ली स्टेशन के बजाय हजरत निजामुद्दीन से चलती हैं और वहां समाप्त होती हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों के सुविधा तथा अधिक आय के लिए इन रेलगाड़ियों को नई दिल्ली स्टेशन तक चलाने का है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) 63/64 अवध एक्सप्रेस गाड़ियां लखनऊ और आगरा के बीच चलती हैं। लेकिन जितना समय यह रेल आगरा में बंकर खड़ा रहता है, उतने समय में इसका इस्तेमाल करने के लिए 149/150 कुतूब एक्सप्रेस के नाम से एक नयी गाड़ी आगरा और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलायी गयी है। दिल्ली तथा नयी दिल्ली स्थित मुख्य टर्मिनलों का बोझ हल्का करने के लिए हजरत निजामुद्दीन स्टेशन का एक सहभाग टर्मिनल के रूप में विकास किया गया है।

(ख) नयी दिल्ली पर समुचित टर्मिनल सुविधाएं न होने के कारण इन गाड़ियों को नयी-दिल्ली तक चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

USE OF GOVERNMENT MACHINERY, VEHICLES AND AEROPLANES DURING ELECTIONS

†234. SHRI ISHWAR CHAUDHARY : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any proposal is under consideration of Government under which use of Government machinery, vehicles and aeroplanes by Government especially for their party ends during the elections may not be allowed; and

(b) if so, the salient features thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. P. C. CHUNDER) : (a) & (b) Instructions already exist on the subject. On the eve of the General Elections to Parliament held in March, 1977, the Election Commission issued a circular letter to the Chief Secretaries of all States and Union territories on 28th February, 1977 that on no account should any vehicle including motor cars, helicopters etc. owned or under the control of the Government a local authority Corporation or public undertaking under the control of the Government be used for the election campaign of any political party or contesting candidate. The letter also contained instructions for regulating the use of public places for holding election meetings.

Instructions have also been issued by Government regarding the tours of Ministers for non-official purposes including election tours.

टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस

235. श्री शिव सम्पत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में जिला मिर्जापुर में महुरिया पर नहीं सकती है और इस सुविधा के न होने से महुरिया के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह रेलगाड़ी रोज के बजाय एक दिन छोड़कर चलती है ;

(ग) क्या इस रेलगाड़ी की रोज चलाने और लोगों को राहत देने हेतु महुरिया में इसे रोकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क), (ख), (ग) और (घ) 161/162 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस के महुरिया स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था नहीं है। इस एक्सप्रेस गाड़ी के ठहरावों में वृद्धि की गयी तो ऐसा करने से श्रु यात्रियों के लिए इस गाड़ी को तेज एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में बनाये रखने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। 161/162 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस इस समय सप्ताह में चार बार चलती है। इन गाड़ियों का फेरा बढ़ाकर दैनिक कर देना संसाधनों की तंगी और मार्गवर्ती कुछ खंडों पर लाइन क्षमता की कमी के कारण व्यावहारिक नहीं है। लेकिन इस मामले पर उस समय पुनः विचार किया जायेगा जब अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का तेल की खोज के लिए हंगरी के साथ समझौता

236. श्री अजीत कुमार साहा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हिमाचल प्रदेश के राम शहर में तेल की खोज के लिए ठेके पर छिद्रण-कार्य कराने हेतु हंगरी को चुना है ; और

(ख) यदि हां. तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने रामगढ़र कुएं का व्यधन कार्य करने हेतु हंगरी की कैमोकम्पलैक्स नामक कम्पनी के साथ मार्च, 1977 में एक सेवा करार किया है।

(ख) उक्त करार की मोटी-मोटी शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(i) संविदाकार उक्त कुएं के व्यधन कार्य के लिये स्वीकृत संख्या के तकनीकों की प्रति नियुक्त करेगा।

(ii) संविदाकार को 100 दिन की न्यूनतम अवधि के लिये प्रतिदिन कार्य संचालन के लिये 18,000/- रुपए का पारिश्रमिक दिया जाएगा।

(iii) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग स्थान पर ही सभी अपेक्षित उपकरण तथा सामग्री सहित एक व्यधन रिंग उपलब्ध कराएगा।

(iv) संविदाकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कुएं के सभी आंकड़े सौंप देगा।

रेलगाड़ी में अधिक भीड़ कम करने के लिए कार्यवाही

237. डा० विजय मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियों में अधिक भीड़ कम करने के लिये द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में अपेक्षित स्थान की व्यवस्था करने तथा प्रत्येक टिकटधारी को कम से कम एक सीट उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) बुकिंग कार्यालयों की प्रत्येक रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी में बैठने के स्थान से अधिक टिकट बेचने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधार किये जाने के विचार हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) प्रत्येक गाड़ी में उपलब्ध स्थान का कितना इस्तेमाल होता है इसका अनुमान लगाने के लिये सभी अनुपनगरीय यात्री गाड़ियों में उपलब्ध स्थान के इस्तेमाल की वर्ष में दो बार आवधिक गणना की जाती है और इस गणना के आधार पर तथा अपेक्षित साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भीड़-भाड़ को समाप्त करने और विभिन्न मार्गों पर यात्री यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिये अतिरिक्त गाड़ियां चलाने तथा वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने और उनके डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही की जाती है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। लम्बी दूरी की सभी रेल एक्सप्रेस गाड़ियों में सभी दर्जों में आरक्षित स्थान की व्यवस्था की जाती है। लम्बी दूरी की कुछ चुनी हुयी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में सम्पूर्ण स्थान आरक्षित रहता है और प्रत्येक यात्री को आरक्षित सीट / शयिका दी जाती है।

(ख) अनारक्षित रेल टिकटों को गाड़ियों में विभिन्न स्थलों पर स्थान की उपलब्धता के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। तथापि, गाड़ी में स्थान उपलब्ध न होने की हालत में यात्री अपने टिकट वापस कर सकते हैं। और पूरी रकम वापस ले सकते हैं।

(ग) जैसा कि ऊपर भाग (क) में बताया गया है अधिक स्थान व्यवस्था की करके मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को कम करने के प्रयास किये जाते हैं।

CORRUPT AND IRREGULAR ACTIONS OF OFFICERS OF NORTH EASTERN RAILWAY

238. SHRI HARIKESH BAHADUR : Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Hindi weekly 'Janaswar' published from Gorakhpur has in its issues of 2nd April, 10th April, 17th April, 1st May, 8th May and 22nd May published a report about corrupt and irregular actions of two officers of the North-Eastern Railway as also about the corruption prevalent in this Railway;

(b) if so whether the railway administration has investigated the charges reported; and

(c) if the charges are correct the action being taken against those officers ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes Sir. A local Hindi Weekly 'Janaswar' in its issues dated 2nd April, 10th April, 17th April, 1st May, 8th May and 22nd May has published allegations against certain officers of North Eastern Railway and has also alleged that corruption is prevailing on this Railway. No particular officer by name is mentioned in these reports. Certain designations appear in some of these reports.

(b) Various efforts by the Railway Vigilance to get more information about these allegations from the Editor of 'Janaswar' have not been successful. The owner of the newspaper 'Janaswar' could not be contacted despite 8 attempts made in this regard. The Vigilance Organisation is, however, proceeding with investigations in respect of verifiable allegations in these reports. It will not be appropriate to disclose further information at this stage, as this may jeopardise investigations.

(c) Does not arise at this stage. Further action will be taken depending on the results of the investigations in progress.

"CENTRE FOR TRAINING IN PETROLEUM DRILLING TECHNOLOGY"

239. SHRI DHARMASINGBHAI PATEL : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the number and locations of the centres in the country imparting training in petroleum drilling technology; and

(b) whether Government propose to formulate a scheme to start a course imparting training in petroleum drilling technology in Gujarat ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) One Training Centre located at Dehradun is being run by ONGC for imparting training, inter-alia, in petroleum drilling technology.

(b) Presently no such proposal is under consideration.

आसाम में उर्वरकों की बिक्री एजेन्सियों का आबंटन

240. श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की बिक्री एजेन्सियां हरिजन, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों को आबंटित करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो आसाम में उनमें से कितने लोगों को ऐसी एजेन्सियां मिली हैं ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) उर्वरक निर्माताओं ने सहकारी समितियों, संस्थागत एजेंसियों और उनके गैर-सहकारी डीलरों को उर्वरकों का वितरण करने के लिये बहु एजेंसी पद्धति अपनायी हुयी है। इस मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उर्वरक निर्माताओं द्वारा अपनायी नई वितरण पद्धति को नीचे दशाया गया है :—

सहकारी समितियों, शिक्षित बेरोजगार युवकों, भूतपूर्व अपंगु सैनिकों में से नियुक्त डीलरों और प्राइवेट डीलरों सहित संरचनागत एजेंसियां फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के डीलर हैं। कोई भी सहकारी अथवा संस्थागत एजेंसी पर्याप्त वित्तीय व्यवसायों के साथ आडर देने मात्र से कारपोरेशन का डीलर बन सकती है। शिक्षित बेरोजगार डीलरों को विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र मंगा कर नियुक्त किया जाता है। बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्राथमिकता दी जाती है। अपंगु भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास महानिदेशक रक्षा मंत्रालय की विशिष्ट सिफारिशों पर डीलर नियुक्त किया जाता है। प्राइवेट डीलरों को विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र मंगाकर नियुक्त किया जाता है। प्राइवेट डीलर नियुक्त करने के लिये कारपोरेशन और बातों के साथ-साथ आवेदनकर्ता की वित्तीय सामर्थ्य कृषि उत्पादों के संबंध में उसकी स्थिति गत तीन वर्षों के दौरान व्यापार में उसके आचरण को भी ध्यान में रखता है।

इस मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र को दो अन्य उर्वरक एककों में से मद्रास फर्टिलाइजर लि० का 9 डीलरों के साथ दीर्घकालीन विपणन समझौता है जिन में से दो गैर-सरकारी क्षेत्र के और 7 सरकारी क्षेत्र के डीलर हैं। फर्टिलाइजर्स और कैमिकल्ज ट्रांवनकोर लि० भी उर्वरकों के वितरण के लिए बहु एजेंसी प्रणाली को अपना रहे हैं और डीलरों की नियुक्ति के लिए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों में जमानत देना, उर्वरकों का विपणन करने की क्षमता और विकास कार्यकलापों सहित अपेक्षित सेवा प्रदान करना शामिल है।

सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक निर्माताओं द्वारा अपनाई गई डीलरशिप नीति का नियन्त्रण नहीं करती। गैर सरकारी क्षेत्र के निर्माता प्राइवेट डीलरों की नियुक्ति करते समय आवेदनकर्ता का व्यापारिक अनुभव और उनकी ख्याति उसके पास भंडार की सुविधाओं की उपलब्धता वित्तीय स्थिति आदि को भी ध्यान में रखते हैं।

निर्माता, जाति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अपने डीलरों के ब्यौरे नहीं रखते।

केरल में विद्युत चालित गाड़ियां चलाया जाना

241. **डा० बी० ए० संयद मोहम्मद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार इस बात को ध्यान में रखते हुए केरल में सभी रेल लाइनों पर विद्युत् चालित गाड़ियां चलाने का है कि केरल में विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन होता है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : इस समय नहीं।

सिंदी में जी० टी० एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

242. **श्री संतोषराव गोडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वर्धा जिले में सिंदी रेलवे स्टेशन पर 16 अप जी० टी० एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति और मानव-जीवन की कितनी क्षति हुई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां। यह दुर्घटना 24-5-1977 को हुई थी।

(ख) बम्बई के रेल संरक्षा आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 3,81,794/- रुपये की हानि हुई है। इस दुर्घटना में एक को गम्भीर तथा 7 व्यक्तियों को साधारण चोटें आयीं।

पठानकोट से कांगड़ा घाटी तक रेलें

243. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट से कांगड़ा घाटी की यात्रा करने वालों को पठानकोट में किसी भी रेलगाड़ी का टर्मिनल न होने के कारण बहुत कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई नई गाड़ी चलाने अथवा इस समय कांगड़ा घाटी के लिए यात्रियों की भीड़ की सुविधा हेतु रेल गाड़ियों में कोई अतिरिक्त यात्री डिब्बे लगाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीनगर एक्सप्रेस

244. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से श्रीनगर एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पठानकोट में कांगड़ा घाटी जाने के लिए कोई दूसरी गाड़ी तुरन्त नहीं मिलती ;

(ख) क्या इन यात्रियों को कांगड़ा घाटी के लिए रेल गाड़ी या बस पकड़ने के लिए पठानकोट में कई घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिससे इन यात्रियों को काफी परेशानी होती है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो श्रीनगर एक्सप्रेस को नई दिल्ली से सायंकाल 6 बजे या उसके बाद चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, ताकि यात्री कांगड़ा घाटी के लिए पठानकोट में तुरन्त दूसरी गाड़ी पकड़ सकें ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) से (घ) इस समय 59-अप श्रीनगर एक्सप्रेस नई दिल्ली से 16.05 बजे छूटती है और पठानकोट स्टेशन पर 03.20 बजे पहुंचती है। पठानकोट स्टेशन पर यह गाड़ी/पी० बी० पठानकोट बैजनाथ-पपरौला पैसेंजर गाड़ी के साथ मेल लेती है जो पठानकोट से 7.00 बजे चलती है। नई दिल्ली स्टेशन से 59-अप का छूटने का समय बदलकर 18.00 बजे करना सम्भव नहीं है, क्योंकि उस समय नई दिल्ली में प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होता और मार्ग में लाइन खाली नहीं होती। इसके अलावा 59-अप श्रीनगर एक्सप्रेस को नई दिल्ली से 16.05 बजे इसलिए चलाया जाता है ताकि यह

गाड़ी जम्मू-तवी स्टेशन पर प्रातः 6.05 बजे पहुंच सके और पर्यटक उसी दिन कश्मीर पहुंच सकें।

कांगड़ा घाटी के यात्रियों के लिए 33-अप जम्मू मेल पठानकोट पर निम्नलिखित सुविधाजनक मेल करती है :—

33-अप जम्मू मेल पठानकोट पहुंच—06.45 बजे

पठानकोट छूट	1 पी० बी०	1 पी० बी० जी०
	7.00	9.15

पठानकोट-जोगिन्दरनगर छोटी लाइन को मीटर गेज/ब्राडगेज में बदलना

245. श्री दुर्गा चन्द : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट-जोगिन्दरनगर छोटी लाइन को मीटर गेज/ब्राडगेज में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थान है।

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) इस लाइन पर प्रतिदिन औसतन कितने यात्री यात्रा करते हैं :—

रेल मंत्री (प्रोफसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) अप्रैल, 1977 में की गई यात्री यातायात की पिछली गणना के अनुसार इस खण्ड पर चलने वाली दो जोड़ी गाड़ियों के उपयोग का औसत प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

दर्जा	पठानकोट		जवावाला शहर		कांगड़ा		बैजनाथ पिपलौदा		जोगिन्दर-नगर	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1 पी० बी० जे०	42	77	60	140	6	141	—	29	—	48
2 पी० बी० जे०	47	80	73	148	49	70	9	43	—	22
1 पी० बी०	44	90	56	143	56	143	—	6	—	—
2 पी० बी०	45	75	28	71	45	75	—	12	—	—

छोटी लाइनों के कार्यकरण की समीक्षा

246. श्री दुर्गाचन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटी रेल लाइनों के कार्यकरण की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, छोटी लाइन खण्डों सहित भारतीय रेलों की सभी शाखा लाइनों के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में एक वार्षिक समीक्षा की जाती है ताकि ऐसी लाइनों के चलाने पर होने वाले लाभ/हानि की सीमा निर्धारित की जा सके।

RAILWAY LINES IN ADIVASIS AREAS OF M.P., RAJASTHAN, MAHARASHTRA AND GUJARAT

†247. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of proposals received for laying new railway lines in adivasi areas in Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Gujarat and from whom these proposals have been received;

(b) the action taken so far on each of these proposals; and

(c) the number of new railway lines in respect of which survey work has been completed and the reasons for not taking follow-up action on them ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) and (b) Proposals are received from time to time for construction of a very large number of new railway lines in backward areas by the Minister of Railways from various quarters. During the last one month about 26 proposals were received from members of Parliament, State Governments and other public bodies.

(c) Number of surveys for new railway lines completed :

Maharashtra	.	.	.	5
Madhya Pradesh	.	.	.	6
Rajasthan	.	.	.	1
Gujarat	.	.	.	3
				15

Out of the 15 surveys completed, five projects which have been examined show that they have no adequate traffic potential. As regards the remaining 10 projects, the survey reports are under examination.

झालावाड़ नगर तथा झालावाड़ रोड के बीच रेल सम्पर्क

248. श्री चतुर्भुज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में झालावाड़ जिले में झालावाड़ नगर तथा झालावाड़ रोड को रेल लाइन से जोड़ने की रियासतों के विलय होने के समय से ही निरन्तर मांग चल रही है; और

(ख) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने की सरकार की नीति के परिप्रेक्ष्य में झालावाड़ को प्राथमिकता देने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित लाइन के लिए विगत समय में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिल्हाल धन की कमी है। संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक इस प्रस्ताव के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

औषधि उद्योग में अनुसंधान

249. श्री आर० कोलनथाइवेलु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि उद्योग में अनुसंधान को बढ़ावा देने और उसमें द्रुतगति लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या घटिया किस्म की औषधियों का उत्पादन करने में कई मामले सामने आए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मानव जीवन को इस तरह खतरे में डालना, दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषधि उद्योग में अनुसंधान के विकास तथा तीव्रीकरण के लिए निम्नलिखित :

(1) एम० आर० टी० पी० अधिनियम तथा फेरा के क्षेत्र में आने वाली कम्पनियों को छोड़कर अन्य औद्योगिक एकक जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की किसी प्रयोगशाला द्वारा था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर विसी भी मद का उत्पादन करें तो उन्हें आई० डी० आर० अधिनियम की लाइसेंसिंग धाराओं से छूट दी जाती है। यह सुविधा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रायोजनाओं की प्राथमिकता तथा अन्य व्यवस्था से सम्बंध को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक एककों की ओर से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रवर्तित अनुसंधान के लिए भी उपलब्ध होगी ;

(2) 1977-78 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास एकक बिना लाइसेंस के 5 लाख रुपए तक अपनी कच्चे माल की आवश्यकता, पुर्जे यन्त्र उपकरण तथा सारणीबद्ध मर्दों आदि का अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए आयात कर सकते हैं।

औषधि उद्योग में कई औषधि निर्माण एककों में पंजीकृत अनुसंधान एवं विकास एकक है। औषधि एवं भेषज उद्योग पर समिति का रिपोर्ट के 7 चैप्टर तथा उसके परिशिष्टों में कुछ सिफारिशों की गई हैं जो अब भा सरकार के विचाराधीन हैं। इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर 8-5-77 को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

राजस्थान में बड़ी लाइनों का विकास

250. श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बड़ी लाइनों के समुचित विकास तथा रेल यार्ड सुविधाओं के अभाव में राज्य को अपने औद्योगिक विकास में कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है; और

(ख) राज्य में रेल लाइनों के विकास के लिए संभावित योजना क्या है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) : राजस्थान में बड़े आमान की लाइन की आवश्यकता पर विचार करते हुए, सरकार ने सूरतगढ़-भटिंडा और दिल्ली-अहमदाबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अनुमोदित किया है।

बीकानेर से चतरगढ़ तक नई मीटर लाइन के लिए सर्वेक्षण करने का काम भी वर्तमान बजट में शामिल किया गया है। यह लाइन राजस्थान कैनल क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरा करेगी।

आपात स्थिति के दौरान श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के पदों को लौटाया जाना

251. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के बहुत सारे पद लौटा दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार लौटाये गये पदों की श्रेणीवार तथा डिब्बीजन-वार वास्तविक संख्या कितनी-कितनी हैं; और

(ग) बेरोजगारी की भारी समस्या को हल करने की सरकारी नीति के अनुसरण में इन लौटाये गये पदों को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क), (ख) और (ग) आपात स्थिति के दौरान रेल मंत्रालय द्वारा किसी भी स्थायी या अस्थायी पदों का अभ्यर्ण करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। लेकिन परिचालनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि कुछ पदों का अभ्यर्ण कर दिया गया हो और अपेक्षित संख्या में वैकल्पिक पदों का सुजन कर लिया गया हो।

धनबाद में कर्मचारी तथा श्रमिक संगठन की धनबाद जिला समन्वय समिति

252. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शोषित हुए नैमित्तिक तथा एवजी श्रमिकों के प्रति अन्याय, उन्हें उनके पहले वाले पदों तथा दर्जों पर पुनः स्थानान्तरित करने और धनबाद के सहायक स्टेशन मास्टर श्री के० सी० चौधरी की बहली के बारे में रेल अधिकारियों द्वारा, मंत्रालय के निर्देश की अवहेलना करके, काई गई कुरलियों के बारे में धनबाद स्थित कर्मचारी तथा श्रमिक संघों की धनबाद जिला समन्वय समिति के संयोजक द्वारा 5-5-77 को लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस अभ्यावेदन में उठाये गये मामलों पर क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) अभ्यावेदन रेल मंत्रालय में नहीं बल्कि पूर्व रेलवे में प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) अभ्यावेदन का ब्यौरा पूर्व रेलवे से मंगाया जा रहा है और प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जायेगा ।

पूर्व रेलवे पर पतरातु के ए० डी० एम० ओ० के विरुद्ध जांच

253. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अप्रैल, 1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें ए० डी० एम० ओ०, पूर्व रेलवे, पतरातु के विरुद्ध उसकी अमानवीय कार्य, जिसके परिणामस्वरूप पतरातु के शंटिंग जमादार (भूतपूर्व रेल हड़ताल पीड़ित कर्मचारी) गौरंगदत्त की पुत्री की 29 फरवरी, 77 को दुःखद अकाल मृत्यु हो गई थी, की जांच करने और कार्यवाही करने की मांग की गई है, और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) 12-4-77 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) मामले की जांच की गयी थी । जिस डाक्टर ने इलाज किया था उसके विरुद्ध लापरवाही बरतने का मामला नहीं बनता ।

8 मई, 1977 को धनबाद में पारित प्रस्ताव

254. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में 8 मई, 1977 का दिवस मनाने के अवसर पर रेलवे कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक में पारित प्रस्तावों की प्रति प्राप्त हुई है, और

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) :

(क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है ।

हाई स्पीड डीजल की कमी

255. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में हाई स्पीड डीजल आयल की सप्लाई कम है;

(ख) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या इसका और आयात करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मई, 1977 के उत्तरार्द्ध के दौरान भारत के उत्तर-पश्चिम के कुछ क्षेत्रों में मांग में अचानक तीव्र वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप हाई स्पीड डीजल तेल की थोड़ी अतिरिक्तता के लिए कमी अनुभव की गई थी ।

(ख) अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए इन स्थानों को भेजे जाने वाले माल की मात्रा बढ़ा दी गई और स्थिति का अध्ययन दिन प्रति दिन के आधार पर किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप हाई स्पीड डीजल तेल की पूर्ण मांग को पूरा किया गया था।

(ग) रूस से व्यापार योजना के अन्तर्गत किये जा रहे साधारण आयात के अतिरिक्त वर्ष 1977 के जून माह के दौरान कुछ और अधिक आयात की व्यवस्था की गई।

राजनैतिक दलों की स्मारिकाओं में विज्ञापनों के बारे में कम्पनियों को नोटिस

256. श्रीमती मृणाल गोरे } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की
[डा० बापू कालदते] कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजीकृत कम्पनियों को इस आशय के नोटिस जारी किये हैं कि वे राजनैतिक दलों की स्मारिकाओं तथा अन्य प्रचार-प्रकाशनों के लिये दिये गये अपने विज्ञापनों की संख्या की जानकारी दें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1977 के लोक सभा चुनावों से पूर्व उनके द्वारा कांग्रेस दल (आई०) की कितने तथा कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) तथा (ख) कम्पनी रजिस्ट्रारों ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा वृहद् औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों को, 1-1-1974 से 31-3-1977 तक की अवधि के मध्य, राजनैतिक दलों को उनके द्वारा प्रकाशित अथवा प्रकाशित होने वाली स्मारिकाओं बुलेटिनों में विज्ञापन छपवाने के लिए दी गई धन राशियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे भेजने के लिये लिखा गया है।

(ग) ये ब्यौरे भी प्राप्त नहीं हुये हैं।

दिल्ली, नई दिल्ली और बम्बई में टिकटों का अनियमित आरक्षण और बिक्री

257. श्रीमती मृणाल गोरे } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री ब्रजभूषण तिवारी }
डा० बापू कालदते }

(क) क्या दिल्ली, नई दिल्ली, बम्बई सेंट्रल और विक्टोरिया टर्मिनल में रेल टिकटों के अनियमित आरक्षण और बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) 20 मई, 1977 तक कितने व्यक्तियों और ट्रेवल एजेंटों को पकड़ा गया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :

(i) अनाधिकृत एजेंटों तथा अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा स्थान को रोक रखने की घटना को न होने देने के लिए अग्रिम आरक्षण की समय-सीमा 6 महीना कर दी गई है।

- (ii) आरक्षण प्रक्रिया सरल बना दी गयी है और प्रबंध कड़े कर दिये गये हैं और सतर्कता विभाग द्वारा जांच सहित आकस्मिक जांच का काम बढ़ा दिया गया है ।
- (iii) अतिरिक्त टिकट घर और आरक्षण खिड़कियां खोली गयीं हैं और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भीड़-भाड़ के समय उनके काम करने का समय बढ़ा दिया जाता है ।
- (iv) नयी गाड़ियां चलाकर, वर्तमान गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाकर, गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाकर, साप्ताहिक और सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ियों का फेरा बढ़ाकर और अधिक संख्या में विकाश कालीन विशेष गाड़ियां चलाकर अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की गयी है ।
- (ग) 1-1-77 से 20-5-77 की अवधि के दौरान बम्बई और दिल्ली में 348 व्यक्तियों और यात्रा एजेंटों का पता लगाया गया उन्हें/पकड़ा गया ।

इटली की फार्माफिन से पैनिसिलीन का आयात

258. श्रीमती मृणाल गोरे } : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने
डा० बापू कालदते } की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या इटली की एक फर्म फार्माफिन से पैनिसिलीन का आयात करने के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने एक तकनीकी सहयोग का करार किया है;
- (ख) क्या पैनिसिलीन के आयात के लिए कोई निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं ;
- (ग) क्या फार्माफिन ने निविदा के उत्तर में अपने प्रस्ताव भेजे थे ; और
- (घ) यदि नहीं, तो पैनिसिलीन के आयात के लिए किन शर्तों पर फार्माफिन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) भारतीय औषध और भेषज द्वारा इटली की फर्म फार्माफिन के साथ पैनिसिलीन के लिए आयात के लिए कोई तकनीकी सहयोग करार नहीं हुआ है । पैनिसिलीन का आयात प्रतिबन्धित है ।

(ख) (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के वर्कशाप में घातक दुर्घटनाएं

259. श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के वर्कशाप में गत दो वर्षों में कितनी घातक दुर्घटनाएँ हुईं :

- (ख) इन दुर्घटनाओं के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और
- (ग) इन्हें कम से कम होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) एक ।

(ख) और (ग) चित्तरंजन रेल इंजन करखाने में सभी संभव दुर्घटनाओं की रोक-थाम के उद्देश्य से, कारखाना अधिनियम में निर्धारित सांविधिक संरक्षा उपाय अपनाये जाते हैं। जोखिम वाले काम करते समय सुरक्षा बेल्ट का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जाता है। इसके अलावा, व्यक्तिगत सम्पर्क, भाषणों और इशतहारों के माध्यम से भी कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता की भावना पैदा की गई है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती

260. श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इस समय कितने नैमित्तिक श्रमिक नियुक्त हैं ?

(ख) क्या नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती के लिये कोई नियम है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं।

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) 158 ।

(ख) और (ग) नैमित्तिक श्रमिक सीजनल, बिखरेया सविरामी किस्म के कामों पर लगाये जाते हैं। नैमित्तिक किस्म के कामों जैसे मलब कूड़ाकरकट को हटाने, करखाना परिसर में सीजनल मरम्मत के कामों आदि पर भी नैमित्तिक श्रमिकों के नियोजन की अनुमति है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के प्रबंधकों द्वारा सांस्कृतिक समारोहों पर प्रतिबंध

261. श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के प्रबंधकों द्वारा सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जब संबंधित संगठनों के अहातों में सांस्कृतिक प्रदर्शन किये जाते हैं, तो उन पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगायी जाती है।

रेल कर्मचारियों की मांगें

262. श्री प्रसन्नभाई मेहता
श्री चित्त बसु
श्री एस० आर० दामाण } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल कर्मचारियों की मांगों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है, उनमें से कितनी मांगें स्वीकार कर ली गयी हैं और किन मांगों पर असहमति है; और

(ख) क्या ऐसी सभी मांगों पर नये रूप में विचार किया जायेगा और उन्हें स्वीकार करने के प्रयास किये जायेंगे ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जैसा कि 5-4-77 को अतारंकित प्रश्न स० 26 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है सरकार की नीति यह है कि मान्यता प्राप्त फेडरेशनों द्वारा प्रस्तुत सभी वास्तविक मांगों पर विचार किया जाये और उपलब्ध संसाधनों के भीतर गहराई से उनकी जांच की जाये।

दो रेलवे श्रमिक फेडरेशनों अर्थात् ए० आई० आर० एफ० और एन० एफ० आई० आर० को रेल मंत्रालय के साथ बातचीत करने की सुविधा प्राप्त है और उनकी मांगों पर स्थायी वार्तांत्र की बैठकों के दौरान विचार-विमर्श किया जाता है ।

पुनर्गठन से रेलवे में कार्यकुशलता

263. श्री प्रसन्नभाई मेहता
श्री बृजभूषण तिवारी
श्री कवर लाल गुप्त
श्री वसंत साठे } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या उन्होंने रेल मंत्रालय का पुनर्गठन करने का निर्णय कर लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और
(ग) मंत्रालय के पुनर्गठन से रेलवे के कार्यकरण और कुशलता में किस सीमा तक सुधार होगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क), (ख) और (ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में अध्ययन करने के लिए पैनल

264. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या निर्वाचन संबंधी सुधारों का अध्ययन करने के लिए एक पैनल की नियुक्ति करने के बारे में सरकार ने अंतिम निर्णय कर लिया है ;
(ख) यदि हां, तो पैनल द्वारा जांच किये जाने वाले मुख्य मुद्दे क्या हैं ;
(ग) क्या 1977 के निर्वाचन से पूर्व विपक्षी सदस्यों और श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों पर विचार किया जायेगा ; और
(घ) पैनल द्वारा अंतिम रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत की जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्द्र) : (क) निर्वाचन संबंधी सुधारों का अध्ययन करने के लिए कोई पैनल नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक पार्टियों को दान

265. श्री प्रसन्नभाई मेहता
श्री वसन्त कुमार पण्डित } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित याचिकाओं में विज्ञापनों को छापने के लिए पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा भारी मात्रा में धन राशि दिये जाने के बारे में विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने 8 मार्च, 1977 को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ को इस आशय का एक पत्र लिखा था कि ऐसे विज्ञापनों के लिए किये गये भुगतान

दान नहीं हैं और इसलिए अधिनियम की धारा 293-ए० के दण्डक उपबन्धों के अधीन नहीं आते और

(ग) क्या चार लिमिटेड कम्पनियों द्वारा की गई एक रिट पर निर्णय देते हुए बम्बई उच्च न्यायालय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उक्त व्याख्या से सहमत नहीं हुआ है ?

शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) :

(क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) दिनांक 8 मार्च, 1977 के पत्र में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल को स्पष्ट कर दिया गया था कि कम्पनियों द्वारा स्मारिकाओं, विवरणिकाओं, पत्रिकाओं आदि में विज्ञापनों पर किये गये व्यय राजनैतिक दलों को अभिदान, दान नहीं थे, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293क को प्रभावी करते ।

(ग) सरकार को किसी भी लिखित याचिका और/या मुकदमे का किसी भी कानूनी कार्यवाही में कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है ।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण आदेशों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती

266. श्री पी० जी० मावलंकर

श्री बशीर अहमद

श्री हरि विष्णु कामत

श्री आर० बी० स्वामीनाथन

: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय के हिन्दी ऐसे न्यायाधीशों ने जो आन्तरिक आपात स्थिति के 19 महीनों के दौरान स्थानान्तरित किये गये थे, अपने स्थानान्तरण आदेशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिकायें दायर की थीं ।

(ख) यदि हां, तो तो इन न्यायाधीशों के नाम क्या हैं और उनकी याचिकाओं का क्या परिणाम निकला ।

(ग) क्या सरकार ने इन स्थानान्तरित न्यायाधीशों को उनके मूल स्थानों तथा न्याय पर्षों में फिर से भेजने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित होने की आशा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) :

(क) और (ख) : उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश ने, जिसे आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानान्तरित किया गया था, अपने स्थानान्तरण आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका फाइल नहीं की थी : किन्तु, न्यायमूर्ति श्री एस० एच० सेठ ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका फाइल की थी जिसमें उन्होंने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय से आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को उनका स्थानान्तरण किया गया था । उच्च न्यायालय ने उस याचिका को मंजूर कर लिया था और न्यायमूर्ति श्री सेठ के स्थानान्तरण आदेश को अपास्त कर दिया गया था । भारत के संघ द्वारा की गई अपील उच्चतम न्यायालय में लम्बित है और उस न्यायालय ने भी इस मामले में रोक आदेश पारित किया है ।

(ग) और (घ) सरकार ने उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों का जिनका स्थानान्तरण आपात स्थिति के दौरान एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को उनकी सहमति के बिना किया गया था, यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि वे अपने मूल उच्च न्यायालयों को वापस जाने के लिए राजी हैं पुनः स्थानान्तरण करने का विनिश्चय किया है और ऐसा पुनः स्थानान्तरण तभी किया जाएगा जब वह लोक हित में हो। सरकार ने परामर्श करना आरम्भ कर दिया है और परामर्श पूरा हो जाने के बाद पुनः स्थानान्तरण किए जाएंगे।

गुजरात में धुवारन संयंत्र के लिए आर० एफ० ओ०

267. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में धुवारन सन्यन्त्र को ताराफर एकक, बम्बई से उतनी मात्रा में आर० एफ० ओ० नहीं मिल रहा है, जितना आवश्यक है और जिसके बारे में वचन दिया गया था।

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि धुवारन को आर० एफ० ओ० की अनियमित सप्लाई के कारण गुजरात राज्य में बिजली की निरन्तर कमी रहती है और यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में तत्काल समाधान करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गुजरात स्थित धुवर्ण बिजली घर इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमि० की गुजरात स्थित कोयाली शोधन शाला से घरेलू ईंधन तेल अथवा लोसल्फर हैवी स्टाक (एल० एस० एच० एस०) की सप्लाई प्राप्त कर रहा है। इस उत्पाद की सप्लाई को गुजरात विद्युत मंडल और इंडियन आयल कारपोरेशन (आ० ई० ओ० सी०) के बीच वास्तविक परामर्श के पश्चात् नियमित किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात में बिजली की किसी प्रकार की अपर्याप्तता के लिए एल० एस० एच० एस० की अत्याधिक सप्लाई पर आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इंडियन आयल कारपोरेशन, जैसा कि ऊपर इस बात का उल्लेख किया गया है, इस उत्पाद की आवश्यकताओं को पारस्परिक परामर्श से पूरा करता रहा है ; यद्यपि एल० एस० एच० एस० की खरीद उक्त बिजली घर द्वारा विद्युत् उत्पादन में विभिन्नताओं के कारण व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव रहा है। आई० ओ० सी० सरकार की ऊर्जा नीति और कोयले की उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोयले के प्रयोग से सम्बन्धित परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए धुवर्ण बिजली घर को एल० एस० एच० एस० की सप्लाई व्यवस्था के लिए एक करार कर रहा है।

अहमदाबाद दिल्ली मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

268. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अहमदाबाद से दिल्ली वाया अजमेर और जयपुर मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए अहमदाबाद और गुजरात तथा राजस्थान की जनता काफी लम्बे समय से मांग करती आ रही है,

(ख) क्या मीटरगेज से बड़ी लाइन में बदले जाने के कार्य को प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो कब और कैसे ?

रेल मंत्री (प्रोफ़ेसर मधु दण्डवते) :

(क) जी हां :

(ख) और (ग) इस परियोजना को 1977-78 के बजट में शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना से सम्बन्धित प्रारम्भिक निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा।

लोक सभा निर्वाचन में अविधिमन्य मत

269. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अभी हाल ही में सम्पन्न हुए लोक सभा निर्वाचन में डाले गए बहुत से मत अविधिमन्य घोषित किये गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में डाले गए 193,953,183 मतों में से 5,309,456 मत अविधिमन्य घोषित किए गए थे। यह 2.74 प्रतिशत है जिसे बहुत अधिक नहीं समझा गया है।

(ख) प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रायः जो उपाय अपनाए जाते हैं उनके अतिरिक्त इस संबंध में कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई है।

सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन

270. श्री बशीर अहमद : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा किये गये संशोधन को समाप्त करके सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में संशोधन करने का विचार रखती है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। संहिता की धारा 19 पर, जिसका हवाला प्रश्न में दिया गया है, 1976 के संशोधन अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ा है।

RAILWAY PASSES ISSUED TO NON-OFFICIAL AND SOCIAL WORKERS

†271. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of Railway passes which are issued at present to non-officials and social workers; and

(b) the criteria adopted for issuing these passes ?

MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a)

Number of passes *Class of passes*

228	1st
41	Ind

(b) Complimentary passes are issued with the approval of the Minister to organisations/ individuals who deserve them on basis of work that they are doing either for the Railways or the country. These criteria are being further reviewed.

अहमदाबाद को गोहाटी से सीधी गाड़ी द्वारा जोड़ा जाना

272. श्री डी० डी० देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का अहमदाबाद को गोहाटी से सीधी गाड़ी द्वारा निकट भविष्य में जोड़ने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : अहमदाबाद से गुहाटी तक मीटर लाइन के पूरे मार्ग पर थ्रू गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज

273. श्री डी० डी० देसाई : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात की खाड़ी में तट दूर तेल संसाधनों की खोज के बारे में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). केम्बे की खाड़ी के उथले पानी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक मात्र खोदे गये कुएं से वाणिज्यिक स्तर पर तेल प्राप्त होने का कोई संकेत नहीं मिला।

कम्पनी कानून में संशोधन

274. श्री डी० डी० देसाई : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनी कानून के क्रियान्वयन में सामने आयी विसंगतियों को ठीक करने के लिए इसमें और व्यापक संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) सम्पूर्ण मामला, शीघ्र गठित की जाने वाली एक उच्च शक्ति सम्पन्न विशेषज्ञ समिति को निदेशित किया जा रहा है। कम्पनी अधिनियम में कोई परिवर्तन, उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर होगा।

कोयला तेल शोधक कारखाने में हड़ताल

275. श्री सत्येन्दर नारायण सिन्हा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कोयला तेल शोधक कारखाने में मई, 1977 में हड़ताल हुई थी;
- (ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और
- (ग) क्या हड़ताल समाप्त हो गई है और यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। कोयला शोधनशाला में 11 मई से 20 मई तक हड़ताल थी।

(ख) यद्यपि, यूनियन के साथ किये गये दीर्घकालीन समझौते के अनुसार, जो कि मई, 1978 तक वैध है, उक्त समझौते के चालू अवधि के दौरान झगड़ों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कार्य-प्रणाली के अधीन निपटाया जाना चाहिये, परन्तु फिर भी कामगारों ने गुजरात शोधनशाला कामगार संघ द्वारा गुजरात सरकार के सहायक श्रम आयुक्त को संधे तौर पर प्रस्तुत किये गये 12 मांगों के चार्टर के समर्थन में 11 मई, 1977 को अपराह्न 2.00 बजे हड़ताल कर दी।

(ग) जी, हां। संघ द्वारा उठायी गयी मांगों को गुजरात सरकार द्वारा 13 मई, 1977 को हड़ताल की अवधि के दौरान राज्य औद्योगिक अधिकरण के पास न्याय के लिये भेज दिया गया था। तथापि इस बधापूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए प्रबन्ध ने न्यायालय से बाहर संघ की कुछ मांगों का स्वीकार करने की पेशकश की। ये मांगे बड़ौदा से आने वाले कर्मचारियों के लिए पारी बस और बस-पास की व्यवस्था करने, दैनिक दर पर काम करने वाले कर्मचारी कामगारों की सेवाओं का विनियमन करने लोको संचालकों के पदोन्नति की जांच करना, कार और ट्रक चलाने के लिए कम्पनी की लागत पर शन्टरों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित हैं। प्रबन्ध की इस पेशकश को संघ द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी।

जहां तक प्रोन्नति नीति का सम्बन्ध है, प्रबन्ध ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा परिचालित प्रारूप आदर्श प्रोन्नति नीति पर आधारित और आगे चर्चा का आश्वासन दिया तथा शोधनशालाओं और पाइपलाइन प्रभाग की सभी मान्यता-प्राप्त संघों के पास उचित परामर्श करने के पश्चात संशोधित प्रोन्नति नीति को मई, 1978 तक अन्तिम रूप दिये जाने का प्रस्ताव है।

पेट्रोलियम उत्पादों में आत्म निर्भरता प्राप्त करना

276. श्री चित्त वसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : भूगर्भीय तथा भू-विज्ञान सर्वेक्षण पूर्ण हो चुके हैं। व्यधन संचालन तथा कच्चे तेल का असम तथा गुजरात में आरम्भ रखने के अतिरिक्त अन्वेषण-व्यधन कार्य अन्य अपतटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर किया जाना है। अपतटीय क्षेत्रों में, बम्बई हाई तथा उत्तरी बसीन क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास किया जा रहा है। अन्वेषक कुएं अन्य अपतटीय संरचनाओं में भी खोदे जा रहे हैं। कच्चा तेल जिसका उत्पादन चाँची

पंचवर्षीय योजना के अन्त में 7.2 मि० मी० टन प्रति वर्ष था उसका वर्ष 1978-79 में 14 मि० मी० टन प्रति वर्ष तक उत्पादन बढ़ जाने की आशा है। उसी अवधि के दौरान देश की शोधन क्षमता को 24 मि० टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3 मि० टन प्रति वर्ष तक करने के लिए समेकित कार्यवाही की जा रही है। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने के सम्बन्ध में भी कदम उठाये जा रहे हैं।

फर्मों द्वारा ड्रिलिंग कार्य

277. श्री एस० जी० मुख्यमन्त्री } क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री पी० के० कोदिमान } यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल का पता लगाने के लिये इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा किस किस स्थान पर ड्रिलिंग कार्य किया जा रहा है।

(ख) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने हाल ही में कुछ स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य बन्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा व्यधन कार्य किया जा रहा है। कनाडा के असमारा गुप द्वारा मन्नार की खाड़ी में व्यधन कार्य किया जा रहा है।

(ख) कच्छ तथा बंगाल-उड़ीसा तलछटों में विदेशी ठेकेदारों द्वारा क्रमशः जनवरी 1976 और

(ग) तथा अप्रैल, 1976 के अन्त से कोई व्यधन कार्य नहीं किया जा रहा है। खोदे गये अन्वेषी कुओं से हाईड्रोकार्बन के वाणिज्यिक स्तर पर मिलने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।

मुस्लिम स्वीय विधि में संशोधन करने का प्रस्ताव

278. श्री वसन्त साठे : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुस्लिम स्वीय विधि में विशेष रूप से विवाह और तलाक संबंधी पहलुओं के बारे में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्द्र) : (क) विधि मुस्लिम स्वीय में संशोधन करने के लिए सरकार के समक्ष फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फाइजर कम्पनी को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना

279. श्री वसन्त साठे : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फाइजर कम्पनी को इस आशय का कारण बताओं नोटिस जारी किया कि उसके विरुद्ध औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश और औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन कार्यवाही क्यों न की जाए :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं :

(ग) क्या सरकार को कम्पनी से स्पष्टीकरण मिल गया है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां । दो कारण बताओ नोटिस , एक आई (जे० आर०) अधिनियम, 1951 के उल्लंघन के लिए और दूसरा डी० पी० सी० ओ० 1970 के उल्लंघन के लिए जारी किये गये हैं ।

(ख) इन नोटिसोंकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:—

मैसर्स फाइजर के पास प्रोटीन हाइड्रोलिसेट के उत्पादन के लिए 110 मी० टन प्रति-वर्ष क्षमता के साथ एक औद्योगिक लाइसेंस है । वे कार्बोहाइड्रेट्स मिनलर्स और विटामिन का मिश्रण करके 'प्रोटीनेक्स' का उत्पादन करते हैं । प्रत्यक्षतः यह पाया गया है कि :—

- (1) प्रोटीनेक्स रचना और विशेषताओं दोनों में प्रोटीन हाइड्रोलिसेट से बिल्कुल भिन्न उत्पादन है :
- (2) उन्होंने 1954 में औद्योगिक लाइसेंस और फिर 1960 और 1963 में महत्वपूर्ण विस्तार केवल प्रोटीन-हाइड्रोलिसेट के लिए लिया था ।
- (3) प्रोटीनेक्स एक औषध सूत्रयोग है और कहा जाता है कि इसमें प्रोटीन हाइड्रोलिसेट के अतिरिक्त 17 अन्य पदार्थ हैं, अतः इसके लिए आई (डी आर) अधिनियम को धारा 11-ब के अन्तर्गत एक अलग औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता है ।

क्योंकि मैसर्स फाइजर विशेषरूप से प्रोटीन प्रोटीनेक्स के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना इसका उत्पादन करते रहे हैं अतः आई (डी आर) अधिनियम 1951 की धारा 24 के अन्तर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही आरम्भ करने का प्रस्ताव है और ऐसा करने से पहले फर्म को अपना केस बताने के लिए अवसर दिया गया है ।

मैसर्स फाइजर महत्वपूर्ण विस्तार औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना ही प्रोटीन हाइड्रोलिसेट का लाइसेंसकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करते रहे हैं । आई (डी आर) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत दिये गये नोटिस में मैसर्स फाइजर से अपने इस दावे कि अधिक उत्पादन तकनीकी सुधार के कारण था और न कि 110 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए अतिरिक्त प्लांट और उपकरणों की स्थापना के कारण, को पुष्टि करने के लिए भी कहा गया है । उनसे इसके समर्थन में एक चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण-पत्र भी देने के लिए कहा गया था ।

इसी प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत डी० पी० सी० ओ० 1970 की धाराओं के उल्लंघन के लिए दूसरा नोटिस दिया गया है । प्रत्यक्षता यह पाया गया है :

- (1) कि प्रोटीनेक्स में प्रोटीन हाइड्रोलिसेट के अतिरिक्त अन्य प्रयुज औषधों हैं और डी पी सी ओ 1970 के पैरा 2(छ) के अन्तर्गत प्रोटीनेक्स एक सूत्रयोग है ।
- (2) मार्च, 1972 से 1976 की अवधि को छोड़कर वे इस उत्पाद का औषधों के रूप में विक्रय करते रहे हैं और डी० पी० सी० ओ के लागू होने पर उन्होंने आवश्यक विवरण और जानकारी नहीं दी जैसा कि उसके पैरा 9 के अन्तर्गत आवश्यक था ।

अतः डी०पी०सी०ओ० 1970 की धाराओं का उल्लंघन करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के पैरा 7 के अन्तर्गत इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने का प्रस्ताव है। ऐसा करने से पहले फर्म को अपना केस बताने के लिए अवसर दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) फर्म से प्राप्त उत्तरों की सम्बद्ध विभागों की सलाह से जांच की जा रही है।

इटली की ई० एन० आई० कम्पनी के साथ व्यापारिक समझौते

280. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इटली की ई० एन० आई० कम्पनी के साथ कितने व्यापारिक समझौते किये गये हैं अथवा किये जाने वाले हैं और प्रतीक मामले में समझौते का कुल मुख्य मूल्य क्या है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र के इतालवी ससुर का इस विदेशी कम्पनी के साथ किये गये अनेक समझौतों का लाभ मिल रहा है।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनके पुत्रों तथा रिश्तेदारों को इस इतालवी कम्पनी के साथ भारत सरकार के व्यापारिक समझौतों से मिलने वाले वित्तीय लाभों के पूरे व्यौरे जानने के लिये कोई जांच कराने का है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) (I) मद्रास शोधनशाला लि० तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन ने वर्ष 1974 में क्रमशः मैसर्स स्नाम प्रगति तथा मैसर्स टेक्नो, जोकि ई० एन० आई० की सहायक कम्पनियाँ हैं, को कुछ अध्ययन कार्य सौंपा था। इनमें से प्रत्येक संविदा का मुख्य निम्नलिखित है :—

मद्रास शोधनशाला लिमिटेड :

ढाई लाख डालर की कुल लागत पर पूर्ति भंडार (एच०वी०आई०) के उत्पादन में अधिकतम सीमा तक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु फुरफुरल निकास एकक की कठिनाइयों सहित प्रति वर्ष 3.4 मि०मी० टन तक मद्रास शोधनशाला का विस्तार करने के लिए अध्ययन किया।

इंडियन आयरन, कार्पोरेशन लिमिटेड :

प्रस्तावित मथुरा शोधनशाला के कार्य आरम्भ करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले वायु दूषण के स्मारकों, विशेष कर आगरा स्थित ताजमहल का 158 मि० लायर की कुल अनुमानित लागत पर संरक्षण कार्य का अध्ययन करना।

(II) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग :

यहाँ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है, 1966 से अब तक ई० एन० आई० से कोई नया संविदा नहीं किया गया है।

(III) भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लिमि० और गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी ने ई० एन० आई० की सहायक कम्पनी मैसर्स स्नाम प्रगति से करार किये हैं। प्रत्येक करार का मूल्य निम्नलिखित है :—

भारतीय उर्वरक कार्पोरेशन लिमिटेड :

1. ट्राम्बे 1 परियोजना के यूरिया संयंत्र को स्थापित करने के लिये ठेका :—

(i) प्रक्रम डिजाइन पैकेज	1,790,000 डालर
(ii) आयातित उपकरण	7,500,000 डालर
(iii) कार्मिकों की सेवाएं प्रदान करना	1,000,000 डालर
कुल	10,290,000 डालर

2. ट्राम्बे 1/परियोजना के अमोनिया संयंत्र को स्थापित करने हेतु ठेका :—

(i) बुनियादी डिजाइन की पूर्ति	2,571,450 डालर
(ii) उपकरण	12,286,050 डालर
(iii) विपुल सामग्री	4,022,550 डालर
(iv) कार्मिकों की सेवायें प्रदान करना	1,769,265 डालर
कुल	20,649,315 डालर

(v) एफ० सी० आई० के पी० एण्ड डी० प्रभाग द्वारा जाने वाला व्यौरवार इन्जीनियरिंग कार्य 14,665,000 डालर

ऊपर दर्शायी गयी राशि के अतिरिक्त, एफ० सी० आई० को फालतू पुर्जों, उत्पत्तियों, कच्चे माल, और प्रापण प्रभार आदि के लिए स्नाम को 15,011,535 देने होंगे।

भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लिमिटेड :

1. फूलपुर परियोजना के लिए तकनीकी सहायता और पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करना :

(i) शुल्क	680,000 डालर
(ii) सामने दर्शाये गये तदनुसूची धनराशि के लिए भारतीय रुपये की मुद्रा में।	130,000 डालर

2. फूलपुर परियोजना के लिए साफ करने की प्रक्रिया और ब्यौरेवार इन्जीनियरिंग कार्य के लिए ठेका :

(i) तकनीकी प्रालेखन की पूर्ति	2,890,000 डालर
(ii) भारत से बाहर प्रापण सेवाएं	635,000 डालर
(iii) भारत से बाहर प्रदान की जाने वाली सेवाएं	50,000 डालर

गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लिमिटेड :

यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिए ठेका

(i) सप्लाइ ठेका	11,435,500 डालर
(ii) इन्जीनियर्स करार	1,825,000 डालर
(iii) तकनीकी जानकारी करार	1,003,000 डालर
(iv) सेवा करार	1,100,000 डालर

कुल 15,363,500 डालर

इसके प्रतिरिक्त विदेशी कम्पनी से प्रतिपूर्ति आधार पर उन उपकरणों की खरीद के लिए ठेके में 7 मिलियन डालर की राशि निर्धारित की गई है, यदि उक्त उपकरण देश में उपलब्ध न हों। इस राशि में समुद्री भाड़ा और प्रापण प्रभार भी शामिल है।

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों से इस आशय की सूचना एकक एकत्र की जा रही कि क्या उन्होंने ई० एन० आई० अथवा इसकी किसी अन्य सहायक कम्पनी से कोई अन्य करार/ठेका किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय उर्वरक निगम द्वारा स्नाम के साथ किये गये ठेकों की जांच आरम्भ कर दी है।

उप-निर्वाचन

281. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और 1976 के बीच (दोनों वर्षों सहित) कितने उप-निर्वाचन तीन महीनों से अधिक अवधि तक नहीं कराए गए ;

(ख) तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और निर्वाचन न कराए जाने के क्या कारण थे; और

(ग) 25 मार्च, 1977 को कितनी नगरपालिकाएं अतिष्ठित थीं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी। नगरपालिकाओं के प्रशासन से भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

दक्षिण भारत में निर्वाचनों में हेराफेरी

282. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन की सहायता से कांग्रेस पार्टी द्वारा दक्षिण भारत में गत लोक सभा निर्वाचनों में हेराफेरी किये जाने के बारे में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या इस के बारे में कोई जांच की जा रही है ;

- (ग) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और
(घ) उनका आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 334/77]

(घ) यदि कोई अतिरिक्त कार्रवाई अपेक्षित हुई तो वह संबंधित मुख्य निर्वाचन आफिसर से इस विषय पर रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा उनके परिवार के सदस्यों के कम्पनियों में हिस्से

283. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी का मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, उनके पुत्रों, सर्वश्री संजय और राजीव, पुत्रवधुओं, श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती मेनका गांधी का धन लगा हुआ है अथवा उनका नियंत्रण है;

(ख) प्रत्येक उक्त शेयर धारी द्वारा लगाई गई पूंजी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्त्रोतों (स्त्रोतों सहित) से कुल कितनी राशि के ओवर ड्राफ्ट लिये ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) तथा (ख) 31-3-1976 तक प्राइवेट सेक्टर में 43853 कम्पनियां थीं। कम्पनी कार्य विभाग के किसी भी कार्यालय में किसी भी प्रकार का रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है जिसमें विभिन्न कम्पनियों में व्यवित विशेष द्वारा एक स्थान पर शेयरधारण प्रदर्शित होता हो। इसलिए पूछी गई सूचना के लिए 43853 कम्पनियों में से प्रत्येक के शेयरधारियों के नामों को देखना आवश्यक होगा। इस कार्यवाही में लगने वाले परिश्रम पर विचार का आयोजन नहीं किया जा रहा है। यह सम्भव है कि प्रश्न में संदर्भित व्यक्तियों को आयकर/सम्पत्ति कर के लिए मूल मूल्यांकित किया जा रहा हो तथा कर अभिलेखों में मांगी गई सूचना रखी गई हो। प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड से इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया जा रहा है। सूचना, जब भी प्राप्त होगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड से उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित ब्यौरे प्राप्त करने के पश्चात्, बैंकिंग विभाग से मांगी गई सूचना के लिए सम्पर्क किया जाएगा।

आवश्यक औषधियों के मूल्य

284. श्री आर० कोलनथाइवेलु : क्या वैट्टोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार के हैं कि उन्हें जनसाधारण उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं ;

(ख) क्या आयातित औषधियों के और औषधियों में काम आने वाले कच्चे माल के मूल्य, उनकी विदेशों में उत्पादन लागत तथा उस पर उचित लाभ को देखते हुए बहुत अधिक है; और

(ग) मूल्यों में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 की धाराओं के अन्तर्गत औषधों के मूल्य कानूनी रूप से नियंत्रित हैं। इस आदेश के अन्तर्गत सरकार द्वारा एक बार अधिसूचित किये गये मूल्यों को निर्माता सरकार की पूर्वानुमति के बिना संशोधन नहीं कर सकते छोटे पैमाने को एक के जिनकी सूत्रयोगों की वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये से कम है इस आदेश के क्षेत्र से मुक्त है। इस आदेश द्वारा औषधों के मूल्य को उचित स्तर पर बनाए रखना सम्भव हुआ है।

(ख) और (ग) प्रपुंज औषधों को उत्पादन लागत और विदेशों के कच्चे माल को जिस मूल्य से उनको भारत से आयातित किया जाता है की तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि ना ही उनकी उत्पादन लागत के आंकड़े उपलब्ध हैं और नहीं उन्हें प्राप्त करना सम्भव है।

(घ) हाथी समिति ने औषधों और दवाइयों के मूल्यों के योक्तिकीकरण पर कई सिफारिशों की हैं और उन पर सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है। तथापि, वी आई सी पी द्वारा किये गए लागत परीक्षण के आधार पर तथा कई प्रपुंज औषधों के आयातित मूल्यों में कमी के कारण वर्ष 1976-77 में प्रपुंज औषधों के मूल्यों में कमी की गई थी। प्रपुंज औषधों के नाम तथा मूल्यों में कमी से सम्बन्धित विवरण पत्र संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 335/77]

चित्तरंजन टाउनशिप के चारों ओर दीवार

285. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या चित्तरंजन टाउनशिप के चारों ओर दीवार का फेरा बनाया गया है ; और
(ख) इस दीवार के निर्माण के बाद क्या वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ है

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधुदंडवते) : (क) जी हां। चित्तरंजन टाउनशिप की सीमा के कुछ भाग में चहारदीवारी की गयी है।

(ख) चहारदीवारी से अनधिकृत व्यक्तियों का टाउनशिप में प्रवेश रोकने में सहायता मिली है और इस तरह रेल सम्पत्ति की चोरी और उठाईगिरी से रक्षा होती है। जब से उपर्युक्त चहारदीवारी बनी है, तब से टाउनशिप के भीतर रेलवे क्वार्टरों में अपराध और चोरी की घटनाएं काफी कम हो गयी हैं।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का निलम्बन

286. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में गत दो वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया,

(ख) उनके निलम्बन के क्या कारण हैं, और

(ग) निलम्बित किये गये श्रम संघों के उच्च पदाधिकारियों के क्या नाम हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधुदंडवते) : (क) 98, इनमें से 67 कर्मचारियों को फिर से ड्यूटी पर ले लिया गया है।

(ख) आपराधिक मामले, अनधिकृत अनुपस्थिति, ड्यूटी के प्रति लापरवाही, रेलवे सामानों की चोरी, आदि।

(ग) 1. श्री एन० के० मुखर्जी, अध्यक्ष, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना मजदूर यूनियन (गैर-मान्यताप्राप्त), जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण।

2. श्री आर० एन० सिंह, महामंत्री, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना मजदूर यूनियन, की भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारी और नजरबन्दी तथा सरकारी रिकार्ड में हेरा-फेरी करने के गंभीर दुराचरण, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आदि के कारण।

3. श्री एन० एन० सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना मजदूर यूनियन, की मीसा के अंतर्गत गिरफ्तारी और नजरबन्दी के कारण छोड़ दिया जाने के बाद 24-12-75 को निलम्बन-आदेश रद्द कर दिया गया।

4. श्री एस० आर० दास०, भूतपूर्व महामंत्री, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना मजदूर, यूनियन, की मीसा के अंतर्गत गिरफ्तारी और नजरबन्दी के कारण इन्हें 21-5-77 को छोड़ दिया गया, लेकिन गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण, जिनमें हत्या भी शामिल है, पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दिये जाने के कारण ये अभी भी नजरबंद है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स श्रम संघ के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण

287. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स श्रम संघ के सात उच्च पदाधिकारियों के बारे में, 20 अप्रैल, 1972 को जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश न्यायालय द्वारा दुर्भावनापूर्ण घोषित किये गये थे, और

(ख) जुलाई, 1973 में आदेश दिये जाने के बाद अन्तरिम अवधि को किस प्रकार नियमित किया गया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) प्रभावित मामलों में अनुपस्थिति की अवधि को नियमित कर दिया गया है और ऐसा करते समय जितनी छुट्टी देय थी, उसे छुट्टी और शेष अवधि को बिना वेतन छुट्टी माना गया है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा दुलियाजान में जबरन छुट्टी की घोषणा

288. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने हाल ही में दुलियाजान में बहुत से नैमित्तिक श्रमिकों की जबरन छुट्टी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) ऐसी जबरन छुट्टी को रोकने तथा श्रमिकों को स्थायी पदों पर लगाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नदन बहुगुणा) : (क) आयल इंडिया लि० से उपलब्ध रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि उन्होंने किसी प्रकार के आकस्मिक श्रमिकों (कैजुअल लेबर) की व्यवस्था नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में समय कम देने के कारण बचाए गए जन-घंटे

289. डा० सरदीश राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में गत दो वर्षों के दौरान जबरन अथवा स्वैच्छिक रूप से समय कम किए जाने के कारण कुल कितने जन-घंटे बचाये गए;

(ख) जबरन समय कम करने से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए; और

(ग) स्वैच्छिक रूप में कम किए गए समय के लिए दिए गए पारितोषिकों के रूप में कुल कितना व्यय हुआ ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में अनुमत समय में कोई जबरन कमी नहीं की गई है, तथापि, अनुमत समय में स्वैच्छिक कटौती के फलस्वरूप 1975-76 में 1,19,424 जन-घंटे और 1976-77 में 4,99,716 जन-घंटों की कमी हुई है।

(ख) अनुमत समय में जबरन कोई कमी नहीं की गई है। अतएव, इससे किसी भी कर्मचारी पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) समय की स्वैच्छिक कटौती के लिए दिए गए कुल पुरस्कार के रूप में 1975-76 में 40,873 रु० और 1976-77 में 2,51,948 रु० खर्च हुए।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कैंटीन कर्मचारियों की बहाली

290. डा० सरदीश राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कितने कैंटीन कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया,

(ख) क्या उनको फिर से सेवा में ले लिया गया है,

(ग) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स प्रशासन कैंटीन कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें लड़ रहा है, और

(घ) यदि हां, तो उस प्रयोजन के लिए धन की मंजूरी किस प्रकार दी गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जुलाई, 1976 में कैंटीन के 5 कर्मचारियों को हटाये जाने का नोटिस दिया गया था किन्तु कलकत्ता के उच्च न्यायालय द्वारा निषेध आदेश दिए जाने के कारण वह क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

(ग) कैंटीन कमेटी के अध्यक्ष और सचिव, मुकदमा लड़ रहे हैं।

(घ) न्यायालय में चल रहे मामले में होने वाला खर्च अब तक, कैंटीन निधि से किया जा रहा है।

रेलवे वर्कशाप कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन बोनस नियत करने संबंधी सिद्धान्त

291. डा० सरदीश राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वर्कशाप में बचाए गए समय के प्रत्येक घंटे के लिए प्रोत्साहन बोनस किन सिद्धान्तों के आधार पर नियत किया गया था ;

(ख) तीसरे वेतन आयोग के नए वेतन मान कार्यान्वित करने के पश्चात् संशोधित दरें किस आधार पर नियत की गई हैं ;

(ग) क्या श्रमिकों को वेतन की प्रतिघंटा दर के अनुसार अदायगी नहीं की जा रही; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) प्रारम्भ में 1954 में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना के चार्जमैन के स्तर तक के कर्मचारियों एवं पर्यवक्षकों के लिए प्रोत्साहन योजना चालू की गई थी और दी जाने वाली प्रतिघंटा बोनस की दरों का निर्धारण निर्धारित वेतनमानों के धारित औसत के हिसाब से किया गया था।

(ख) प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्कशाप के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को जो प्राधिकृत वेतनमानों पर प्रतिघंटा दी जाने वाली प्रोत्साहन बोनस की वर्तमान दर में 20% की वृद्धि कर दी गई है।

(ग) कर्मचारियों की संशोधित प्रतिघंटा वेतन दरों के हिसाब से भुगतान किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

RAILWAY LINES BETWEEN JAHANGIRABAD (U.P.) AND DELHI

†292. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a survey was conducted by the Railways for constructing a railway line connecting Jahangirabad (U.P.) and Delhi;

(b) if so, when and the action so far taken in the matter; and

(c) the time by which this line is likely to be completed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a), (b) & (c) No survey had been carried out for the direct rail link between Jahangirabad and Delhi in the past. However, a traffic survey carried out during 1927-28 for Phaphund-Bulandshahr rail link via Etah, Kasganj, Dibai and Anupshahr, of which Jahangirabad-Bulandshahr portion of Jahangirabad-Delhi rail link forms a part, revealed that the project was not financially viable and was not taken up for construction. There is extreme shortage of resources at present. The chances for taking up the proposed rail link in the near future are, therefore, remote.

APPOINTMENT OF APPRENTICES ON REGULAR BASIS

†293. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken on the scheme for appointment of apprentices working in railways on a regular basis within a specified period; and

(b) if not, the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) & (b) Under the Apprentices Act, there is an obligation to train apprentices to provide skilled manpower for the industries in the country. But the training organisation has no obligation to provide employment. The Railways' capacity to offer employment is limited and depends on vacancies as well as the claims of others. It has been decided that Apprentices in clerical categories who have completed training will be absorbed against 50% of the existing vacancies of Office Clerks and Accounts Clerks and those arising upto 31-3-1978. In artisan categories, the extent to which Apprentices can be absorbed in the skilled cadre is under consideration.

INCREASE IN PRICE OF KEROSENE OIL

294. SHRI YAGYA DUTT SHARMA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to stat :

- (a) whether the prices of kerosene oil have increased during the last two years;
- (b) if so, when and the extent to which the prices registered an increase; and
- (c) the reasons for the increase in prices ?

THE MINISTER FOR PETROLEUM AND CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (c): During the last two years, the basic ceiling selling prices of Kerosene oil were increased by five paise per litre with effect from 14-7-1975 and by twelve paise per litre with effect from 1-12-1975. These increases were claimed due to increases in the cost of imported crude oil.

INCREASE OF DRUG PRICES BY DRUG MANUFACTURING COMPANIES

295. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

- (a) whether drug manufacturing companies have increased the prices of their products during the last six months; and
- (b) if so, when and the percentage of increase as also the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b) Prices of drugs are regulated under the provisions of Drug (Prices Control) Order, 1970. No manufacturer can increase the prices once fixed under the said Order without prior approval of the Central Government. Small scale drug manufacturing units having turnover not exceeding Rs. 50 lakhs in formulations are exempt from the purview of the said Order. The question of drug manufacturing companies increasing the prices of their products unilaterally during the last six months, therefore, does not arise.

The Order provides for a mechanism for revision in prices. The prices of formulations are mainly dependent upon prices of bulk drugs. In the recent past, prices of certain bulk drugs made available to the formulators have been revised upwards as well as downwards, based on the recommendations made by the Bureau of Industrial Costs & Prices after necessary scrutiny/examination in accordance with the guidelines/norms prescribed by Government. Information regarding increases and decreases in prices of drug formulations allowed to drug manufacturers during the six month period ending 31st March, 1977 and the percentage of such increases or decreases is given in the attached statement. [Placed in library. See L.T. No. 336/77]

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में ब्लाक कांग्रेस कार्यालय का निर्माण

296. श्री रोबिन सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में ब्लाक कांग्रेस कार्यालय का निर्माण करने के लिए किन्हीं रेलवे स्टालों अथवा भूमि बिजली और अन्य सामग्री निरस्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह नियतन किस प्रकार किया गया; और

(ग) क्या इसके लिए कोई किराया वसूल किया गया है।

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में ब्लाक कांग्रेस कार्यालय को कोई स्टाल आवंटित नहीं किया गया है। 3-12-73 को श्रीमती सावित्री देवी को 'सी' श्रेणी का एक स्टाल किराने की दुकान चलाने के लिए आवंटित किया गया है।

(ख) आवंटन अनुग्रह के आधार पर किया गया था, क्योंकि श्रीमती सावित्री देवी के पति की मृत्यु कारखाने में ड्यूटी के दौरान हुई थी।

(ग) 31-12-76 तक का लाइसेंस शुल्क ले लिया गया है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी

297. श्री रोबिन सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के निदेशक पद पर प्रशासन द्वारा नामनिर्देशन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) प्रबन्ध समिति में निदेशक के नामांकन का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कर्मचारी सहकारी स्टोर्स

298. श्री रोबिन सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के प्रशासन ने कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे सहकारी स्टोर की प्रबन्ध समिति से अपने नामनिर्देशित व्यक्ति वापस बुला लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की सामान्य नीति रेल कर्मचारियों को सहकारी स्टोरों के प्रबन्ध में सीधे भाग लेने की नहीं है, सिवाय उन मामलों के जिनमें उनको वित्तीय सहायता दी गई हो। लेकिन, एक विशेष मामले के रूप में उक्त सहकारी स्टोर के सुचारु और कुशलता पूर्वक चलाने में सहायता देने के लिए, विगत में 1956 से 1974 तक उसके प्रबन्ध में सरकारी सदस्य मनोनीत करने की अनुमति दी गई थी। चूंकि अब इस स्टोर की जड़ें मजबूत हो गई हैं और यह कुशलतापूर्वक चल रहा है, अतः यह महसूस किया जाता है कि सेरे मनोनयन की अब आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय औषध नीति

299. श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औषध नीति तैयार की है ; और
(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें एवं उसके उद्देश्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) और (ख) : भविष्य के लिए औषध एवं भेषज उद्योग के सम्बन्ध में सरकार की नीति निर्धारण के मुख्य सिद्धांत और उद्देश्य निम्नप्रकार हैं :—

- (1) सरकार का यह उद्देश्य है कि जनता की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में औषधियों की बहुतायत उपलब्धि को सुनिश्चित किया जाए ;
- (2) सरकार का यह उद्देश्य है कि आयात की मात्रा को कम करने के लिए कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर आत्म निर्भरता प्राप्त की जाए ;
- (3) सरकार का उद्देश्य है कि औषध प्रौद्योगिकी में आत्म निर्भरता का विकास किया जाए ;
- (4) अस्पतालों और जन साधारण को उचित मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध करने के लिए सरकार कदम उठायेगी और इसके लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली को जारी रखना होगा ;
- (5) मूल्य नियंत्रण को जारी रखने में सरकार का यह उद्देश्य है कि उद्योग में लगाई गई ंजी पर उचित प्रति-प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाए ;
- (6) जो फर्मों अनुसंधान एवं विकास में जुटी हुई हैं, उन्हें सरकार विशेष रूप से प्रोत्साहन देगी ;
- (7) सरकार भारतीय क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देगी ;
- (8) सरकार औषध उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व देगी ;
- (9) सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि विदेशी कम्पनियां हमारी नीतियों की सीमाओं के अन्दर कार्य करें ; और
- (10) सरकार उत्पादन की क्वालिटी पर कड़ी निगरानी रखेगी और मिलावट तथा कदाचार को रोकेगी ।

बरौनी उर्वरक कारखाने को उत्पादन में हानि

300. श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी उर्वरक संयंत्र को बार बार बिजली के बन्द हो जाने का सामना करना पड़ा जिससे उत्पादन की भारी हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस संयंत्र को निरन्तर और बिना स्कावटन के बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्द बहुगुणा) : (क) (ख) और (ग): बिजली और वाल्टेज की कई बार अधिकता और कमी के कारण न केवल संयंत्र के चालू होने में विलम्ब हुआ, बल्कि जब नवम्बर, 1976 से संयंत्र चालू हुआ था, तब से मई, 1977 तक की अवधि के दौरान यूरिया के उत्पादन में लगभग 11,500 मी० टन की हानि भी हुई है, केपेस्टिटर बैंक का प्रतिष्ठापन, सोलिड स्टेट टाइप रेगुलेटर तथा एक 4 के बी० ए० इन्वर्टर जैसे उपचारात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं। टाई लाइनों पर अंडर फ्रिक्व्यूसी रिलेज की प्रतिस्थापना के भी कदम उठाए जा रहे हैं। वरौनी थर्मल पावर स्टेशन ने वरौनी थर्मल पावर हाउस में प्रत्येक 110 एम डब्ल्यू के दो सेट प्रतिस्थापित करने के लिए भी कार्यवाही की है।

ADDITIONAL COACHES FOR TRAINS

*301. **SHRI K. LAKKAPPA :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

- (a) Whether the passengers experience inconvenience because of overcrowding in almost all the trains;
- (b) Whether Government propose to attach additional coaches to every train; and
- (c) if so, by what time ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) There is some overcrowding in unreserved second class coaches on certain trains.

(b) & (c) Most of the long distance fast trains are running with full load leaving no scope for attaching extra coaches on them as a regular measure. To provide relief to passengers, a large number of new trains were introduced and the runs of existing trains extended in the past. Crowded trains are also being dieselised to augment their load as and when diesel locomotives become available. This is a continuing process to provide relief to the travelling public.

NEW RAILWAY LINES IN KARNATAKA

*302. **SHRI K. LAKKAPPA :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

- (a) whether Government have any proposal to lay new railway lines in Karnataka; and
- (b) if so, salient features thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) & (b) A new railway line from Hassan to Mangalore is already under construction in Karnataka. Another railway line from Tornagallu to Ranjitpura has been completed recently. Surveys have been carried out for construction of railway lines from Hubli to Karwar, from Talguppa to Hanovar, from Rayadurga to Chitradurg, from Kottur to Harihar and from Apta to Mangalore, part of which falls in Karnataka State. Decisions on the construction of the lines which have been surveyed already, would depend upon the availability of resources and traffic potential.

कोचीन और कयामकुलम् के बीच बरास्ता अलप्पी रेल सम्पर्क

303. श्री सी० के० चन्द्रप्पन } क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री के० ए० राजन }

(क) क्या कोचीन और कयामकुलम के बीच बरास्ता अलप्पी रेल सम्पर्क के बारे में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पूराकर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस नई रेल लाइन के निर्माण के लिये निशुल्क रूप से स्लीपरों की सप्लाई करने और व्यापक "श्रमदान अभियान" का आयोजन करने का प्रस्ताव किया था, और

(घ) इस लाइन के निर्माण के बारे में अन्तिम निर्णय क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) एरणाकुलम से एलेप्पी तक एक नयी रेलवे लाइन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा चुका है। एलेप्पी से कयामकुलम तक के शेष भाग में इंजीनियरी सर्वेक्षण कार्य अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) एरणाकुलम से एलेप्पी तक लाइन की लम्बाई 50 कि० मी० है और अनुमान है कि इस पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आयेगी।

(ग) जी हां, ।

(घ) संसाधनों की कमी के कारण इस लाइन के निर्माण-कार्य को 1977-78 के बजट में शामिल करना सम्भव नहीं हो पाया है।

बम्बई हाई और बसीन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ड्रिलिंग कार्यों को धक्का

304. श्री सी० के० चन्द्रप्पन: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई और बसीन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की ड्रिलिंग तथा खोज सम्बन्धी गतिविधियों को हाल में धक्का पहुंचा है क्योंकि वहां पर खोदे गए बहुत से कुओं में तेल नहीं पाया गया ;

(ख) यदि हां, तो ये तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इससे बम्बई हाई के बारे में देश की आशाओं पर तुषारापात होगा; और

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस क्षेत्र में तेल के लिए ड्रिलिंग करने के लिए किन देशों के साथ सहयोग करार किया है और जिन कुओं में तेल नहीं मिला उन की खुदाई किन देशों में की थी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) बम्बई हाई तथा बेसिन क्षेत्र में व्यधन कार्य के लिए कोई विदेशी सहयोग नहीं किया गया है। तथापि इंग्लैण्ड, अमरीका तथा नार्वे की कुछ फर्मों से विशिष्ट सेवाएं तथा व्यधन कार्य के लिए संचालन सहायता प्राप्त कर ली गई है।

तेल्लीचेरी को मैसूर, व मंगलौर को बम्बई तथा कुट्टीपुरम को त्रिचूर से मिलाने वाली रेल लाइनों का निर्माण

305. श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री वयालार रवि

(क) क्या तेल्लीचेरी को मैसूर, मंगलौर को बम्बई तथा कुट्टीपुरम को बरास्ता गुरु-वयूर त्रिचूर से मिलाने वाली नई लाइनों का निर्माण आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या इन लाइनों का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या इस क्षेत्र का वर्तमान आर्थिक पिछड़ापन और इन लाइनों में से आर्थिक विकास को होने वाले प्रभाव को इस मामले पर अन्तिम निर्णय करते समय ध्यान में रखा गया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) बम्बई-मंगलूर रेलवे लाइन के एक भाग के रूप में आप्ता-दसगांव लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण किया गया है। इस लाइन की लम्बाई 108 किलोमीटर होगी और अनुमान है कि इस पर लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत आयेगी तथा इससे 4.8% प्रतिफल मिलेगा। रत्नागिरि और मंगलूर के बीच किए पहले गए सर्वेक्षण की स्थलीय जांच के साथ-साथ दसगांव-रत्नागिरि खण्ड के अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा होने वाला है और इस खण्ड का यातायात एवं वित्तीय दृष्टि से मूल्यांकन भी शीघ्र ही किया जायेगा।

गुरुवर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया है। यह लाइन लगभग 60 किलोमीटर लम्बी होगी और अनुमान है कि इस पर लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत आयेगी तथा इसे 1.4% वित्तीय प्रतिफल मिलेगा। तेल्लीचेरी-मसूर लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) जिन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण किया गया है, उनके बारे में अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है।

306. श्री सी० के० } : त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम के बीच चलने वाली रेल गाड़ियां
चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम के बीच चलने वाली ऐसी बहुत कम पैसेन्जर गाड़ियां हैं जो प्रत्येक स्टेशन पर खड़ी होती हैं और इससे क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कत होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) एर्णाकुलम्-कोट्टायम, कोट्टायम-कोल्लम और कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल खण्डों पर इस समय दो-दो जोड़ी यात्री गाड़ियां आती जाती हैं, जो सभी स्टेशनों पर ठहरती हैं। इसके अलावा, एर्णाकुलम-तिरुवनन्तपुरम खण्ड पर 5 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के अतिरिक्त एक जोड़ी तेज गाड़ियां भी चलती हैं जो 27 स्टेशनों पर रुकती हैं और 13 स्टेशनों पर नहीं रुकतीं। ये गाड़ियां एर्णाकुलम-तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल खण्ड पर यात्रियों की आवश्यकताओं के समुचित ढंग से पूरा करती हैं।

(ख) यात्री यातायात में वृद्धि और अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की जरूरतों पर निरन्तर नज़र रखी जाती है।

BROAD GAUGE LINE BETWEEN SONEPUR AND BARABANKI

†307. SHRI JANESHWAR MISHRA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the time by which the work on the broad gauge railway line between Sonepur and Barabanki is likely to be completed; and

(b) the progress so far made in laying this broad gauge line and the reasons for delay in completing the work in time ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) The work is expected to be completed in about three years.

(b) Practically the entire earth work and most of the bridges have been completed. The delay in replacing the metre gauge track with broad gauge track is on account of the limited availability of resources.

सुल्तानपुर-देवगढ़ रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

308. श्री मधु लिमये : क्या यह रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को पता है कि तीसरी लोक सभा की अधिवेशन के दौरान अथवा उसके पश्चात् सुल्तानगंज-देवगढ़ रेलवे लाइन के प्रस्ताव के बारे में सम्भाव्यता अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों को विकास के लिए खोलने की अपनी वचनबद्धता को देखते हुए सरकार का इस रेल लाइन के निर्माण के प्रश्न की जांच फिर से करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क), (ख) और (ग) देवगढ़ और सुल्तानगंज के बीच एक सीधी लाइन का निर्माण करने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि मन्दारहिल और वैद्यनाथधाम (देवगढ़) के बीच एक सीधी लाइन के लिए जिसके द्वारा देवगढ़ और सुल्तानगंज के बीच एक रेल सम्पर्क की व्यवस्था हो जायेगी, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर इस लाइन के निर्माण के बारे में कोई निर्णय लिया जायेगा।

भागलपुर-बौसी लाइन को वैद्यनाथ देवगढ़ तक बढ़ाना

309. मधु लिमये : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को पता है कि भूतपूर्व रेल मंत्री, स्वर्गीय श्री ललितनारायण मिश्र ने बांका (भागलपुर मंडल, बिहार), के लोगों को आश्वासन दिया था कि सरकार भागलपुर-बौसी लाइन को, वैद्यनाथ देवगढ़ तक, जो कि पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल . . . ायेगी ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव के बारे में सम्भाव्यता अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए संसद् में तथा बाहर कोई मांग की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और

(घ) क्या सरकार भागलपुर तथा सन्थाल परगना जैसे पिछड़े इलाकों के विकास के लिए अपनी वचनबद्धता को देखते हुए इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करेगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां, इस सम्बन्ध में संसद् सदस्यों, राज्य सरकार और अन्य व्यक्तियों का और से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ) भागलपुर-बौसी लाइन का बौसी से वैद्यनाथधाम तक बढ़ाने के लिए एक नई रेल लाइन के सर्वेक्षण की व्यवस्था करने का कार्य इस वर्ष के बजट में सम्मिलित कर लिया है जिस पर 2.5 लाख रुपए लागत आयेगी ।

राजनैतिक दलों की स्मारिकाओं में ऊंची दरों के विज्ञापन

310. श्री मधु लिमये : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माताओं के संगठनों, भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य महासंघ अथवा कम्पनी प्रबन्धकों ने कम्पनी ला बोर्ड से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित स्मारिकाओं में ऊंची दरों के विज्ञापनों को दान के रूप में माना जायेगा और उन्हें समवाय अधिनियम, का उल्लंघन माना जाएगा ;

(ख) क्या पिछली सरकार के अन्तर्गत कम्पनी कार्य विभाग, कम्पनी ला बोर्ड ने इन संगठनों से यह कहा था कि स्मारिकाओं में विज्ञानों को 'दान' रूप में नहीं माना जायेगा अथवा नहीं माना जा सकता ;

(ग) क्या यह सच है कि उद्योगपतियों ने अपनी कम्पनियों के लेखों से इन स्मारिकाओं के विज्ञापनों पर 40 करोड़ रुपए व्यय किए थे; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनियों के विरुद्ध तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध समवाय अधिनियम के उल्लंघन के कारण क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य महासंघ ने भूतपूर्व मंत्री (विधि, न्याय और कम्पनी कार्य) से इस सम्बन्ध में कतिपय स्पष्टीकरण प्राप्त किए थे। इस संदर्भ में इस प्रकार की ऊंची दरों का कोई उल्लेख नहीं है।

(ख) भारतीय उद्योग और वाणिज्य महासंघ को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि स्मारिकाओं विवरणियों और पत्रिकाओं आदि के विज्ञापनों पर कम्पनियों द्वारा किया गया व्यय राजनैतिक दलों की दान/उपदान नहीं था जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293क को प्रभावित करता।

(ग) इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

राजनैतिक दलों की स्मारिकाओं में विज्ञापनों के बारे में जांच

311. श्री मधु लिमये : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया के अध्यक्ष श्री बी० आर० महेश्वरी का यह वक्तव्य देखा है कि राजनैतिक दलों की स्मारिकाओं को ऊंचे मूल्यों के विज्ञापन दिए जाने से कम्पनी अधिनियम की धारा 293-क का उल्लंघन हुआ है ;

(ख) क्या कम्पनी कार्यों के वर्तमान मंत्री महोदय ने भी चुनाव अभियान के दौरान इन स्मारिका विज्ञापनों के सम्बन्ध में ऐसा ही विचार व्यक्त किया था ;

(ग) क्या इन ऊंचे मूल्यों के विज्ञापनों के बारे में कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा जांच कराने की मांग करने वाला कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) इस बाबत अखबार रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख) मंत्री महोदय ने यह विचार व्यक्त किया था कि विज्ञापन प्रमाणिक होने चाहिए एवं तत्प्रति तत्होने चाहिए।

(ग) तथा (घ) इस विषय में माननीय सदस्य के एक पत्र सहित, अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं तथा कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी रजिस्ट्रारों को अपेक्षित व्यौरे संग्रह करने के निर्देश दिए हैं।

PRODUCTION OF UREA

312. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the production of urea during the financial year 1976-77 and the production thereof likely during the current financial year; and

(b) the quantity of fertilizers imported from abroad during the financial year 1976-77 ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The production of urea during 1976-77 was 2931 thousand tonnes. The estimated production of urea for the year 1977-78 is 3576 thousand tonnes.

(b) The following quantity of fertilizers was imported during 1976-77 :

	(Qty. lakh Mt)
Urea	15.37
M.O.P.	4.83
S.O.P.	0.11
C.A.N.	0.04
D.A.P.	0.30
N.P.K.	0.35

SURVEY FOR RATLAM-BANSWARA RAILWAY LINE

†313. **DR. LAXMINARAYAN PANDEYA :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the survey work of the proposed Ratlam-Banswara railway line has been completed; and

(b) if so, the action being taken in regard to this railway line ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes.

(b) The survey report is under Examination.

TREATMENT OF T.T.Es. AND CONDUCTORS AS RUNNING STAFF

†314. **DR. LAXMINARAYAN PANDEYA } Will the Minister of RAILWAYS be**
SHRI RAMESHWAR PATIDAR } pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum demanding that the T.T.Es and conductors should be treated as running staff; and

(b) if so, the reaction of Government thereto :

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes.

(b) As T.T.Es. and Conductors do not fulfil the criteria laid down for being treated as Running Staff, they cannot be treated as such.

INTRODUCTION OF MAIL TRAIN ON KHANDWA-AJMER LINE

†315. **DR. LAXMINARAYAN PANDEYA :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a proposal to introduce a mail train on the Khandwa-Ajmer line of Western Railway is under consideration; and

(b) if so, the time by which this train will be put into service ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) and (b) Introduction of a bi-weekly fast train between Ajmer-Khandwa-Kacheguda is under examination and action as found feasible would be taken.

मीसा के अन्दर नजरबन्द किए गए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारी

316. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीसा के अन्तर्गत किये कितने कर्मचारी नजरबन्द किए गए ;

- (ख) क्या उनकी रिहाई के लिए कोई प्रयास किया गया है;
 (ग) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के श्रमिक और कर्मचारी उनकी तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं; और
 (घ) यदि हां, तो उन्हें रिहा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) 11

(ख) कर्मचारियों को मीसा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उन्हें छोड़े जाने का मामला भी उन्हीं पर निर्भर करता है।

(अ) जी हां ।

(घ) निर्णय अनिवार्यतः राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति, पदावनति आदि

317. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कितने कर्मचारियों को समय से पहले सेवा-निवृत्त किया गया, कितनों की पदावनति की गई और कितनों को सेवा से हटाया गया ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मामलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) पिछले तीन वर्षों में चित्तरंजन रे० ई० का० में 38 कर्मचारियों को समय से पहले सेवा निवृत्त किया गया है, 18 कर्मचारियों को निचले पदों पर उस ग्रेड के निचले स्तर पर पदावनति की गई है और 56 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है। इनमें से समय से पूर्व रिटायर किए गए 4 तथा नौकरी से हटाए गए 9 कर्मचारियों को अपील करने पर / समीक्षा करने पर पुनः वापिस ले लिया गया है;

(ख) सेवा-रिकार्ड, अनधिकृत गैरहाजिरी, दुर्व्यवहार सम्बन्ध होने के कारण ;

(ग) की गई घोषणा ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इंटिग्रल कोच फैक्टरी में संघों को मान्यता

318. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स तथा रेलवे के अन्य उत्पादन एकाईयों, यथा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इंटिग्रल कोच फैक्टरी में संघों को मान्यता देने का कोई सक्रिय प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) तथा (ख) चूंकि ट्रेड यूनियन स्तर पर यूनियनों को मिलाने के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अतः इन्हें मान्यता देने के अन्तिम निर्णय लेने से पहले हम इन प्रयत्नों के परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे। इस दरम्यान कर्मचारी परिषदों के कार्य-क्लापों पर निगरानी रखी जायेगी।

रसायनों का निर्यात

319. श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम रसायनों का अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976-77 के दौरान कितने मूल्य के रसायनों का निर्यात किया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान निर्धारित रसायनों के मूल्य का अनुमान 109.92 करोड़ रुपए है।

भारतीय तेल निगम द्वारा मिट्टी के तेल एक नये स्टोव का बाजार में विक्रय

320. श्री जी० वाई० कृष्णन

श्री मोठा लाल पटेल

} : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने हाल ही में मिट्टी के तेल का एक नया बढ़िया स्टोव बाजार में बेचना शुरू किया है जो अन्य स्टोवों की तुलना में अधिक किफायती है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) मार्केट में उपलब्ध अन्य अधिकांश स्टोवों की 35% से 45% तक की उष्मीय क्षमता की तुलना में इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा मार्केट में उपलब्ध कराए जा रहे "नूतन" नामक नए स्टोव की उष्मीय क्षमता 60% है और इससे औसतन लगभग 30% की सीमा तक मिट्टी के तेल की खपत में बचत होती है। बुनियादी तौर पर यह एक बिना किसी दाब के बत्ती वाला स्टोव है, जिसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं :—

(i) विशेष रूप से निर्मित वर्नर उपकरण।

(ii) उष्मा रोधी त्रिगुणिक भीति वाला वर्नर केसिंग।

(iii) विशेष रूप से निर्मित दीप्ति विकेपित छला।

(iv) मह धारक उपकरण (स्टैंड)।

(v) मिट्टी के तेल के स्तर सूचक (उतपवालक)।

(vi) नई बत्ती नियन्त्रण लीवर।

इस स्टोव में 12 बत्तियां और दो लीटर की क्षमता वाला एक ईंधन टैंक है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

321. श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जिन्हें चित्तरंजन बस्ती में रेलवे क्वार्टर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं ;

(ख) क्या चित्तरंजन में रेलवे कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टरों के अलावा मकान उपलब्ध कराने का कोई अन्य स्त्रोत भी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में क्वार्टरों की समस्या को हल करने के लिए क्या वैकल्पिक योजना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु इंडवते) : (क) 6904

(ख) और (ग) चित्तरंजन में लगभग 54 प्रतिशत रेल कर्मचारियों को क्वार्टर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रेल कर्मचारी निकटवर्ती मिहिजम क्षेत्र तथा गांवों में उपलब्ध निजी मकानों का उपयोग भी करते हैं। इस समय 132 यूनिट कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है तथा अन्य 112 यूनिट क्वार्टरों का चालू वर्ष में निर्माण कराने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कर्मचारी क्वार्टरों की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा साधनों की उपलब्धता के अनुसार और क्वार्टर बनाए जायेंगे।

पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य में अन्तर

322. श्री सुशील कुमार धारा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत और उपभोक्ताओं को बेचने के बिक्री मूल्य के बीच प्रति सैंकड़ा लिटर कितना अन्तर है ;

(ख) ऐसे उत्पादों पर कितने प्रतिशत उत्पादन शुल्क और अन्य शुल्क तथा कर लगाये जाते हैं ; और

(ग) क्या सरकार शुल्क और करों आदि को घटा कर इन मूल्यों को कम करने पर विचार कर रही है क्योंकि यह उत्पाद उपभोक्ताओं के बहुत ऊंचे दामों पर मिलते हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्द बहुगुणा) : (क) बम्बई में उपभोक्ताओं को प्रति सैंकड़ा लिटर बेचे जाने वाले पेट्रोल और अन्य चार मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के औसत लागत तथा फुटकर विक्रय मूल्य संलग्न विवरण-पत्र में दर्शाये गए हैं, जिसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 337/77]

(ख) फुटकर विक्रय मूल्य की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और अन्य शुल्कों को भी उसी विवरण-पत्र में भी इनका उल्लेख किया गया है।

(ग) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता

†323. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए जिला और ताल्लुक स्तर पर समितियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चुन्दर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई हाई कच्चे तेल का उत्पादन

324. श्री एस० आर० दामाणी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976-77 में बम्बई हाई से कितना कच्चा तेल प्राप्त हुआ तथा चालू वर्ष में कितना कच्चा तेल प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(ख) उक्त स्रोत से अधिकतम कितनी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होने की सम्भावना है और इस प्रयोजन के लिये तैयार किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस कार्य में कुछ विदेशी कम्पनियों का भी सहयोग प्राप्त है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1976-77 में बम्बई हाई से कच्चे तेल का उत्पादन 2.4 मि० मी० टन (एम० टी०) से कुछ अधिक था। वर्ष 1977-78 में इसके 2.50 मि० टन तक होने की सम्भावना है।

(ख) बम्बई हाई के विकास कार्यक्रम को पांच चरणों में बांटा गया है। प्रत्येक चरण में कच्चे तेल के सम्भाव्य उत्पादन में 12 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष की वृद्धि होती जायेगी। चरण I और II का कार्यान्वयन कार्य हो रहा है और उसके इस वर्ष की समाप्ति पर पूरा होने की सम्भावना है। कच्चे तेल का अधिकतम उत्पादन 10 मि० मी० टन प्रति वर्ष होने की सम्भावना है।

(ग) जब कि इसके लिए कोई विदेशी सहयोग नहीं किया गया है तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इंग्लैण्ड, अमरीका, नार्वे, फ्रांस आदि की विदेशी कम्पनियों से के लिए परामर्शों तथा अन्य विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध की हैं। ठेकेदारों के प्रत्येक मामले में स्वीकृत शर्तों के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राथमिक मिलता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक एककों का कार्यकरण

325. श्री एस० आर० दामाणी: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक क्षेत्रों एककों का कार्यकरण कैसा रहा और विगत दो वर्षों की तुलना में यह कैसा रहा;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उर्वरक एकक में क्षमता का कितना उपयोग हुआ और इससे अधिक उपयोग करने में मुख्यतः क्या कठिनाइयां थीं; और

(ग) उन कठिनाइयों को दूर करने तथा चालू वर्ष में नई क्षमता का सृजन करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क); (ख) और (ग) 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उर्वरक संयंत्र का उत्पादन निष्पादन तथा क्षमता उपयोग विवरण-I में दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 338/77]

2. अधिकतर उत्पादन को सीमित करने की मुख्य बाधाएं पुराने घिसे हुए उपकरण, कोक ओवन गैस जैसे उचित क्वालिटी की सम्भरण सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता, कुछ संयंत्रों में डिजाइन और उपकरणों की कमियां, बिजली की रुकावटें तथा अस्थिर बिजली की सप्लाई आदि से आई है।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए नवीकरण, रुकावटों को दूर करने तथा संशोधन कार्यक्रम जैसे विभिन्न उपाये किए जा रहे हैं।

1977-78 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं आरम्भ की जानी हैं :

एकक का नाम	000 मी० टन क्षमता	
	एन०	पी०
1. खेतरी	—	90
2. सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण	—	156
3. नंगल विस्तार	152	—
4. ट्राम्ब-4	75	75
5. तालचर	228	—
6. रामागुण्डम	228	—
7. भटिंडा	235	—
8. सिन्दरी आधुनिकीकरण	129	—

बाम्बे हाई से ट्राम्बे तक पाईप लाइनें बिछाने से हुई अनुमानित हानि

326. श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह
श्री जी० एम० बनतवाला }
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस आशय के समाचारों से अवगत है कि यदि बाम्बे हाई से ट्राम्बे तक पाईप लाइनें बिछाने के बारे में परियोजना निवेश बोर्ड का निर्णय क्रियान्वित किया गया तो प्रतिवर्ष 15 से 20 करोड़ रुपये मूल्य का प्राकृतिक गैस को जलाकर स्वाहा करना होगा;

(ख) क्या बाम्बे हाई से व रास्ता उरान, ट्राम्बे तक तेल और गैस की पाईप लाइनें बिछाने के परियोजना निवेश बोर्ड के निर्णय की क्रियान्विति करने पर 850 करोड़ रुपये लागत आएगी और इससे गुजरात में नए-पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना में विलम्ब होगा; और

(ग) क्या एसी हानियों के बचाने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) तथा (ग) जबकि इस प्रकार की रिपोर्ट समाचार-पत्रों के एक कालम में प्रकाशित हुई है उनके तथ्य इस प्रकार हैं :—

सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने बम्बई हाई क्षेत्र से ट्राम्बे वाया उरान जहां एक तटीय टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, तक तेल तथा गैस पाइप लाइन बिछाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह गैस पाइप लाइन सम्बद्ध गैस के प्रयोग में सहायक होगी जो कि अन्यथा उड़ गई होती। अतः यह कहना सही नहीं है कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड के निर्णय का यह तात्पर्य कदापि नहीं होगा कि 15 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक की गैस व्यर्थ में उड़ जाएगी। अपितु जब पाइप लाइन बिछ जाएगी यह वर्ष 1978-79 के दौरान लगभग 22 करोड़ रुपये की बचत और गैस को प्रयोग करने में सहायक सिद्ध होगी। यह बात किसी अन्य विकल्प से संभव नहीं होगी। यह भी सही बात नहीं है कि तेल तथा गैस पाइप लाइन की लागत 850 करोड़ रुपये होगी। पाइपलाइन की लागत का अनुमान 239 करोड़ रुपये है। इस समय, गुजरात में किसी नये पेट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार ने गुजरात की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित पाइप लाइन की व्यवस्था से दक्षिण बेसिन क्षेत्र से गुजरात तक स्वच्छंद रूप से गैस को लाने ले जाने के लिए एक सम्भावी अध्ययन आरम्भ करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में पैरवी करने के लिए वकीलों द्वारा ली जाने वाली फीस

327. श्री कंवर लाल गुप्त: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के वकील इन न्यायालयों में पैरवी करने के लिये भारी फीस लेते हैं;

(ख) क्या इन न्यायालयों में मामला दायर करने के लिए अपेक्षित मुद्रण प्रभार तथा स्टाम्प शुल्क भी आम आदमी के सामर्थ्य से बाहर हैं;

(ग) यदि हां, तो न्याय को सस्ता बनाने के लिय सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ताकि वह आम आदमी की पहुंच में हों; और

(घ) इस संबंध में सरकार को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चन्द्र) : (क) जी हां, ऐसा उन मामलों में होता है जिनमें वरिष्ठ और सक्षम अधिवक्ता नियोजित किए जाते हैं।

(ख) ये, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन प्रभारित किए जाते हैं।

(ग) सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि जन साधारण को कम खर्चीला और शीघ्र न्याय दिलाया जाए और सरकार भगवती आयोग की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

(घ) विशिष्ट अभ्यावेदन का विवरण नहीं दिया गया है इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

मारुति लिमिटेड का तेल तथा, प्राकृतिक गैस आयोग से व्यापार

328. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा उनके मंत्रालय के अधीन अन्य सरकारी कम्पनियों द्वारा गत पांच वर्षों में मारुति लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों से किये गये व्यापार की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ख) क्या अधिकांश मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और मारुति-लिमिटेड के प्रति पक्षपात किया गया था;

यदि हां, तो उक्त मामलों की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों अथवा भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) ऐसे प्रत्येक मामले में सरकार को लगभग कितनी हानि हुई है और मारुति लिमिटेड तथा इसकी सहयोगी फर्मों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान, तेल, तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मारुति लि० तथा उसकी सहायक कम्पनियों को निम्न-लिखित आर्डर दिए :—

(i) मारुति हैवी व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.70 करोड़ रुपये के मूल्य की 40/45 मी० टन की क्षमता वाली 8 डेवाग क्रेनें।

(ii) मारुति हैवी व्हीकल्स प्राइवेट लि०, गुड़गावां से 73,47,707.00 रुपए के कुल मूल्य के 12 ट्रक, ट्रैक्टरों, तेल-क्षेत्र के उपकरणों के बिना तथा 2 ट्रक-ट्रैक्टर तेल-क्षेत्र उपकरणों सहित ;

(iii) जालान आटोमोबाइल्स, गुड़गावा के माध्यम से 8,74,657/- रुपयों के मूल्य के 8/10 मी० टन के रोड़ रोलर्स तथा अतिरिक्त पुर्जे।

मारुति लि० अथवा उसकी सहायक कम्पनियों को इस मंत्रालय के किसी अन्य संगठन द्वारा आर्डर नहीं दिए गए हैं;

(ख), (ग) तथा (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

निर्वाचनों में भ्रष्टाचार

329. श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान प्रधान मंत्री ने 23 फरवरी, 1977 को बंगलोर में कहा था कि जनता पार्टी निर्वाचनों में भ्रष्टाचार की समस्या से छुटकारा पाने के प्रश्न पर विचार करेगी;

(ख) क्या उक्त प्रश्न पर विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उम्मीदवारों की एक निश्चित सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करने का है जैसा कि कुछ अन्य देशों में किया जाता है; और

(घ) क्या निर्वाचनों में होने वाले व्यय पर नजर रखने के लिये कोई नया अभिकरण स्थापित किया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृतिक मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में रिपोर्ट कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।

(ख) इस संबंध में सरकार के सामने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकार ने निर्वाचन के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया है।

(घ) निर्वाचन व्ययों की निगरानी के लिये कोई विशेष अभिकरण बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

लाभप्रद मार्गों पर बिजली लगाने का निर्णय

330. श्री निहार लास्कर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाभप्रद मार्गों पर बिजली लगाने की कार्यवाही से रेलवे को करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे इंजीनियरों द्वारा किए गए सर्वेक्षण का यह परिणाम है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अंतिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) विद्युतीकरण के लिये रेलों ने कोई ग्राम सर्वेक्षण नहीं किया है। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, उपलब्ध संसाधनों के भीतर विद्युतीकरण का काम उन खण्डों पर शुरू किया जाता है जहां यातायात के उच्च घनत्व, ग्रेडिड संरचना, आदि को ध्यान में रखते हुए कर्षण की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक लाभ मिलने की संभावना हो।

रेलवे की आय में कमी

331. श्री निहार लास्कर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 के मार्च और अप्रैल महीनों में रेलवे की आय में कुल कितनी कमी हुई और;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु बंडवते): (क) मार्च तथा अप्रैल, 1977 के महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रेलवे राजस्व में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थानान्तरित न्यायाधीशों की तैनाती

332. श्री निहार लास्कर
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह
श्री राघव जी } बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी न्यायाधीशों को जिन्हें भिन्न राज्यों में स्थानान्तरित कर दिया गया था वापस उनके स्थानों पर तैनात कर दिया गया है; और

(ख) ऐसे कितने न्यायाधीशों ने कार्यभार संभाल लिया है तथा कितने अभी भी कार्यभार संभालने के इच्छुक नहीं हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) जी नहीं।

(ख) जिन न्यायाधीशों का स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव है, उनके बारे में संबंधित न्यायाधीशों और अन्य प्राधिकारियों से परामर्श किया जा रहा है। अभी तक सभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

GAS FOUND IN KUTCH REGION OF GUJARAT

333. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the quantity of gas found during the process of extraction of crude oil in Kutch region of and at other places in Gujarat and what percentage of gas found out is utilized and that goes waste; and

(b) the efforts being made for full utilization of the quantity of oil and gas so found and the time by which success is likely to be achieved in this regard ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b) In the Kutch region crude oil or gas have not yet been found. At other places in Gujarat, while the entire quantity of oil produced is fully utilised, about 96% of the gas produced is committed to various users. A small quantity of gas is being flared due to operational reasons and the remaining gas being flared is produced alongwith oil from small isolated fields. Transportation of this small quantity of gas from a number of places and gathering it at a central point for bulk utilisation is not economical. Nevertheless, the ONGC is always on the look out for customers who may use such gas in the vicinity of the isolated oil fields.

DRILLING IN BOMBAY HIGH

334. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the success achieved in the attempts to drill oil from Bombay High;

(b) the present output of crude oil from Bombay High; and

(c) the scheme for further drilling and the extent of oil deposits there ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) In Bombay High, ONGC have already drilled a number of exploratory-cum-assessment wells and most of them have been found to be hydrocarbons-bearing. A number of production wells have also been drilled.

(b) About 35,000 barrels per day.

(c) ONGC has planned to drill a number of wells in the Bombay High during 1977-78 and is taking all necessary steps for the optimum development of the field in the shortest time possible. The crude oil production from the field during 1976-77 was over 0.4 million tonnes; it is planned at about 2.50 million tonnes during 1977-78 and is expected to go up to 10 million tonnes by the year 1981-82.

CLOSURE OF DARIBAPAN RAILWAY LEVEL CROSSING

†335. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints of closure of railway level crossing at Daribapan, Aligarh for a long time and casualties suffered by passengers there; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken to ensure smooth flow of vehicular and passenger traffic across this railway crossing ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes. Complaints have been received regarding closure of the level crossing for long periods. No casualties were suffered by the passengers at the level crossing but two pedestrians were run over and killed and two were injured during the last 5 years.

(b) For the use of the pedestrians and cycle traffic, a foot overbridge adjacent to the level crossing has been provided in March, 1977. The vehicular traffic continue to use the existing level crossing. The construction of road overbridge in replacement of the level crossing is not feasible due to site conditions.

एकाधिकारियों पर रोक के लिए कदम

336. श्री प्रद्युम्न बल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत 30 वर्ष के कांग्रेसी शासन के दौरान पनपते रहे एकाधिकारियों पर रोक लगाने की लिये क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्डर) : एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969, 1 जून, 1970 से लागू हुआ। सरकार द्वारा एकाधिकारियों पर रोक के लिए एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उद्देश्यों की उपलब्धियों को प्राप्त करने की दृष्टि से की गई कार्यवाहियां एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के कार्यकरण के संबंधित पांच सांविधिक वार्षिक रिपोर्टों में, जो समय समय पर पहले ही सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है, में उल्लेख किया गया है।

बम्बई हाई में निकली गैस का उपयोग

337. श्री एफ० पी० गायकवाड़ : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री दिनांक 24 अगस्त, 1976 के अतारंकित प्रश्न संख्या 1350 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई के एसोसियेटेड गैस लाने तथा उसके उपयोग के बारे में अध्ययन इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो अध्ययन पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि बम्बई क्षेत्र बम्बई हाई से सहयोजित गैस की अत्याधिक तीव्र तथा मितव्ययी उपयोगिता के लिए तत्पर कार्य क्षेत्र प्रस्तुत करता है। तकनीकी आर्थिक विचारधाराओं पर भी यह बात पक्की हो गयी है कि गैस के तट तक लाने-ले जाने की उत्तम विधि बम्बई हाई से बम्बई के पास उरान स्थित तट टर्मिनल तक समुद्र के बीच पाइप लाइन बिछानी होगी। तथापि अन्य दावेदारों अर्थात् गुजरात राज्य के हित को प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टी करके ध्यान में रखा गया है।

पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों के बारे में सर्वेक्षण

338. श्री पी० के० देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े क्षेत्रों में सरकार का कौन-कौन सी नई रेल लाइनों का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये नई लाइनों के बारे में पहले कितने सर्वेक्षण किए गए और उनका ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) आगामी वर्षों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष (1977-78) में, मिर्चाधुरी से जयन्त और भद्राचलम से मानागुरु तक दो नयी रेलवे लाइनों के निर्माण को बजट में शामिल किया गया है।

(ख) पिछले पांच/छः वर्षों के दौरान उड़ीसा में निम्नलिखित सर्वेक्षण किये गए थे :—

- (1) तालचेर-बिमलगढ़ बड़ी लाइन
- (2) रूपसा-तालबन्द, छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव
- (3) बसपुरा-बांसपानी।

1977-78 के बजट में नयी लाइनों के निर्माण के लिये दो और सर्वेक्षणों को सम्मिलित किया गया है।

- (1) कोरापुट से सालूर/पार्वतीपुरम
- (2) तालचेर से सम्बलपुर/झारसुगुडा।

कृषि में कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य को हानि

339. श्री हरि विष्णु कामत : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विकसित तथा प्रगतिशील देशों में यह विचार उत्पन्न हो रहा है कि कृषि में कीटनाशी तथा कृमिनाशी औषधियों के अधिक उपयोग से मानव-स्वास्थ्य को हानि होती है :

(ख) क्या सरकार इस विचार से सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो इस बुराई का सामना करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कुछ विकसित देशों में यह समझा जा रहा है कि वातावरण में पेस्टीसाइड्स क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन के अवस्थित रहने

और खाद्य पदार्थों के माध्यम से जीवाणुओं के प्रवेश के कारण कैंसर की संभावना हो सकती है। तथापि विश्व स्वास्थ्य संगठन और एफ० ए० ओ० ने ऐसे कीटनाशियों का कृषि तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों में न्यायिक प्रयोग का स्पष्ट समर्थन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में विशेषकर विकासशील देशों में डी० डी० टी० को अद्वितीय समझता है।

(ख) और (ग) सरकार कृमिनाशी और कीटनाशी औषधों के खतरों से पूर्ण रूप से परिचित है, इसलिए उसने कृमिनाशी अधिनियम, 1968 लागू किया है, जिसके अन्तर्गत देश में प्रयोग किए जाने वाले सभी कीटनाशियों को केन्द्रीय कृमिनाशी बोर्ड की पंजीकरण समिति में पंजीकृत कराना अपेक्षित है, जो देश में उनके प्रयोग की अनुमति देने से पहले कीटनाशी की विषाक्तता और प्रभावोत्पादकता की जांच करती है।

बीकानेर-भटिण्डा मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

340. चौधरी हरीराम मक्कासर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीकानेर से भटिण्डा तक मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइनों में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्षित तिथि है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) भटिण्डा-बीकानेर मीटर लाइन खण्ड के भटिण्डा हनुमानगढ़-सूरतगढ़ भाग को बड़ी लाइन में बदलने का काम पहले से ही प्रगति पर है और 1978 में इसके पूरा कर लिए जाने की आशा है। सूरतगढ़-बीकानेर भाग को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

तालचर उर्वरक कारखाने के लिए आवश्यक कर्मचारी

341. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचर उर्वरक कारखाने के लिए श्रेणी और वर्गवार कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है; और

(ख) अब तक कितने कर्मचारी नियुक्त कर लिये गये हैं?

विवरण

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) तालचर उर्वरक कारखाने के लिये कर्मचारियों की आवश्यक संख्या 1973 में मूल्यांकन की गई थी।

इन आवश्यकताओं का एफ० सी० आई० द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। 31-3-77 को कर्मचारियों की संख्या तथा विद्यमान स्वीकृत संख्या निम्न प्रकार है :--

पद का वर्ग	स्वीकृत संख्या	31-3-77 की कर्मचारियों की विद्यमान संख्या
श्रेणी -I	200	155
श्रेणी-II	38	35
श्रेणी -III	788	595
श्रेणी -IV	289	184
कुल	1315	969

कांग्रेस पार्टी की स्मारिका में विज्ञापनों के लिये धनराशि देने वाली कम्पनियां

342. श्री आर० के० महालगी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत अनेक कम्पनियों ने 1977 के आम चुनावों से पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्मारिका में विज्ञापनों के लिए बहुत सी धनराशि दी है;
- (ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं और कितनी धनराशि दी गई;
- (ग) उनमें से कितनी कम्पनियों के विज्ञापन वास्तव में स्मारिका में छपे;
- (घ) क्या इन सभी कंपनियों को उनके द्वारा दी गई धनराशि की रसीद मिली थी; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्री : (डा० पी० सी० चुन्दर) (क) तथा (ख) ब्यौरे संग्रह किए जा रहे हैं।

(ग), (घ) तथा (ङ) ये ब्यौरे संग्रह किए जाएंगे।

आपात स्थिति के दौरान पारित विधियां

343. श्री आर० के० महालगी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) आंतरिक आपात स्थिति के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कितनी विधियां पारित कीं;
- (ख) आपात स्थिति के दौरान पारित विधियों में से कितनी विधियों को संशोधित अथवा निरसित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) उनके कब तक संशोधित अथवा निरसित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) आन्तरिक आपात् स्थिति की अवधि के दौरान निम्नलिखित विधियां अधिनियमित की गई थीं :—

(i) 143 संसदीय अधिनियम जिनमें 5 अधिनियम संविधान में संशोधन करने वाले अधिनियम हैं;

(ii) 48 अध्यादेश;

(iii) राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के बारे में राष्ट्रपति के 52 अधिनियम; और

(iv) संघ राज्यक्षेत्रों के बारे में 18 विनियम।

(ख) और (ग) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में से पांच अध्यादेशों के स्थान पर संसदीय विधान नहीं लगाए गए और दो संसदीय अधिनियम निरसित किए गए। आपात् स्थिति की अवधि के दौरान अधिनियमित की गई अन्य विधियों में से किसी विधि के निरसन, या संशोधन का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) No. (WESTERN RAILWAY)

‡344. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to convert Mahi-Anos-Panchpiplia-Bugada single railway track between Ratlam-Baroda Division on Western Railway into a double track; and

(b) whether delay is caused in timely arrival and departure of trains at these places because of single track ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) No.

(b) No.

NEW RAILWAY LINE FROM JABALPUR TO NAGPUR VIA SEONI

‡345. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state : Whether Government propose to lay a new railway line from Jabalpur to Nagpur via Seoni in view of the fact that the distance at present to Nagpur via Itarsi is about 570 kilometers whereas it will be about 230 kilometers in case a Lacknadaun-Seoni railway line parallel to the road is constructed resulting in saving of fuel, money and time.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : There is at present no proposal to construct a new railway line from Jabalpur to Nagpur via Lacknadaun and Seoni. A preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for conversion of Jabalpur to Gondia narrow gauge section into broad gauge is however in progress. The proposed conversion will connect Jabalpur and Nagpur via Gondia. A decision regarding the conversion of the Jabalpur-Gondia section will be taken after the survey is completed and the reports examined.

कावेरी डेल्टा में तेल की खोज

346. श्री अरविन्द बाला पंजनौर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) कावेरी डेल्टा में तेल की खोज की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कावेरी डेल्टा में तेल मिला है और जानकार तकनीशियनों की राय है कि निरंतर खोज के लिए काफी गहरी खुदाई की जानी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो कार्य निरन्तर जारी न रखे जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) तथा (ग) भूगर्भीय तथा भूभौतिकीय सर्वेक्षण, भूकम्पीय सर्वेक्षणों सहित कावेरी तटीय तलछट में अब 15 वर्षों से अधिक समय से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। अब तक 28 कुएँ खोदे जा चुके हैं। परन्तु हाइड्रोकार्बन के वाणिज्यिक भण्डारों का पता नहीं लगाया जा सका है। यद्यपि फिलहाल कावेरी तटीय क्षेत्र में व्यधन कार्य तत्काल करने का कार्यक्रम है। चालू वर्ष में क्षेत्रीय मौसम में उन्कृष्ट भूकम्पीय सर्वेक्षण इस क्षेत्र में करने का प्रस्ताव है। इन सर्वेक्षणों के परिणामों पर और अधिक व्यधन कार्य करना संभव होगा।

अपतटीय कावेरी तलछट में, मन्नार की खाड़ी में एक अन्वेषक कुआँ इस समय खोदा जा रहा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय का स्थानान्तरण

347. श्री अरविन्द बाला पंजनौर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय को कराईकल से हैदराबाद से बाहर स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का दक्षिणी प्रदेश कोई नहीं है, परन्तु उसकी कावेरी परियोजना नामक एक मात्र परियोजना है, जिसका मुख्यालय मद्रास में तथा कराईकल में व्यधन कार्य संचालन करने के लिए बेस कार्यालय कराईकल में है। मद्रास तथा कराईकल स्थित दोनों कार्यालय अभी तक कार्य कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा गोंदावरी बेसिन में व्यधन कार्य संचालन आरम्भ करने के लिये राजामुंदरी में एक बेस कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। मद्रास स्थित परियोजना कार्यालय इस समय अपना कार्य करता रहेगा तथा कराईकल बेस कार्यालय और राजामुंदरी बेस कार्यालय दोनों उसके क्षेत्राधिकार में रहेंगे।

बहु राष्ट्रीय औषध कम्पनियों की भूमिका

348. श्री अरविन्द बाला पंजनौर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिकित्सा औषधियों के उत्पादन और वितरण में बहु राष्ट्रीय औषध कम्पनियों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि ये फर्म औषधियों का उचित मूल्य लेती हैं तथा आम आदमी इन्हें खरीद सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो महत्वपूर्ण मानवीय आवश्यकता के शोषण के विरुद्ध क्या दोस कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली बहु राष्ट्रीय औषध कम्पनियों प्रपुज औषधों और सुसंयोजकों का उत्पादन करती हैं और प्रपुज औषधों के उत्पादन में उनका अंशदान लगभग 28 प्रतिशत और सुसंयोजकों के उत्पादन में 55 प्रतिशत है, अन्य कम्पनियों की भाँति बहु-राष्ट्रीय औषध कम्पनियाँ भी उनके द्वारा उत्पादित दवाइयों का सामान्य व्यापार एजेंसियों के माध्यम से वितरण करती हैं।

(ख) और (ग) औषधों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित किए जाते हैं। इस आदेश में मूल्य निर्धारण करने के लिये प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है; 50 लाख रुपये से कम बिक्री वाले लघु पैमाने के यूनिटों को उक्त आदेश से छूट दी गई है। सरकार द्वारा एक बार मूल्यों की अधिसूचित किए जाने पर उनमें निर्माताओं द्वारा सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस आदेश के लागू होने से औषधों के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखना संभव हो सका है।

औषधों और दवाइयों के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने के लिये औषध और भेषज समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

उर्वरक उपक्रम तथा उनकी उत्पादन क्षमता

349. श्री अरविन्द बाला पजनौर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक उपक्रमों की संख्या तथा प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) उत्पादन कार्य में कोयले और तेल की खपत के अनुसार वर्गीकृत किए गए उपक्रमों की संख्या और उनकी क्षमता क्या है;

(ग) उचित मूल्य की तेल उपलब्धता में हो रही कमी को ध्यान में रखकर उत्पादन कार्य में किये कहां तक पारी व्यवस्था पर विचार किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई समयबद्ध योजना है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय चल रहे नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन संयंत्रों के नाम उनकी क्षमता और उनके द्वारा प्रयोग की गई संभरण सामग्री दिखाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 339/77]

(ख) जब कि इस समय संचलन में कोई भी संयंत्र कोयले अथवा ईंधन तेल पर आधारित नहीं है फिर भी कोयले पर आधारित वो संयंत्र और संभरण सामग्री के रूप में ईंधन तेल पर आधारित छः संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) इस समय नाइट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन के लिये नेप्था, लिग्नाइट कोक, कोक-ओवनगैस बिजली और प्राकृतिक गैस जैसी विविध संभरण सामग्री प्रयोग की जा रही है। तथापि संभरण सामग्री के रूप में नेप्था पर आधारित बड़ी मात्रा में संयंत्र चल रहे हैं। यह सरकार की नीति रही है कि तटीय और अपतटीय स्रोतों से उपलब्ध अधिक से अधिक गैस का प्रयोग किया जाए। यह भी सरकार की नीति रही है कि केवल उर्वरक संभरण सामग्री के रूप में कम से कम पेट्रोलियम उत्पादों की स्वीकृति दी जाए। अतिरिक्त संयंत्रों में संभरण सामग्री के रूप में कोयले के प्रयोग करने वाले के बारे में विचार अभी किया जाएगा जब निर्माणाधीन दो संयंत्रों के कार्य संचालन से अनुभव उपलब्ध हो जाएगा।

मारुति लिमिटेड और उसकी सहयोगी फर्मों

350. श्री बसन्त कुमार पंडित : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड अथवा अन्य किसी सरकारी एजेंसी ने (एक) गर-राष्ट्रीय बैंकों, (2) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा मारुति लिमिटेड और उसकी सहयोगी फर्मों के शेयरों की खरीद और उसकी ऋण देने के बारे में जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उससे किन बातों का पता चला है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क) तथा (ख) कम्पनी विधि बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा मारुति लिमिटेड तथा इसकी सहायक सहयोगी कम्पनियों के हिस्से खरीदने के बारे में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत जांच के आदेश नहीं दिये हैं। तथापि, यह एक तथ्य है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लिए, इस धारा में वर्णित सीमाओं से परे, अन्य कम्पनियों के हिस्सों में उनके द्वारा किसी निवेश के मामलों में, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। अब तक केन्द्रीय सरकार ने मारुति लिमिटेड के हिस्सों में नियोजन के लिये केवल जे० के० सिन्थैटिक्स लिमिटेड द्वारा इस प्रकार के अनुमोदन के लिए पहुंच की गई थी, एवं उक्त मामले में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का फ्रांस की एक कम्पनी के साथ करार

351. श्री वसंत कुमार पंडित : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 'बम्बई हाई' को अधिकतम विकास करने के लिये फ्रांस की एक कम्पनी 'कम्पोगनी' फ्रांसिस डेस पेटरोल्स' के साथ एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी कम्पनी के वित्तीय दायित्व सहित करार की शर्तें क्या हैं?

पेट्रोलियम तथा रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) अप्रैल, 1977 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र का यथा संभव कम-से-कम समय में आशान्वित विकास करने हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को व्यापक परामर्श देने के लिये फ्रांस की कम्पनी फ्रैक्स डस पेट्रोल्स (सी० एफ० पी०) नामक कम्पनी से सरकार की स्वीकृति से एक चार वर्षीय करार किया। करार के अनुसार सी० एफ० पी० तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आंकड़े-अर्जन करने, जलाशय इंजीनियरिंग, प्रयोगशाला अध्ययन, वैकल्पिक विकास योजनाओं और संवर्धित वसूली कार्य प्रणालियों आदि में सहायता करेंगे। करार में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को प्राद्योगिकी के स्थानान्तरण की भी व्यवस्था है। इस मामले में (सी० एफ० पी०) को जो पारिश्रमिक देय है, वह काम के मानक वर्ग संगणक सेवा के लिये व्यवस्था, कार्यक्रम माडल आदि सहित स्थानान्तरण संगणक सॉफ्टवेयर पर आधारित है जिसका भारतीय करों का 17.4 मिलियन अमरीकी डालर तक होने का अनुमान है।

बम्बई हाई की गैस के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव

352. श्री बंसत कुमार पण्डित: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 'बम्बई हाई' से मिलने वाली गैस को बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग में लाने संबंधी योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है; यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ख) क्या 'बम्बई हाई' में पैदा होने वाली गैस को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बम्बई में पाइप लाइनों द्वारा अथवा सिलेण्डरों द्वारा लाने की सरकार की योजना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) बम्बई हाई से बहुउद्देशीय ईंधन विद्युत् उत्पादन संयंत्र, जिसमें एल० एस० एच० एस० का प्रयोग होता है, तथा सहयोजित गैस के लिए एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ था। वह मूल्य, जिस पर गैस सप्लाई की जा सकती है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा महाराष्ट्र राज्य विद्युत् मंडल के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

(ख) बम्बई हाई से बायां उरान से बम्बई तक समुद्र तल में पाइपलाइने बिछा कर सहयोजित गैस को लाने का निर्णय किया गया है। गैस को विखडित किया जायेगा ताकि विभिन्न भिन्नताओं का समुचित रूप से उपयोग किया जा सके। इस सम्बन्ध में यह उल्लेनीय है कि सहयोजित गैस से तरल पेट्रोलियम गैस निकाल कर उसे सिलेण्डरों में भर कर घरेलू उपभोगताओं को सप्लाई की जायेगी। बम्बई गैस कम्पनी ने भी अपनी सप्लाई के माल तन्त्र के माध्यम से गैस-वितरण की एकयोजना प्रस्तुत की है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

353. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) के निजी सचिव के अनुरोध पर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां की गईं;

(ख) चित्तरंजन लाकामाटव वर्क्स में कितने प्रशिक्षित प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण (लिपिक और मशीनी और विद्युत) पूर्ण करने के बाद नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं; और

(ग) क्या इस समय उनकी नियुक्ति किये जाने के कोई अवसर है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) तदर्थ आधार पर 22 नियुक्तियां की गयी थीं।

(ख) 253।

(ग) लिपिक कोटियों के अप्रेंटिसों को वर्तमान रिक्तियों और 31-3-78 तक होने वाली रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक समाहित करने पर विचार किया जायेगा। कारीगर कोटियों में कितने अप्रेंटिसों को कुशल संवर्ग में समाहित किया जा सकेगा इस बारे में विचार किया जा रहा है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में सांविधिक कैंटीन

354. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में एक सांविधिक कैंटीन है;
- (ख) यदि हां, तो इसका प्रबन्ध कैसे चलता है; और
- (ग) क्या कैंटीन के प्रबन्ध में कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधित्व है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

- (ख) कैंटीन का प्रबन्ध कैंटीन कमेटी करती है।
- (ग) इस समय कैंटीन कमेटी में कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के इस्पात ढलाईघर में उत्पादन

355. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स स्थित इस्पात ढलाईघर की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;
- (ख) क्या उत्पादन नियोजित कोट के अनुसार है; और
- (ग) क्या वे सब अधिकारी जिन्होंने चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के इस्पात ढलाईघर के लिए विदेशों में विशेष योग्यता प्राप्त की थी अभी भी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के इस्पात ढलाईघर में काम कर रहे हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) इस्पात के ढले सामान—5503 मीट्रिक टन (प्रति वर्ष 10479 मीट्रिक टन के बराबर)।

- (ख) जी हां।
- (ग) जी नहीं।

निर्वाचनों में कदाचार

356. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या निर्वाचन आयोग को कुछ क्षेत्रों में निर्वाचनों में कदाचार के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है; और
- (घ) भविष्य में इनकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चुन्दर) : (क), (ख) और (ग) : निर्वाचन आयोग से इस मामले में रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है।

- (घ) निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस मामले की जांच की जाएगी।

तमिलनाडु में आगामी पांच वर्षों के दौरान नई रेलवे लाइनें

357. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में तमिलनाडु में कोई नई रेलवे लाइनें बिछाई जायगी;
और

(ख) आगामी पांच वर्षों में कितनी रेलवे लाइनें बिछाई जायेंगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि अगले पांच वर्षों में शुरू की जानेवाली नयी रेलवे लाइनों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इस लिए यह बताना कठिन है कि तमिल नाडु में कितनी रेलवे लाइनों का निर्माण शुरू किया जायेगा।

REDRESSAL OF EXCESSES COMMITTED AGAINST THE WORKERS OF D.L.W. VARANASI

†358. SHRI CHANADRA SHEKHAR SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the reasons for suspension of a large number of workers, demotion of eight workers and compulsory retirement of nine employees of Diesel Locomotive Works, Varanasi during the Emergency;

(b) whether most of these suspensions, demotions and compulsory retirements were made on account of political base; and

(c) whether Government propose to redress the excesses committed against them ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Twenty-seven employees were suspended due to arrest under alleged criminal offences or for breach of Conduct Rules. Eight employees were demoted on charges of misconduct or theft of Railway property. Nine employees were compulsorily retired on review of their performance and service record on attaining the prescribed age/service as per Rules.

(b) No.

(c) The cases will be reviewed in the light of Government's announcement during the presentation of the Railway Budget 1977-1978.

गोदावरी तटदूर बेसिन में ड्रिलिंग के लिए ठेका

359. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेम्सास पेसिफिक आयल कारपोरेशन को गोदावरी तटदूर बेसिन में ड्रिलिंग के लिए ठेका दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को गोदावरी तटदूर बेसिन में संलग्न तट पर अनेक "स्ट्रक्चरों" का पता लगा है; और

(घ) यदि हां, तो एक समेकित खोज नीति के बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इस क्षेत्र में किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों के आधार पर, तेल तथा प्राकृतिक गैस ने अन्वेषण सम्बन्धी व्ययन कार्य के लिये नरसापुर नगर के पास एक स्थान पहले से ही छोड़ दिया है। अन्य तटीय भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्यों में प्रगति हो रही है। इस क्षेत्र में वर्ष 1977-78 में अब तटीय भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है। अपतटीय क्षेत्र में व्ययन के प्रश्न पर निर्णय भूकम्पीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने के आधार पर किया जायेगा।

मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादों के मूल्य बढ़ाने के लिए अपनाये गए अनुचित तरीके

360. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड केन्द्रीय सरकार से अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ाने के लिये अनुचित तरीके अपनाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) औषधों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित किये जाते हैं, जो मूल्य निर्धारण और संशोधन के लिये प्रक्रिया की व्यवस्था करते हैं। उक्त आदेश में यह व्यवस्था है कि सरकार द्वारा एक बार मूल्यों को अधिसूचित किये जाने पर उनमें सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। सूत्रयोगों तथा प्रपुंज औषधों के मूल्यों में संशोधन की अनुमति, औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरो द्वारा अपेक्षित लागत परीक्षण/जांच करने के पश्चात् दी जा सकती है।

ग्लैक्सो के कर्मचारियों की यूनियन की केन्द्रीय समिति ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें अनेक आरोप लगाये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यों में वृद्धि करने के लिये सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु गलत तरीके अपनाये जाने का भी हवाला दिया गया है। ज्ञापन में उठाये गये विशिष्ट प्रश्नों की संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से जांच की जा रही है और उसके निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की जायेगी।

कावेरी बेसिन के ड्रिलिंग के लिए 'असमेरा' के साथ ठेका

361. श्रीमती पार्वती कृष्णन } : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री के० मालप्पा } :

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी तटदूर बेसिन में ड्रिलिंग का ठेका 'असमेरा' के पास है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वहां पर ड्रिलिंग कार्य आरम्भ नहीं हो सका क्योंकि कावेरी बेसिन में लगाया जाने वाला रिंग नहीं पहुंच सका; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और काम की वर्तमान प्रगति क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां।

(ख) 1 नवम्बर, 1975 में 24 वर्षों के लिए केनाडा की असमारा ग्रुप के साथ कावेरी अपतटीय तलछट में तेल के अन्वेषण के सम्बन्ध में एक भागीदारी उत्पादन करार किया गया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के इस करार में 35 प्रतिशत के भागीदारी शेयर हैं और वाणिज्यिक रूप से तेल का पता चलने पर आयोग को अपने शेयरों को 15 प्रतिशत तक और वृद्धि करने का अधिकार होगा। अन्य बातों के साथ-साथ इस करार में भारतीय कामिकों को अत्यधिक रोजगार प्रदान करना तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, भारतीय माल, सेवाओं आदि का अधिकतम योग करना आदि की भी व्यवस्था है:

(ग) और (घ): मनार की खाड़ी जाते समय ड्रिल-शिप में हुई अग्नि दुर्घटना के परिणामस्वरूप व्यधन कार्य में कुछ विलम्ब हो गया था। तथापि ठेकेदार द्वारा एक दूसरा ड्रिल-शिप तुरन्त किराये पर लिया गया और 8 मई, 1977 को इस क्षेत्र में पहले कुएं की खुदाई का कार्य आरम्भ हो गया; जब यह कुआं 670 फिट की गहराई तक खोदा जा चुका था, एक व्यधन रस्सी के टूटने तथा उसके प्राप्त न होने के कारण, 25-5-1977 को कुएं का व्यधन कार्य बन्द कर दिया गया था।

तदुपरांत 26-5-1977 को ठेकेदार ने निकट ही एक ऐवाजी कुएं की खुदाई आरम्भ की। 11,250 फुट की प्रायोजित गहराई की तुलना में यह कुआं अब तक 4,000 फुट तक खोदा जा चुका है।

1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

362. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध की गई सभी दण्डात्मक कार्यवाही को समाप्त कर दिया है जिससे हड़ताल-पूर्व की स्थिति लाई जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है।

विवरण

मई, 1974 की रेलवे हड़ताल में बर्खास्त किये गये/नौकरी से हटाये गये/निलंबित किये गये रेल कर्मचारियों की बहाली के सम्बन्ध में 28-3-1977 को लोक सभा में बजट भाषण में घोषणा के अनुपालन में रेल मंत्रालय ने दिये गये आश्वासन के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए रेलों को 6-4-1977 को आदेश जारी कर दिये हैं।

नीचे के विवरण में कार्यान्वयन का ब्यौरा दिया गया है :—

1. कर्मचारियों की बहाली जो बर्खास्त किये गये, नौकरी से हटाये गये अथवा जिन की सेवायें समाप्त की गयीं

627 कर्मचारियों में से जो 28-2-1977 को नौकरी से बाहर थे 611 ने, पहले ही पदभार ग्रहण कर लिया है। शेष 16 में से :—

- (i) एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी
- (ii) तीन व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं ;
- (iii) 4 व्यक्तियों पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है और बहाली के बाद निलम्बित किये गये हैं। उनके मामलों पर तब ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा जब न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया जायेगा ;
- (iv) 2 व्यक्तियों का पता ठिकाना मालूम नहीं है; और
- (v) 6 व्यक्तियों ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है यद्यपि उनके बहाली के सम्बन्ध में आदेश जारी हो चुके हैं तथा उन्हें सूचना भी भेज दी गयी है।

2. निलम्बित व्यक्तियों का ड्यूटी पर वापस लिया जाना

28-2-1977 को 53 निलम्बित व्यक्तियों में से घटकर अब 15 व्यक्ति रह गये हैं जिनमें ऊपर कालम 1 (iii) के अंतर्गत आने वाले 4 व्यक्ति भी शामिल हैं। उन 15 व्यक्तियों पर कत्ल के मुकदमे चलाये जा रहे हैं और उनके बहाली के प्रश्न पर तब ही विचार किया जा सकता है जब उनके न्यायालयों के मामलों पर अंतिम निर्णय हो जायेगा।

3. जो कर्मचारी (हड़ताल के समय) प्रारम्भ में नये भर्ती हुए थे उन्हें फिर से नौकरी पर लगा लिया गया

—28-2-1977 को सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या : 915

—सभी को बहाल कर दिया गया है।

4. नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों को ड्यूटी पर वापस लिया जाना जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं

28-2-1977 को 5,161 में से जो नौकरी में नहीं थे, 4,609 नौकरी पर पुनः वापिस आ गये हैं। शेष बचे 552 में से :—

- (1) एक की मृत्यु हो चुकी है ;
- (ii) 110 के बारे में कोई जानकारी नहीं है ; और
- (iii) 441 व्यक्ति जिनको पुनः नौकरी में लिए जाने के आदेश जारी हो चुके हैं और उन्हें सूचित भी किया जा चुका है, ड्यूटी पर नहीं आये हैं।

5. सेवा व्यवधान को माफ करना

—प्रारम्भिक संख्या • 5.91 लाख

—जिनका सेवा व्यवधान माफ नहीं हुआ • 746

सभी के लिए सेवा व्यवधान माफ करने के आदेश जारी कर दिये गये।

6. हड़ताल के कारण स्थानान्तरण से प्रभावित कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश रद्द करना

—28-2-1977 तक किये गये कुल स्थानान्तरणों की संख्या • 1678

सभी स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिये गये हैं।

7. अन्य बंड जैसे वेतन वृद्धि रोक, निचले वेतनमान में पदावनति आदि के आदेश रद्द करना।

प्रभावित कर्मचारियों की संख्या • 7645

1-4-1977 से 7,626 के वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया है क्योंकि उनको और किसी रूप से दंडित नहीं किा गया है। शेष 19 के मामलों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इनकी शीघ्र निपटारा हो जायेगा।

**1949, 1960 और 1968 के दौरान परेशान किए गए
रेलवे कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करने
की नीति**

363. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन रेलवे कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए एक नई नीति बनाई है जिन्हें 1949, 1960 और 1968 के दौरान परेशान किया गया था ;

(ख) यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन रेलवे अधिकारियों के बारे में कोई निर्णय लिया है जिन्हें आपात स्थिति के दौरान तत्काल सेवानिवृत्त किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इनके मामलों की समीक्षा की जायेगी जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में घोषणा की है।

आगरा-बाह रेलवे का पुनः बिछाया जाना

364. श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा-बाह रेलवे लाइन जिसको 1938 में कुप्रबन्ध के कारण उखाड़ दिया गया था, पुनः बिछाने तथा मुख्य लाइन के साथ जोड़ने के लिए इसे ओरिया अथवा इटावा तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस लाइन के पुनः खुल जाने से इस पिछड़े क्षेत्र के विकास में तथा कानून और व्यवस्था की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार इससे अग्रगत है कि किसी रेलवे लाइन का निर्माण पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायक होता है। तथापि, इन योजनाओं को शुरू करने से पहले संसाधनों की उपलब्धता और भावी यातायात की सम्भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है।

रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के

लिये पदों के आरक्षण के प्रतिशतता

365. श्री शिव सम्पत :

श्री मंगल बेच विशारद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण के लिए प्रतिशतता क्या है ;

(ख) समस्त स्तरों पर आरक्षण कोटे में से कितने पद भरे गये ; और

(ग) विभिन्न स्तरों पर निम्न से लेकर उच्च स्तर के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्त किया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) 375 रुपए प्र० वे० से अधिक के वेतनमान वाले रिक्त स्थानों में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7-1/2 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। अन्य रिक्त स्थानों के लिए प्रत्येक रेलवे के लिए अलग अलग प्रतिशत निर्धारित किये गये हैं जो उस रेलवे के क्षेत्र में पड़ने वाले स्थानों की कुल आबादी से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित रिक्तियों के प्रतिशत पर आधारित हैं। श्रेणी IV और श्रेणी III के भीतर और श्रेणी II में श्रेणी I के निम्नतम स्तर में पदोन्नति करके भरे जाने वाले पदों में भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए 7-1/2 प्रतिशत कोटा रखा गया है बशर्ते इन ग्रेडों में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद 66-2/3 प्रतिशत से अधिक न हों।

(ख) और (ग) : भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों को लागू करने के अलावा, अराजपत्रित कोटियों में चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों का आरक्षण 4-1-57 से लागू किया गया था वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में 27-11-72 से और श्रेणी III से श्रेणी II में तथा श्रेणी II से श्रेणी I में चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में 20-7-74 से आरक्षण लागू किया गया था। आरक्षण की व्यवस्था भर्ती के वर्ष विशेष में भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार की जाती है और किसी कोटि में कर्मचारियों की कुल संख्या से इसका कोई संबंध नहीं होता।

वर्ष 1976 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोटे में कर्मचारियों की भर्ती के मामले में निम्नलिखित प्रगति हुई :—

भर्ती की कोटियां

	आरक्षित कोटा		भर्ती किये गये कर्मचारियों की संख्या	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्रेणी I	इस में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है।			
श्रेणी II	ये पद सामान्यतः श्रेणी III से कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरे जाते हैं। केवल कुछ कोटियों में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है।			
श्रेणी III	1506	1013	1656	1084
श्रेणी IV	4249	3977	5290	5994
पदोन्नति की कोटियां				
श्रेणी I				
और II	67	30	86	13
श्रेणी III	5529	3351	5675	1664
श्रेणी IV	3055	1832	3483	1096

कमी को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयास किये जाते रहेंगे। इस उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को भर्ती और पदोन्नति दोनों में छूट और रियायतें दी जाती हैं।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय और उसके उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये पदों का आरक्षण

366. श्री शिव सम्पत : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उनके मंत्रालय, इसके विभिन्न विभागों, सम्बन्ध कार्यालयों और उसके नियंत्रण में आने वाले उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में नीचे से ऊपर तक के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) समस्त स्तरों पर कितने आरक्षित पद भरे गये हैं ; और

(ग) आरक्षित पदों पर आरक्षित श्रेणी के ही अभ्यर्थियों को कब तक रखा जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : मंत्रालय तथा चार उपक्रमों अर्थात् नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान इन सेक्टसाइड्स लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्राउनकोर लिमिटेड के बारे में सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

शेष पांच उपक्रमों अर्थात् पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्माश्यूटिकल्स लि०, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०, और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ?

इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कोई सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

(मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 340/77)।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों का आरक्षण

367. **श्री शिव सम्पत :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उनके मंत्रालयों के अधीन विभिन्न उपक्रमों में उच्च से निम्न स्तर तक के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की प्रतिशतता क्या है।

(ख) समस्त स्तरों पर आरक्षित कोटे की किस सीमा तक पूर्ति की गई।

(ग) क्या उनमें कोई ऐसी श्रेणी के पद हैं जिनमें उच्च श्रेणी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ; और

(घ) उच्च श्रेणी के लिये आरक्षित पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक की जायगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मंत्रालय में विभिन्न वर्गों के लिए प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा भरी गई अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की प्रतिशतता इस प्रकार है :-

वर्ग	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
(1)	(2)	(3)
वर्ग क	15 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
वर्ग ख	15 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
वर्ग ग	15 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
वर्ग घ	16-2/3 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत

यह आरक्षण इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों में पदों के लिए वर्ग "क" तथा "ख" में होता है जिन्हें इस विषय पर राष्ट्रपति के निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। तथापि वर्ग "ग" तथा "घ" के पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए आरक्षण की प्रतिशतता उन राज्यों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर भिन्न भिन्न है।

इस मंत्रालय का कोई भी सम्बद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

(ख) जिस सीमा तक इस मंत्रालय में आरक्षित कोटे को पूरा कर लिया गया है, वह सीमा इस प्रकार है :—

वर्ग	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
(1)	(2)	(3)
वर्ग "क"	21.07 प्रतिशत	—
वर्ग "ख"	38.80 प्रतिशत	—
वर्ग "ग"	50.00 प्रतिशत	16.67 प्रतिशत
वर्ग "घ"	52.74 प्रतिशत	14.53 प्रतिशत

उपक्रमों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, हां। मंत्रालय को सभी वर्ग के पदों में।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण से सम्बन्धित राष्ट्रपति के निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कार्यान्वयन हेतु भेज दिये गये हैं। इन निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए समय समय पर उन पर दबाव डाला जा रहा है। इन निर्देशों के कार्यान्वयन पर भी निगाह रखी जाती है। जब कि उन पदों के लिए कोई समय सीमा का उल्लेख करना बड़ा कठिन है। जब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पदों को भरे जाने की सम्भावना है क्योंकि यह बात अनेक घटकों पर निर्भर करती है फिर भी इन आवश्यकताओं को यथा शीघ्र पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।

ROAD-CUM-RAIL BRIDGE OVER GANGA IN PATNA

1368. SHRI MRITYUNJAY PRASAD VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Central Government had given a suggestion to the Government of Bihar to construct a rail-cum-road bridge instead of a road bridge being constructed over the Ganga in Patna to link North Bihar with Patna and South Bihar and had also given an assurance to bear major portion of expenditure to be incurred on construction of such a bridge which was rejected by the then Bihar Government;

(b) whether the Central Government once again propose to ask the Bihar Government to reconsider their suggestion; and

(c) the circumstances in which and the reasons for which the Government of Bihar had rejected the aforesaid suggestion ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) to (c) : By the time the suggestion came up for a second Rail Bridge across Ganga near Patna, the Bihar Government had already gone ahead with the construction of the road bridge and there was no possibility of making it into a combined road-cum-rail bridge.

RAILWAY BRIDGE OVER GANGA IN PATNA

†369. SHRI MRITYUNJAY PRASAD VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any scheme is under consideration of Government for the construction of a railway bridge in Patna City or across the Ganga river in the west for a railway link between the North and South Bihar;

(b) whether a survey of both the river banks, railway stations on both the sides, possible railway lines and other aspects has been made;

(c) if so, the progress made so far in implementing the scheme; and

(d) whether there is a scheme also for making arrangement for road transport over/under/along with this new railway bridge ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) to (c). An Engineering-cum-Traffic Survey for construction of a rail bridge across the Ganga in the reach between Kanpur-Allahabad-Mokameh-Monghyr has been carried out. One of the sites investigated in detail is the site near Patna and the approaches to the bridge on both sides have also been surveyed. The technical aspects of the survey report are under study.

(d) No.

SPECIAL TRAINS FOR SHRI SANJAY GANDHI'S VISIT TO GORAKHPUR

†370. SHRI HARIKESH BAHADUR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether in January, 1977 on the occasion of Shri Sanjay Gandhi's visit to Gorakhpur, the General Manager of North Eastern Railway had introduced special passenger trains from Gorakhpur to Khalilabad, Padrauna and other stations;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the benefit accrued to the railways by introducing these special trains ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) and (b) : There was heavy rush of passenger traffic, and existing trains were already overcrowded. Therefore, one special train was run from Gorakhpur to Padrauna/Tamkuhi Road and back on 8th January, 1977. No special train was run from Gorakhpur to Khalilabad.

(c) Additional earnings were about rupees 1,240/-.

EXPENDITURE INCURRED BY RAILWAYS TO WELCOME SHRI SANJAY GANDHI AT GORAKHPUR

371. SHRI HARIKESH BAHADUR :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a meeting to welcome Shri Sanjay Gandhi was organised in the Railway Stadium in Gorakhpur;

(b) if so, the names of the Officers responsible therefor and the action taken against them; and

(c) the expenditure incurred by the railways on the preparations made in Railway Stadium for the said meeting ?

MINISTER FOR RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) :

(a) No function was organised by the North Eastern Railway to welcome Shri Sanjay Gandhi. However, on request of the District Magistrate, Gorakhpur, the railway stadium was made available on 2-1-1977 in connection with the visit of Chief Minister, Uttar Pradesh accompanied by other State Ministers when Shri Sanjay Gandhi visited Gorakhpur.

(b) Does not arise.

(c) No Expenditure was incurred by the Railway. A bill amounting to Rs. 207.92 on account of the energy consumed and the cost of labour for providing a feeder power point was sent on 15-2-77 to Executive Engineer (Distribution), U.P. State Electricity Board, Gorakhpur for payment.

CONVERSION OF NARROW GAUGE LINES INTO METRE GAUGE LINES AND METRE GAUGE INTO BROAD GAUGE LINES IN GUJARAT

†372. SHRI DHARMASINGH BHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of representations received from Gujarat State demanding conversion of narrow gauge lines into metre gauge lines and metre gauge lines into broad gauge lines; and

(b) the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Representations have been received from Gujarat State for conversion of following lines.

(i) Delhi-Ahmedabad MG line into BG.

(ii) Viramgam to Okha and Porbander MG into BG.

(iii) Gandhidham to Bhuj MG line into BG.

(iv) Nadiad-Kapadvanj NG line into BG.

(v) Chhota-Udaipur-Pratapnagar and Chhuchhapura-Tankhala lines—conversion from narrow gauge to broad gauge.

The work on conversion of Viramgam to Porbander and Okha is already in progress. The conversion of Delhi-Ahmedabad MG line into BG has been included in the Budget for 1977-78. Surveys have been carried out for the conversion of Nadiad to Kapadvanj, Gandhidham to Bhuj, Chhuchhapura-Tankhala and Chhota Udaipur to Pratapnagar lines. The Survey reports are under consideration.

औद्योगिक एककों को पैरा फिन मोम की सप्लाई में कमी

373. श्री पी० के० देब : क्या प्रेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरकों मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों में पैराफिन मोम की सप्लाई कम और अनियमित रही है और इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में दो सौ से अधिक औद्योगिक एककों को कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या उन एककों को सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है जो पैराफिन मोम की सप्लाई की कमी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जनवरी-मई, 1977 की अवधि के लिए दिल्ली राज्य को 1148 मी० टन पैराफिन मोम का आवंटन किया गया था। तदनुसारी सीमा तक दिल्ली प्रशासन द्वारा मई, 1977 तक 193 कोटाधारियों को रिलीज़ आर्डर जारी किये जा चुके हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किये गये रिलीज़ आर्डरों के अनुसार आवंटकों द्वारा माल वास्तविक रूप से उठाया गया है। दिल्ली प्रशासन के पक्ष में किये गये आवंटन के अनुरूप दिल्ली को पैराफिन मोम की सप्लाई नियमित रही है। दिल्ली प्रशासन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनके किसी एकक को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(ख) और (ग) : पैराफिन मोम की देशीय उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से, वर्ष 1977-78 को आपातनीति को संशोधित कर दिया गया है, जिससे वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए पैराफिन मोम की सरणीबद्ध आयात व्यवस्था की गई है।

तूतीकोरिन-डिंडीगुल रेलवे लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना

374. श्री के० टी० कोसलराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन और मद्रास के बीच ब्राड गेज लाइन स्थापित करने के लिए तिरुची-इरोड ब्राड सेक्शन पर करूर के साथ इसे जोड़ने के लिए तूतीकोरिन और डिंडीगुल के बीच मीटर गेज रेल लाइन को ब्राड गेज रेल लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में और आगे कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्या तूतीकोरिन के मुख्य पत्तन के रूप में बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए योजना की क्रियान्वित के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क), (ख) और (ग) करूर से डिंडीगुल तक बड़े आमान की एक नयी रेलवे लाइन और मदुरे से डिंडीगुल तक बड़े आमान वाली एक समानान्तर लाइन के निर्माण तथा मदुरे से तुतुकुडि तक वर्तमान मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस परियोजना को प्रारम्भ करना सम्भव नहीं पाया गया है।

मैसूर-कालीकट रेलवे लाइन का निर्माण

375. डा० बी० ए० सैयदमोहम्मद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मैसूर-कालीकट रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अभ्यावेदन भेजे गये हैं ;
और

(ख) क्या इस रेलवे लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक इस लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। धन की वर्तमान अत्यन्त सीमित उपलब्धता के कारण इस निर्माण-कार्य को शुरू करना सम्भव नहीं होगा।

15 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6171 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO U. S. Q. NO. 6171 Dt. 15-4-75

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : शल्य चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करने वाली फर्मों के बारे में पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6171 के उत्तर में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 15-4-75 को प्रस्तुत किए गये विवरण में दी गई सूचना यथार्थ नहीं थी। यह तथ्य तब प्रकाश में आया जब प्रश्न के मूल उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिये अन्य विवरण एकत्र किए जा रहे थे। 15-4-75 को प्रश्न के उत्तर में दिए गये विवरणपत्र में संशोधन करने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है। इस त्रुटि तथा उसकी सुधारने में हुए विलम्ब के लिए खेद है।

विवरण

क्रम सं०	यूनिट का नाम	निर्माण की मद	विदेशी सहयोग यदि कोई हो
1.	मैसर्स एलप्रो इण्टरनेशनल लि०, पूना	ओपरेशन टेबल, स्टेरलाइजर और ओपरेशन कक्ष की बत्तियां	वित्तीय
2.	मैसर्स आई० सी० पी० एल०, मद्रास	विभिन्न प्रकार के शल्य चिकित्सा उपकरण	तकनीकी (यू० एस० एस० आर०)
3.	मैसर्स इण्डियन ओक्सीजन लि०, कलकत्ता	अनस्थेशिया ओपरेटस	तकनीकी—व—वित्तीय
4.	मैसर्स केहर सर्जिकल एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, कानपुर	सेचूर नीडल, सर्जिकल ब्लेड	शून्य—उपलब्ध नहीं
5.	मैसर्स इस्कोम्ड इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, बम्बई	सेचूर नीडल	—वही—
6.	मैसर्स फिलिप्स इण्डिया लि०, कलकत्ता	ओपरेशन कक्ष की बत्तियां और स्टेरेलाइजर आदि	वित्तीय
7.	मैसर्स नीडल इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि०, नीलगिरी	हाइपोडरमिक नीडल और सेचूर नीडल।	वित्तीय

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तमिल नाडु हिन्दू धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
तथा विवादग्रस्त चुनाव (प्रधान मन्त्री तथा अध्यक्ष)

अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) तमिल नाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिल नाडु हिन्दू धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व अधिनियम, 1959 की धारा 116 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति—

(एक) जी० ओ० एम० 370 जो दिनांक 23 मार्च, 1977 के तमिल नाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा धार्मिक संस्थान (धन की अभिरक्षा, निवेश और उधार लेना अथवा उधार देना) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 655 जो दिनांक 26 मई, 1976 के तमिल नाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा धार्मिक संस्थान (स्थावर सम्पत्ति का पट्टा) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल टी 291/77]

(3) विवादग्रस्त चुनाव (प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष) अधिनियम, 1977 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विवादग्रस्त चुनाव (प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 297 (ड) में प्रकाशित हुए थे।

[मंत्रालय में रखा गया देखिये सं० एल टी 292/77]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र तथा एक वक्तव्य

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन।

- (तीन) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के निदेशकों का प्रतिवेदन तथा वर्ष 1973-74 के लेखे का विवरण और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां
- (2) उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 293/77]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य तथा उप मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं श्री एच० एम० पटेल की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या 110/77-सीई [सा० सां० नि० 277 (ड)] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 13 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 293क /77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to matter of Urgent Public Importance

भिलाई इस्पात संयंत्र की डाली रझाड़ा खानों के श्रमिकों पर पुलिस द्वारा कथित गोली बारी करना

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर मैं गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ और मेरा अनुरोध है कि वह उसके बारे में एक वक्तव्य दें :—

“3 जून, 1977 को भिलाई इस्पात संयंत्र की डाली रझाड़ा खानों के श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप आठ श्रमिकों के मारे जाने तथा अन्य का घायल होना” ।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिला दुर्ग में डाली रझाड़ा खान में कार्य करने वाले ठेके के मजदूरों के छत्तीसगढ़ खान श्रमिक संघ ने जिसका संगठन श्री शंकर गुहा नियोगी ने किया था, अपनी कुछ मांगों पर जोर देने के लिए गत माह हड़ताल कर दी । उन्होंने अपनी झौपड़ियों की मरम्मत के लिए 20/- रुपये, पहले दिये जाते थे, के बजाय 100/- रुपये देने की एक नई मांग रखी । मजदूरों ने कर्मचारियों का घेराव किया और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया । घेराव समाप्त होने पर कर्मचारियों ने समझौते को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह दबाव देकर कराया गया था । विरोधी मजदूरयूनियन, अर्थात् संयुक्त खादान मजदूर संघ के साथ कुछ झड़पें भी हुई ।

2. 2-6-1977 को एक सार्वजनिक सभा में छत्तीसगढ़ खान श्रमिक संघ यूनियन के नेताओं ने घोषणा की कि 3-6-1977 को खान के कार्यालय पर घेराव किया जाएगा। चूंकि ऐसे समाचार भी प्राप्त हुए थे कि रात को बड़े पैमाने पर दंगे, पेट्रोल पम्पों को जलाने और महत्वपूर्ण स्थापनाओं में तोड़फोड़ की घटनाएं हो सकती हैं, अतः एक पुलिस उप अधीक्षक की अध्यक्षता में एक पुलिस दल जिसके साथ एक एस० डी० एम०, एक मैजिस्ट्रेट और सी० एस० पी० भिलाई थे मजदूरों के शिविर में गया और 3-6-77 को रात्रि को लगभग 1 बजकर 30 मिनट पर श्री नियोगी को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस दल लौट रहा था तो भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया और तीन अधिकारियों और चार कांस्टेबलों को अपने वाहनों में बैठने से रोका। कुछ कुमुक मिलने के बाद एस० डी० एम० और मैजिस्ट्रेट ने लगभग 4000 व्यक्तियों की भीड़ से रोके हुए पुलिस कर्मचारियों को छोड़ने को कहा। बताया जाता है कि अधिकारियों के आग्रह का कोई प्रभाव नहीं हुआ और भीड़ ने पुलिस दल पर पथराव शुरू कर दिया जिससे 50 पुलिस कर्मचारी घायल हुए। एस० डी० एम० और सी० एस० पी० भी घायल हुए। जब लाठियों से लैस भीड़ पथराव करती हुई पुलिस दल की ओर बढ़ी तो अश्रु गैस का प्रयोग किया गया जिसका कोई असर नहीं हुआ। उचित चेतावनी देने के बाद पुलिस ने गोली चलाई।

3. पुलिस गोली-बारी के बाद भी भीड़ ने अपनी हिरासत में पुलिस कर्मचारियों को नहीं छोड़ा। यह भी सूचना मिली कि रोके गये पुलिस कर्मचारियों को यातनाएं दी जा रही हैं और वे मरने वाले हैं। कलेक्टर और एस० पी०, जो उस समय तक वहां पहुंच चुके थे, ने भी भीड़ को शान्त करने का प्रयास किया और पुलिस कर्मचारियों को छोड़ने के लिए कहा, किन्तु उनकी सभी अपीलों का, बताया जाता है कि कोई परिणाम नहीं निकला। उपद्रवी भीड़ का सामना करने में पुलिस ने दोबारा गोली चलाई और रोके हुए पुलिस कर्मचारियों को, जो सारे घायल थे, छोड़ा लिया और अस्पताल में दाखिल कर दिया। राज्य सरकार से प्राप्त अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पुलिस गोली-बारी में कुल 9 व्यक्ति मारे गये और 14 व्यक्ति घायल हुए। दंगे के स्थान पर एक लड़का भी मरा हुआ पाया गया और उसकी मृत्यु के कारण का पता किया जा रहा है।

4. राज्य सरकार ने जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत घटना की जांच कराने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया है और उसके द्वारा तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट देने की संभावना है। जांच होने तक, समाहर्ता तथा पुलिस अधीक्षक को बदलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों के परिवारों को, जो पुलिस की गोली से मारे गये थे अथवा घायल हुए थे, प्रति व्यक्ति 5000 रु०, गोली से घायल प्रति व्यक्ति 1000 रु० और लाठी से घायल प्रति व्यक्ति 250 रु० की दर से अनुग्रहात आर्थिक सहायता भी दी है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इस रिपोर्ट से पता चलता है कि यह मामला काफी समय से लटका हुआ था। इसी कारण यह दुर्घटना हुई और 8 आदमी मारे गये। मुझे खुशी है कि इस कांड की न्यायिक जांच हो रही है। लेकिन क्या मंत्री महोदय अन्य मंत्रालय के ध्यान में यह तथ्य लायेंगे कि इस दंगे का एक मुख्य कारण यह है कि पिछले पांच या छः

वर्षों से सरकार अपने आश्वासनों तथा संविद श्रम को समाप्त करने के अपने वायदे को पूरा करने में असफल रही है। यदि ऐसा होता रहा तो गड़बड़ी भी होती रहेगी।

इसके अतिरिक्त मंत्री जी से मैं मुआवजे की राशि के बारे में कहना चाहती हूँ कि यह राशि बहुत कम है। अधिक मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता।

SHRI CHARAN SINGH : The Hon'ble member has told us that the Government had been ignoring the workers demands for the last 5 to 6 years. But the question we have to discuss is whether the police firing was justified or not? We are not discussing the propriety or impropriety of the demands.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मुआवजे के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

SHRI CHARAN SINGH : No amount of compensation is enough for one's life. We may pay 10 thousand or 20 thousand, one cannot compensate for the life. I cannot make any promise. I can only say that the Government would consider her suggestion.

श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य : राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसे मैंने पढ़ा है लेकिन अन्य स्रोतों से मिलने वाली जानकारी कुछ और ही है। तथ्य यह है कि 30 आदमियों की जानें गयीं और पुलिस का उद्देश्य भीड़ को तितर-बितर करना नहीं बल्कि उनकी हत्या करना था क्योंकि शरीर के ऊपरी भाग को निशाना बनाया गया। जनता सरकार के आने के बाद यह पहली घटना है। जो बात कांग्रेस के शासन में बुरी थी वह आज भी बुरी है। लगता है इस घटना के पीछे ठेकेदारों तथा अन्य व्यक्तियों का हाथ है। न्यायिक जांच पूरी तरह से और सार्वजनिक रूप से होनी चाहिये ताकि श्रमिकों को शांत किया जा सके और जनता को दुर्घटना के सही कारणों का पता चल सके। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। संविद श्रमिक नियुक्त करने में कोई ठीक नहीं ढंग नहीं अपनाया जाता। समझौते को बाद में तोड़ दिया जाता है। यह कह दिया जाता है कि समझौता दबाव में आकर किया गया था। ठेकेदार इस शरारत द्वारा अपने समझौतों को तोड़ देते हैं। मुआवजे की राशि पर भी पुनः विचार किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में सशक्त उपाय करके छिपे षडयंत्र का पता लगायेगी।

SHRI CHARAN SINGH : As the Hon'ble Members are aware judicial enquiry is going on and every aspect of the matter is before the judges. The Government will try to act according to the report of judges. So far as the question of pacifying the workers is concerned, the employers had the right to repudiate the agreement as it was entered into under duress. It had been publicly declared that there would be a gherao. The Police could not stand as a silent spectator. They arrested the persons, but the mob got them released. When they again made arrests, the mob started stoning. Many policemen were hurt. Then tear smoke was without any effect. Then the police was compelled to open fire. No body died with the first shot. Then many senior officers arrived at the place. They tried to persuade the workers to release the police officials without success. They were released only after the police firing. According to the report received by me the police was justified in opening fire otherwise it was not possible to maintain law and order. But if the judge is of the opinion that the police action was not justified we will certainly take action against them. The D. M. and the S. P. have been asked to proceed on leave as they should have reached the scene of incident earlier. We think the commissioner as well as the D.I.G. should also have been present at that place. We have asked for their explanation.

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

प्रथम प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन से, जो सभा में 13 जून, 1977 को पेश किया गया था, सहमत है।”

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह हुआ कि केवल आज ही हम मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश ले रहे हैं। कल से मध्याह्न भोजन काल नहीं होगा और बैठक लगातार चलेगी।

प्रश्न यह है :

“कि यह सभा, कार्य मंत्रणा समिति के प्रथम प्रतिवेदन से, जो सभा में 13 जून, 1977 को पेश किया गया था, सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

रेल बजट, 1977-78—सामान्य चर्चा—जारी

Railway Budget, 1977-78—General Discussion—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट पर चर्चा करेंगे।

श्री बशीर अहमद (फतेहपुर) : इस बजट के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ। यह सचमुच जनता का बजट है। भूतपूर्व रेल मंत्री को रेलवे में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अपने-अपने लोगों को नौकरियाँ बांटने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बहुत से अन्य अधिकारियों ने भी मंत्री जी का नाम लेकर बहुत सी नियुक्तियाँ कर डालीं। इससे प्रशासन में अकुशलता आ गई। छोटे अधिकारियों को एकदम उच्च आसनों पर बिठा दिया गया।

रेलवे के कार्यकरण में गिरावट आने के लिये ये कर्मचारी ही उत्तरदायी हैं। जब तक ऐसे व्यक्तियों को निकाल बाहर नहीं किया जाता और ईमानदार कर्मचारी नियुक्त नहीं किये जाते तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। मुझे आशा है कि रेल मंत्री इस मामले की जांच करेंगे।

दो भूतपूर्व रेल मंत्रियों श्री ललित नारायण मिश्र और श्री कमलापति त्रिपाठी ने अनेक रेलगाड़ियाँ अपने जिलों, समस्तीपुर और वाराणासी में चलाई हैं। वे केवल अपने ही निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करना चाहते थे। यह भी भ्रष्टाचार का एक रूप है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह ये असमानताएं दूर करनी चाहियें और उन स्थानों पर गाड़ियाँ चलानी चाहियें जहाँ कोई गाड़ी नहीं है।

इलाहाबाद या कानपुर से मैनपुरी एवं एटा जाने के लिये जो केवल 200 या 250 मील की दूरी पर है, 24 घंटे लगते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र में नई रेल लाइनें बिछाई जायें ताकि यात्रा में कम समय लगे।

इलाहाबाद से कानपुर तक कुछ और यात्री और माल गाड़ियां दिन के समय चलाई जायें ताकि इन क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

गाड़ियों के लेट चलने का एक कारण खतरे की जंजीर खींचने और चलती गाड़ियों में डकैती की घटनाओं में वृद्धि होना है। अतः प्रत्येक गाड़ी में सशस्त्र रक्षक तैनात किये जायें ताकि खतरे की जंजीर खींचे जाने और डकैती की घटनाएं न हों।

विभिन्न रेलों पर काम करने वाली रेलवे पुलिस ठेके के आधार पर नियुक्त की जाती है। रेल मंत्री को यह ठेका प्रणाली समाप्त करनी चाहिये और कोई अन्य तरीका अपनाना चाहिये ताकि उन्हें सेवा की सुरक्षा प्राप्त हो और ठेकेदार उनका शोषण न कर सकें।

रेलवे में तीन लाख नैमित्तिक श्रमिक कार्य करते हैं; ये उन अधिकारियों की दया पर निर्भर करते हैं जो इन्हें नियुक्त करते हैं। कुशल व्यक्तियों को तो नियुक्त नहीं किया जाता है किन्तु अकुशल व्यक्ति नियुक्त कर लिये जाते हैं। यही भ्रष्टाचार का स्रोत है जो तभी समाप्त हो सकता है जब हम उनके लिये सम्यक सेवा सम्बन्धी नियम बनायें। उनकी सेवा की शर्तें उचित रूप से बनाई जानी चाहियें तथा सेवा नियम भी निर्धारित किये जाने चाहियें।

रेल मंत्री ने रेल अधिनियम, 1890 का संशोधन करने की बात कही है। लेकिन इस अधिनियम का संशोधन करने के अलावा रेलवे स्थापना संहिता का भी संशोधन करना अनिवार्य है क्योंकि अब यह पुराना हो गया है। इसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में नियमों के अनुसार बनाया जाना चाहिये।

रेलवे के दावों के मामलों का निपटान करने में काफी विलम्ब होता है। यह भी भ्रष्टाचार का एक स्रोत है और इससे व्यापारिक समुदाय को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये। इन मामलों के निपटारे के लिये अवधि निर्धारित की जानी चाहिये।

रेलवे में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह भ्रष्टाचार विभिन्न बुकिंग कार्यालयों तथा रेलवे माल यार्डों में ही नहीं है बल्कि विभिन्न अन्य कार्यालयों में भी है। अतः विभिन्न डिविजनल मुख्यालयों में स्थायी सतर्कता विभाग बनाये जाने चाहिये जिससे ये कार्यालय स्वतंत्र रूप से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकें।

जहां तक खान-पान सेवा का सम्बन्ध है, मेरा यह कहना है कि यह सेवा ठीक नहीं है और इसमें सुधार किया जाना चाहिये। गैर-सरकारी ठेका प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये और रेल प्रशासन को यह कार्य अपने हाथों में लेना चाहिये।

रेलों पर उठाईगिरी की भी समस्या है। मेरा यह कहना है कि विभिन्न मार्शलिंग यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सैनिकों के अलावा पर्याप्त संख्या में पुलिसमैनो को तैनात करके इसे कम किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो उठाईगिरी के दावे कम हो सकते हैं।

श्री पी० बी० जी० राजू (बोम्बिली) : कल श्री जार्ज फर्नान्डीस ने रेलवे और सड़क परिवहन के बीच कड़े मुकाबले के बारे में बात कही थी। हमें यह समझना चाहिए कि आधुनिक या विकसित देशों में सड़क और रेल परिवहन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेलें देश के एक भाग से दूसरे भाग में भारी मशीनें लाने-ले-जाने का काम करती हैं। लेकिन रेलवे पुल तथा सड़कों पर बने पुल केवल 60 टन भार ही वहन कर सकते हैं। सरकार को इस मामले की पूर्ण जांच करनी चाहिये ताकि रेल और सड़क परिवहन व्यवस्थाएं एक होकर कार्य कर सकें।

जहां तक मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने का सम्बन्ध है, हमें भारत में बड़ी लाइनें बनानी चाहिये। यदि गुन्टाकल से सिकन्दराबाद तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाता है तो आन्ध्र प्रदेश का समूचा रायलसीमा क्षेत्र खोला जा सकता है। गुन्टाकल-बंगलौर लाइन को सिकन्दराबाद तक बढ़ाया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तो बंगलौर से दिल्ली तक बारास्ता हैदराबाद और नागपुर एक गाड़ी चल सकती है। बंगलौर से पूना तक मीटर लाइन को भी बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये। पांचवीं और छठी योजनाओं का उद्देश्य छोटी तथा मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का होना चाहिये।

हमें रेलवे में छोटे प्रशासन विभाग बनाने चाहिये। आज रेलवे का प्रत्येक जोन इतना बड़ा है कि रेल कर्मचारियों के कल्याण के लिये कोई निदेश जारी करना बहुत कठिन होता है। हमारे विशाल देश में अधिक जोन होने चाहिये और इनमें छोटे-छोटे प्रशासन कार्यालय होने चाहिये ताकि प्रशासन में कार्यकुशलता बनी रहे।

श्री एस० ननाजेश गौडा (हसन) मैं रेल बजट का समर्थन करता हूँ। रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया है कि दूसरे दर्जे के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। उन्होंने भाड़े में बिना वृद्धि किये जनता गाड़ियां चलाने का भी प्रस्ताव रखा है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस आशय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि गाड़ियों में जो भोजन दिया जाता है और भोजन के लिये जो बर्तन प्रयोग किये जाते हैं वे बहुत ही खराब और गन्दे होते हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

कर्नाटक में हसन-मंगलौर लाइन गत 10 वर्षों से निर्माणाधीन है। हसन-मंगलौर रेल लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो एक बहुत अच्छी बन्दरगाह को जोड़ती है। यदि यह लाइन पूरी की जाती है तो यह राज्य के अन्य भागों से सम्बन्ध जोड़ेगी। अतः इस लाइन को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। दूसरे इस लाइन को राज्य की राजधानी बंगलौर से भी जोड़ा जाना चाहिये।

सकलेशपुर नई रेलवे लाइन डिवीजन पर गत 10 वर्षों से नैमित्तिक कर्मचारी ही कार्य कर रहे हैं। उन्हें बार-बार नौकरी से निकाल दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि उन्हें स्थायी बनाया जाये।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI (Anantnag) : Yesterday, Shri George Fernandes said that it would take quite some time to clear the dirt that had accumulated in the railways during the last 30 years of Congress rule. But this is a wrong statement. The Annual

Report of the Indian Railways for the year 1975-76 clearly stated that there was a remarkable improvement in the Railway's Performance during the year. Transport bottlenecks were removed, delivery speeded up and incidence of loss and damage reduced. Industrial relations were harmonious throughout the year and all levels of staff performed their tasks with customary dedication to duty. Therefore, it is not correct to say that we have left the railways in a bad state of affairs. In fact, we have handed over the railway administration to you after bringing it on the right track.

Much has been said about giving relief to the victimised employees. But no figures have been given in this regard. A majority of 65,000 employees involved have been reinstated by March, 1977 when the new Government took over. How can we ignore this basic fact?

It is regrettable that the Railway Minister has not said a single word about the casual labourers who are the worst sufferers in this country. Out of 17 lakh railway employees 3 lakh are casual labourers who have got to be made permanent. But there is no mention about it in the Railway Minister's speech.

So far as the question of compensation for death in case of an accident is concerned the Railways pay a maximum of Rs. 50,000/-. We are collecting a surcharge for paying this compensation. The annual income from this surcharge is Rs. 9 crores whereas the compensation paid during a year does not exceed Rs. 1.82 crores. This means that there is an annual saving of Rs. 8 crores in this account. It is, therefore, very necessary that the amount of compensation is increased as Shri Dandvate himself pleaded when he was not a Minister.

The Railway Minister took much credit for reducing the cost of the platform ticket from 50 paise to 30 paise. But how is the common man benefitted by it? Is it not a fact that the majority of the people who go to railway stations to see off their relations or friends belong to the rich class?

The Hon. Minister has stated that the Committees giving patronages have been abolished. He should try to understand the functioning of Railway Administration. There is also another organisation called Indian Railway conference. It should also be abolished. Increasing railway income and observing austerity should be the main task of the Government.

New Janta trains are proposed to be started. Only last year 211 new trains were started. The idea of double-decker trains will not prove to be useful to the general public.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद जारी रखें ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे कर पांच मिनट पर म० प० पर पुनः
समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Speakekr in the Chair

रेल बजट, 1977-78—सामान्य चर्चा—जारी

Rail Budget, 1977-78—General Discussion—Contd.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : The Hon. Minister reserved to Metropolitan Transport System in his speech. The Government is proposing to bring about rapid transport system in big cities like Delhi, Bombay, Calcutta and Madras. The expenditure on rapid transport system which was started with Rs. 140 crores has now gone up to Rs. 250 crores and

is expected to rise further to Rs. 350 crores. I feel that instead of proceeding with such costly projects. We should try to lay new lines throughout the country, and areas where these are actually needed.

I feel that such expensive projects should be abandoned by the Government. Survey has been conducted at Madras, Bombay and Delhi, Planning Commission has also sanctioned a grant of Rs. 10 crores. I suggest that this grant should be utilised for some other useful projects.

The installed capacity of the production units has not been utilised so far. We cannot only meet our own requirements but also produce for export if we utilise our installed capacity.

Reduction in inventories will be beneficial. We should manufacture the goods which are being imported. We should not depend on foreign countries as far as possible.

You have announced the construction of some new lines. It is not enough to make such an announcement. We should make sufficient budgetary provision for the construction of new lines before making such an announcement. The railway lines which caters to the Services of general public should be given priority.

Some people from Martin Burn's came to my place this morning. The Government pay an annual grant of Rs. 25 lakhs to this company. There are about one thousand workers in this Railway. It will be better if this Railway is taken over by the Government, so that these one thousand employees and the area covered by the railway could be benefited. You are setting up commissions after commissions. We are not afraid of these commissions..... (*Interruptions*)

This country cannot be benefited from strikes, dharnas and agitations. The railways can run and carry the goods only after production in the agricultural and industrial sectors. There had been sufficient progress in the functioning of Railways during 1975-76 and 1976-77. What is happening today? There is no punctuality in the railways. No attention is paid towards sanitation. There should be surprised checking in every sphere of the Railway.

The provision of Rs. 24 lakh for "Railway Accident compensation, safety and Passenger Amenities" is insufficient. This amount should be increased. In case accident fund, if not exhausted, should be utilised for providing other facilities to the public.

The Government should make clear the categories of unions to be recognised Policies regarding Railway unions should be reviewed.

It is good that Udampur Railway line has been taken up Kazikund—Baramulla rail link, for which survey has been completed, should also be taken up, so that people could be benefited.

प्रो० मधु दंडवते : चर्चा का उत्तर मैं बाद में दूंगा लेकिन मैं अभी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। फर्नीचर वापस करने की चर्चा हो गयी है, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ श्री बूटा सिंह भूतपूर्व मंत्री ने फर्नीचर वापस करने से इन्कार किया। कोई भी मेरे घर पर आकर देख सकता है कि क्या सभी मंत्रियों का फर्नीचर मेरे घर पर पड़ा है। वहाँ तो एक मंत्री का पूरा फर्नीचर भी नहीं है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : जिस अधिकारी ने यह पत्र मुझे लिखा है, उसने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है क्योंकि उसने एक संसद सदस्य को गलत सूचना दी है।

SHRI U. S. PATIL (Latur): I welcome the budget presented by the Hon. Minister. The Railway administration is still being run under the old system.

The Hon. Minister has referred towards the rule of railways in developing the backward areas. The Government should change its outlook the role of railways as the infrastructure for the development of backward areas.

The Marathwada region of Maharashtra is backward, but if a rail link is provided to connect it with Bombay, the agriculturists there will be able to bring their goods to market and thus increase their income. The railway infrastructure should not be kept confined to industrial belt only, but it should be built up for agricultural areas also.

There are several unremunerative lines running at loss. If Latur Road-Kulwadi—Miraj Narrow gauge line is converted into broad gauge, it will open up a vast area growing food-grains and cotton. It will be proper if the entire approach in regard to evaluation of profit or loss is changed. Similarly, there is one Sholapur—Aurangabad—Jalgaon line. If it is linked with the cotton producing area of Vidarbha, it will give large dividends.

During the last 30 years, the railways have served the cause of defence and industry only. The investment pattern of railways should be radically changed and priority should be given to investment in backward or tribal areas. The entire approach in regard to investment should be changed.

As regards corruption, it percolates from above. Until the administration is cleaned at the higher levels of Railway Board, Secretariat and General Manager, action against petty employees will not bring about the desired results. Discipline has to be imposed at Higher levels.

If Railway Protection Force is manned by honest men and strict discipline is imposed on them, it may be possible to check the number of thefts.

It appears that certain families have monopoly over railway canteens. This monopoly should be broken. Similar is the position in regard to book stalls. Steps should be taken to offer book stalls to educated unemployed with a view to provide employment to them under the self-employment scheme.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : यह बहुत अच्छी बात है कि प्लेट फार्म टिकट का मूल्य कम कर दिया गया है। लेकिन दूसरे दर्जे का किराया भी कम किया जाना चाहिये।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि गत कुछ महीनों से गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं। दूसरे दुर्घटनाएं भी कम हुई हैं। दुर्घटनाओं को कम करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं और क्या रख-रखाव की कार्य भी ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं।

जहां तक लाइनों को बदलने का सम्बन्ध है, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और दक्षिण रेलवे के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दक्षिण में डिडिगुल-तिरुनेलवेल्लि लाइन को बदलने के कार्य का क्या हुआ? रेलवे मंत्री के भाषण में विद्युतीकरण कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है। तेज और कुशल परिवहन और ईंधन के बढ़ते मूल्य को ध्यान में रखते हुए रेलों का विद्युतीकरण अत्यन्त आवश्यक हो गया है। विद्युतीकरण के मुकाबले डीजलीकरण अधिक मंहगा पड़ता है। विजयवाड़ा-मद्रास या मद्रास-तिरुवलूर खंड के विद्युतीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तूतीकोरिन से गुरावरूर और अलेप्पी से एरणकुलम तक नई लाइनें बिछाये जाने के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने केवल कोंकन रेलवे का उल्लेख किया है और मुझे आशा है कि वह इसे शीघ्र पूरा करेंगे।

जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, रेल मंत्री ने कोआपरेशन एन्टरप्राइज ग्रुप के बारे में बहुत कुछ कहा है तथा अधिकृत और मान्यता प्राप्त संघों पर जोर दिया है। यह कार्य

केन्द्रीय स्तर से शुरू किया जाना चाहिये। एन० सी० आर० एफ० ने सरकार के सामने 6 मांगे पेश की थीं। रेल मंत्री को वहां से बातचीत शुरू करनी चाहिये जहां इसे छोड़ा गया था। रेलवे को उद्योग माना जाना चाहिये तथा सरकार को मजदूरी ढांचे पर विचार करना चाहिये। सारे मामले की छानबीन के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। यदि भ्रष्टाचार के लिये जिम्मेदार दोषों को समाप्त किया जाये तो करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है। इस उद्देश्य के लिये कर्मचारियों का सहयोग भी मांगा जाना चाहिए। औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। रेलवे को उद्योग के रूप में ममज्ञा जाना चाहिए। अच्छा होगा यदि मंत्री महोदय मजदूर संघ प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक रूप से बात करें और ऐसा रास्ता निकाले जिससे एक उद्योग में एक ही मजदूर संघ हो। रेलवे के पुनर्गठन के लिये प्रजातांत्रिक ढंग अपनाया जाना चाहिए।

नैमित्तिक मजदूरों के बारे में मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि नैमित्तिक श्रमिक प्रथा समाप्त करने के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है। रेलों पर इन कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति और अन्य लाभ उपलब्ध नहीं है जैसे कि अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के बारे में क्या किया जा रहा है। वर्षों से न उनकी मरम्मत की जाती है और न ही उनमें सफेदी की जाती है।

जहां तक बोनस का सम्बन्ध है, रेलवे स्थगित मजदूरी के रूप में इसे देने की स्थिति में है। जहां तक मार्टिन बर्न रेलवे का सम्बन्ध है, यदि सरकार इसे अपने हाथ में नहीं ले रही तो मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि 300 या 400 लोग बेरोजगार न होने पायें।

मजदूर संघ गतिविधियों के कारण सताये गये कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार किया जाना चाहिए तथा उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। दक्षिण-पूर्व रेलवे कर्मचारी यूनियन तथा पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देने का मामला भी कुछ अरसे से खटाई में पड़ा हुआ है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इन दो यूनियनों के साथ न्याय किया जाये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

MR. SPEAKER in the Chair

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी (गोहाटी) : मैं रेल बजट का समर्थन करती हूं। नये बजट में सर्वथा नया रुख अपनाने के लिये मैं रेल मंत्री को बधाई देती हूं।

मुझे यह देखकर निराशा हुई है कि पिछड़े क्षेत्रों में की जाने वाली कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारत सरकार ने वे क्षेत्र निर्धारित किये हैं जो पिछड़े क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु सरकार ने इन पिछड़े क्षेत्रों के लिये कुछ नहीं किया है। देश के समुचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की मौलिक आवश्यकताओं की रेल मंत्री के भाषण में उपेक्षा की गई है। भारत के इस क्षेत्र की और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देश की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता के लिये इस क्षेत्र के साथ संचार सम्बन्ध होना आवश्यक है। देश के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और आदिवासी जनता और शेष देश के बीच राष्ट्रीय एकता कायम करने के लिये इस क्षेत्र का विकास किया जाना आवश्यक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मेघालय, नागालैंड मणिपुर और अरुणाचल प्रदेशों की राजधानियों को रेल लाइनों से जोड़े जाने की कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस क्षेत्र के बच्चों को यह मालूम नहीं कि रेलवे, रेल इंजन और रेल डिब्बा क्या होता है। यह जानने के लिये उन्हें केवल रेलवे के फोटो देखने पड़ते हैं।

इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है और बाढ़ें भी आती हैं। उनसे रेल लाइनों बह जाती हैं। रेल पुलों से बाढ़ के पानी का निकास करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये।

भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने वायदा किया था कि गोहाटी होकर बोंगाई गांव से डिब्रूगढ़ तक बड़ी लाइन को बढ़ाया जायेगा तथा जोगीगोपा होकर बोंगाई गांव से गोहाटी तक नई लाइन बनाई जायेगी तथा ब्रह्मपुत्र पर एक और पुल बनाया जायेगा। खेद की बात है कि जनता सरकार ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। आसाम में रेल लाइनें बहुत पुरानी हैं और ये ब्रिटिश जमाने की हैं। आजादी के बाद बहुत कम रेल लाइनें इस क्षेत्र में बनाई गई हैं। डिब्रूगढ़ से शिबसागर सड़क द्वारा केवल 54 मील है परन्तु रेल द्वारा यह 154 किलोमीटर है और दो या तीन बार गाड़ी बदलनी पड़ती है और प्राइवेट लाइन पर भी सफर करना पड़ता है। यहां पर कुछ प्राइवेट कम्पनियों की रेल लाइनें भी हैं। वे हमारी रेलवे द्वारा चलायी जाती हैं और 50 प्रतिशत लाभ उन कम्पनियों को दिया जाता है। मालूम नहीं हमारी सरकार अभी तक क्यों इस व्यवस्था के अनुसार काम कर रही है? रेल मंत्री इस मामले में ध्यान देंगे और इस प्रकार की हानि को रोकने का प्रयास करेंगे।

एक ही रात में 3 पुल वर्षा में बह गये। राज्य सरकार ने एक मौर तथ्याण्वे-षणी आयोग की नियुक्ति की। दोनों आयोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यह प्राकृतिक आपदा थी। एक ही समय पर बहुत से व्यक्तियों की हत्या को दैवी कार्य कैसे माना जा सकता है?

यदि आप अनुमति दें तो हम इस दुर्घटना पर कुछ समय में चर्चा कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रो० मधु दण्डवते इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। अधिकारियों के मतानुसार यह दैवी कृत्य नहीं है। यह लापरवाही का कार्य है। उन क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी रखनी होती है।

विद्युतीकरण एवं विद्युतीकरण के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। उत्तर पूर्व रेलवे पर आसाम मेल सबसे तेज गति की गाड़ी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसकी गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप वायुयान द्वारा यात्रा करते हैं अतएव यह बहुत धीमी गति है।

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : वह हमारी गति धीमी रखना चाहते हैं। आप पुलों में लाइनों की मरम्मत क्यों नहीं करते। क्या वे समझते हैं कि आसाम में पुल आदि मरम्मत के योग्य नहीं हैं।

पांच स्टेशनों का वर्गीकरण प्रथम श्रेणी के रूप में किया गया है। प्रो० मधु दण्डवते ने बताया है कि वह जनता क्लास एक्सप्रेस गाड़ियां देने को तैयार हैं। हमें गद्दों की आवश्यकता नहीं आप हमें पेय जल दें।

उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे का अधिकांश भाग आसाम में है तब भी उक्त राज्य के लोगों को रेलवे में रोजगार नहीं दिया जाता। आप पुरुषों और महिलाओं की समानता की बात करते

हैं परन्तु 14.65 लाख कर्मचारियों में केवल 21,600 महिलाएं हैं। उक्त क्षेत्र में रेलवे विकसित नहीं हैं गोहाटी को राज्य की राजधानी घोषित किया गया है। रेल वहां नगर के मध्य तक जाती है जिससे सड़क परिवहन ठप्प हो जाता है। गावों में भी सड़कों का निर्माण किया गया है परन्तु रेलवे रेलें कांसिंग बनाने को सहमत नहीं होतीं। रेलों ने फाटक नहीं बनाये। मुझे उम्मीद है मंत्री महोदय इस और ध्यान देंगे।

रेल मंत्री ने सभी कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने का निश्चय किया है। परन्तु सरकार की उदार कार्यवाही से अनुशासन हीनता को बड़ावा नहीं मिलना चाहिए।

लोगों ने जनता पार्टी में विस्वास प्रकट किया है। इससे हमारे उत्तरदायित्व की वृद्धि हुई है। जिस रूप में हम अपने आश्वासनों को पूरा करते हैं उसी से हमारा मूल्यांकन होगा।

श्री चित्त बसु (बारसात) : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। यह बजट पार्टी द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करता है। बजट 32.5 करोड़ रुपए बचत का है। ऋण प्रस्तता में 7 करोड़ रुपए घट कर 440 करोड़ रह गई है।

1974 की हड़ताल के दौरान रेल कर्मचारियों ने कुछ मांगें रखी थीं। मुझे खेद है कि उन बुनियादी मूलभूत शिकायतों की ओर अब भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। रेल मंत्री इसकी ओर ध्यान दें और रेल कर्मचारियों से बातचीत करके समझौता करें।

रेल कर्मचारियों का संगठन नहीं तोड़ा जा सका परन्तु हड़ताल विफल कर दी गई।

नैमित्तिक रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को समझने के लिए रेल मंत्री के लिए यह सब से उपयुक्त अवसर है।

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का मामला भी उठाया गया है। यह बात स्वागत योग्य है। सरकार रेलवे में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाये तथा कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करे तत्पश्चात ही रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाये तथा उत्पादकता बढ़ाई जाये।

रेलवे को यह सिद्धान्त मान लेना चाहिए कि बोनस स्थगित वेतन है अनुग्रह अनुदान नहीं है।

बोंगांव-सियालदह की लाइन को दोहरा किया जाये। इकहरी लाइन बड़े यातायात की पूर्ति करने में सर्वथा असमर्थ है। इस समय यह लाइन 60 लाख लोगों की सेवा करती। ये लोग अपनी प्रतिदिन की आवश्यकता के लिये कलकत्ता पर निर्भर करते हैं। बटवारे से पहले इस लाइन का 20 हजार यात्री प्रतिदिन उपयोग करते थे। अब ऐसे यात्रियों की संख्या 1 लाख है और इससे प्रति वर्ष 1.5 करोड़ राजस्व की प्राप्ति होती है।

यह महत्वपूर्ण परियोजना है। इस पर 11 करोड़ रुपए व्यय होगा। इसे अलाभकारी समझ कर स्थगित न किया जाये। मंत्री महोदय ने अपने 26 अप्रैल के पत्र में बताया है कि उन्होंने यह मामला वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को भेज दिया है। चार पंच वर्षीय योजनाओं में 400 करोड़ रुपए रेलों के विकास पर व्यय हुए हैं। मुझे पता नहीं है कि पांचवीं योजना के लिये इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है। मंत्री महोदय

ने इतनी बात ही कही है कि वह वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से मंजूरी मिलने पर ही इसे हाथ में ले सकेंगे। मैंने इस मामले पर वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल से बातचीत की थी तथा उनसे यह निवेदन किया था कि इस मामले को वाणिज्यिक रूप में ही न देखा जाये।

यह एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य बाँगांव सियालदह लाईन के यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करना है। परियोजना की लागत 11 करोड़ रुपये है। सभा को आश्वासन दिया जाये कि इस परियोजना का कार्य इसी वर्ष शुरू किया जाये।

श्री एच० एल० पटवारी (मंगलदाई) : ध्यानार्कषण प्रस्ताव की प्रक्रिया के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति स्पष्ट करता हूँ।

श्री एच० एल० पटवारी : आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो जनता पार्टी की सूची के अनुसार ही चलूंगा।

श्री एच० एल० पटवारी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे बोलने की अनुमति मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं पार्टी की सूची के अनुसार ही चलता हूँ।

कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों को समय दिया जा चुका है और उन्होंने अपने दल के लिये नियत बहुत सा समय लिया। ऐसी स्थिति में आपको शायद कल भी समय नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अन्य दलों को भी समय देना पड़ता है।

श्री एच० एल० पटवारी : क्या मुझे समय मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को अपने विप के साथ उठायें।

श्री राम चन्द्र मलिक (जयपुर) : मैं रेल मंत्री को एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूँ।

यात्री किराये और माल भाड़े में कोई भी वृद्धि नहीं की गयी भाड़े कम करने के लिये श्रेणीहीन जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी जायेंगी।

यह बात प्रसन्नता की है कि इस वर्ष के बजट में उड़ीसा की तलचर-सम्बलपुर और कोरापुट-पार्वतीपुरम लाइनों का सर्वेक्षण किया जाना शामिल किया गया है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि जाखापरा-बासपानी लाइन के निर्माण में गति लाई गई है। विराजमंदिर और जयपुर शहर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। मथुरा-बृन्दावन, काशी, बनारस, पुरी आदि के लिए रेलवे लाइन है, अतः विराज मंदिर को भी रेलवे से जोड़ा जाए। मानेश्वर रेलवे स्टेशन पर पूर्वी जोन में डिब्बा मरम्मत वर्कशाप का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाए।

महानदी के पुल का काम संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है। कार्य में तेजी लाई जाए।

भद्रक और कटक के बीच सुबह 5-30 से 5 बजे शाम तक कोई मवारी गाड़ी नहीं चलती। भद्रक और नागगुंडी के बीच चलने वाली शटल गाड़ी यदि परदीप पत्तन तक तथा परदीप से कटक के बीच वाली भद्रक तक बढ़ा दी जाए तो अच्छा हो। इससे कटक और भुवनेश्वर में प्रतिदिन दफतरों, न्यायालयों, बाजारों, स्कूलों और कालेजों को आने वालों को सुविधा होगी।

कोराई हॉल्ट को स्टेशन में बदल दिया जाए। वैतरणी रेल पुल के पास वैतरणी रोड़ और मंजूरी रोड़ के बीच दुलाख्यापटना में एक नया हॉल्ट बनाया जाए। यात्रियों की सुविधा के लिए 38 डाउन और 37 अप जनता गाड़ियों में एक और डिब्बा लगाया जाए।

हैदराबाद एक्सप्रेस, वैतरणी रोड़ और जेनापुर स्टेशन पर रुके। स्थानीय लोगों की यह जोरदार मांग है। आशा है कि उपरोक्त खर्च मांगों की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्री बी० पी० कदम (कनारा) : मैंने रेल मंत्री के भाषण को बड़े ध्यान से सुना और मुझे पूरी तसल्ली हुई कि उन्हें समाज के कमजोर वर्गों का पूरा ध्यान है।

देश के पश्चिम तट के थाना, कोलाबा रत्नगिरी, गोवा, उत्तरी कनारा क्षेत्र आदि देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। इसलिये नहीं कि यहां प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं बल्कि इसलिये है कि यहां संचार सुविधाएं नहीं हैं।

पश्चिम तटवर्ती लाइन की मांग अनेक वर्षों से की जा रही है। 20 दिसम्बर 1969 को रेलवे की अनुदानों की मांगों की चर्चा के समय तत्कालीन रेल मंत्री ने कहा था कि यह लाइन बहुत आवश्यक है और खेद है इतने वर्षों से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस लाइन का कार्य शीघ्र चालू किया जाये।

मुझे इस बात का पता नहीं कि 35 करोड़ रु० की लागत आयेगी या उससे कुछ कम खर्च होगा। लेकिन यह जिला पिछड़े क्षेत्र में है। इसलिए ऐसा करने से यहां की अपार खनिज सम्पदा के निर्यात को बहुत बढ़ावा मिलेगा। पूरे राज्य से लगभग 18 करोड़ रुपये का वन राजस्व प्राप्त होता है जिसमें से अकेले इस क्षेत्र से 13 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। इसलिए इस कार्य को यथा शीघ्र आरम्भ किया जाये।

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Almora): Sir, I congratulate the Railway Minister for the healthy change visible in the budget.

But I feel that the price of platform should have been reduced to 25 paise. More facilities and amenities should be provided in the long distance trains. There should be arrangements for life saving drugs as well as drinking water in railway compartment. The designs of Compartments should be so changed as to possess drinking water taps so that public may not have to get down from the crowded compartment just to drink water.

Punctuality of the fast running trains should be strictly maintained. If an express or mail train reaches late, the excess fare charged from the passengers of such trains should be refunded as has been the practice in Japan.

The standard of catering in railways has also gone down. The quality of food stuff as also sanitation in the dinning car is far from satisfactory. This needs to be looked into and improved. I agree with the suggestion that railway stalls should be allotted to educated unemployed youth on cooperative basis.

I represent a constituency which is near the Indo-Nepal borders. Hence it is of strategic importance. Even so the railway line does not touch that region. In 1974 the then Prime Minister Smt. Indira Gandhi had laid the foundation stone for Rampur, Kathgodam broad gauge railway line. More than 3 years have passed since then but there is no sign of any railway line. I request the hon'ble minister to construct this line. This will open up an area which is rich in natural resources and has great potential for industrial development.

The Loco factory at Varanasi can be associated with the Engineering Colleges at Varanasi and Allahabad. The engineering institutes can be entrusted with the designing and production of such parts of locomotives as are at present imported. Such an arrangement can reduce import liability of railways by 20% to 30% and foreign exchange to that extent will also be saved.

It is a matter of satisfaction that employees will now be represented at every level in railway administration. Another thing I want to emphasize is that Assistant Station Master occupies an important place in the system of railways. He is the pivot around which the whole railway administration revolves. There must be improvement in the service-conditions of these people.

We should increase the use of such regional words in railways as are being widely used. This will increase emotional integration and we will be able to develop a good Indian language. For instance we can use the word sanghip in place of junction.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair

श्री जार्ज मैथ्यू (मूवत्तुपुजा) : रेल बजट के कुछ प्रस्तावों का मैं विरोध किये बिना नहीं रह सकता। यह बात प्रशंसनीय है कि माल ढुलाई और यात्री किराये में वृद्धि नहीं की गई है। 1976-77 में इस मद से लाभ की राशि 65 करोड़ रुपये थी। अब यद्यपि माल अधिक लाया ले जाया जा रहा तथापि लाभ की राशि घट कर 32.50 करोड़ रुपये रह गयी है। प्लेटफार्म टिकट में 20 पैसे घटाने का अधिक अंतर पड़ने वाला नहीं क्योंकि पहले भी टिकट की कम से कम मूल्य 30 पैसे ही था। रेल कर्मचारियों के वेतन में भी कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को वहाल करके मंत्री जी ने कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। सेवा निवृत्ति के बाद कार्यकाल की अवधि न बढ़ाना स्वागत योग्य है।

लेकिन जहां तक विकास कार्यो का सम्बन्ध है। सर्वाधिक पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सुदूर दक्षिण के राज्य में यातायात एक समस्या हो गया है।

एरणाकुलम से एलेप्पी तक 60 कि० मी० रेल लाइन के निर्माण की मांग लम्बे समय से की जा रही है। गुरुवयूर-कुट्टीपुरम लाइन का सर्वेक्षण किया जा चुका है। हमने अनुरोध किया था कि नेशनल हाइवे 47 को केरल के सेन्ट्रल रोड से ले जाया जाये (पर अनुरोध को भी नहीं माना गया। इसके अतिरिक्त ओलावकोट-त्रिवेन्द्रम लाइन का विद्युतीकरण भी

किया जाना है। इससे व्यय में 8 से 10 प्रतिशत तक बचत होगी। ये सभी योजनाएँ पैसे की कमी और योजना आयोग की मंजूरी न मिलने के पुराने बहाने से रुकी पड़ी हैं।

कोचीन मद्रुरै लाइन के निर्माण की मांग की गई है। यह लाइन एरणाकुलम से शुरू होकर मुवत्तुपुजा कूठाट्टुकुलम और फिर पालाई एराट्टापेटा-कांजीरापल्ली थैकड़ी के स्थानों से जो केरल की नीची पहाड़ियों में हैं, गुजरते हुए तमिलनाडु में कम्बूम पहुंच कर मद्रुरै में वर्तमान रेलवे लाइन से जो बौदीनायकानूर तक जाती है मिलना चाहिये। कांजीरापल्ली को कोट्टायम से जोड़ने वाली लाइन भी बनायी जानी चाहिये। इससे केन्द्रीय ट्रावनकोर का बहुत विकास होगा यह क्षेत्र नकदी फसलों के लिए प्रसिद्ध है।

पिछली सरकार ने जिन 25 नई लाइनों की मंजूरी दी थी उन पर काम चल रहा है। समझ में नहीं आता कि एलेप्पी-एरणाकुलम लाइन को क्यों छोड़ दिया गया है जबकि उस पर 6 करोड़ से भी कम खर्च आना था। इसके लिए स्लीपर आदि की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार ने ले लिया था। इस कार्य को प्राथमिकता देकर अगले तीन वर्षों में पूरा किया जाना चाहिये।

प्रो० हलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जनतापार्टी की सरकार में बनाये गये प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किये जाने पर मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ। सरकार से उधार लेकर रेलवे परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। रेलवे अपने आप राजस्व कमा कर एक निधि बनाने में असमर्थ रहा है। इसलिए अब निवेश करने से पूर्व सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि उससे आय कितनी होगी।

गत कुछ वर्षों से अलाभप्रद परियोजनाओं के लिये ऋण देने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि परियोजनाओं की लाभप्रदता का औचित्य ठहराने के लिए अनावश्यक तर्क दिये जाते हैं। इससे सुविधाएं प्रदान करने में प्रायः प्रादेशिक असंतुलन पैदा हो जाता है। वे क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं जहां वास्तव में रेल सेवाओं की आवश्यकता होती है। अतः जहां एक और मुगल सराय डिवीजन के निर्माण, भागलपुर और क्यूल के बीच सैक्शन को दोहरा करने के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण और पटना रेलवे समूह के आसपास अत्यधिक पूंजी निवेश, सी० आई० सी० सैक्शन पर माइक्रोवेव सुविधाओं की स्थापना, धाराणसी और भाटनी के बीच नई लाइनों के निर्माण को लाभप्रद बताया गया है वहां दूसरी ओर हावड़ा-सियालदाह लाइन, डमडम और बारसाट के बीच दोहरी लाइन, बजबज-नामखाना परियोजना, हावड़ा टर्मिनल सुविधाएं और राणाबाट का लीनारायणपुर लाइनों के बारे में निर्णय स्तर पर गम्भीरता से न तो विचार किया जा रहा है और न ही कार्य को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 25 नये कार्यों में से जिन्हें पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा 1978-79 तक चालू करने का प्रस्ताव है, केवल एक अर्थात् डमडम-बारसाट को शामिल करने का प्रस्ताव है। जहां तक एन० जे० पी० से आसाम में बोंगई गांव तक मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने का प्रश्न है रेलवे बोर्ड के आर्थिक सलाहकार ने वर्ष 1971 के आर्थिक विश्लेषण में इस लाइन को बदलने को उपयोगी और लाभप्रद बताया है।

मुगलसराय में एक और डिवीजनल कार्यालय खोला गया है जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपया खर्च आता है। सेन्ट्रल इण्डिया कोल फील्ड क्षेत्र (मध्य भारत कोयला क्षेत्र) में

माइक्रोवेव संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। वित्तीय अधिकारियों का विचार था कि अच्छे संचार साधनों से ही अच्छी आय हो सकती है और रेलों का कार्य सुचारु रूप से चलना अत्यन्त आवश्यक है। माइक्रोवेव संचार सुविधाओं की परियोजना पर बहुत व्यय होता है इस लिए इतनी महंगी परियोजना महाप्रबन्धक ने भी आपत्ति की थी लेकिन उसकी आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इस प्रकार रेलवे में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। कंचनपाडा की विद्युत कर्मशाला मुख्यतः विद्युत इंजन और ई० एम० यू० डिब्बों जिनमें ट्रेलर भी शामिल है, के० पी० ओ० एच० के सम्बन्ध में बनाई गई थी, साथ ही इसमें कुछ मरम्मत का व्यय और निर्माण का काम भी होता है जैसे कि ट्रेक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, इलैक्ट्रीकल रोलिंग स्टॉक के लिए सहायक मशीनें और बिजली के इंजनों और इ० एम० यू० इत्यादि के लिए फालतू पुर्जे भी बनाये जाते हैं। उपरोक्त मदों के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्मशालाएं न केवल मशीनों के रूप में कई आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं अपितु प्रशिक्षित अधिकारियों की भी व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों और प्रशासन के परस्पर लाभ हेतु एक प्रेरक योजना भी चालू की गई है।

कंचनपाडा कर्मशाला अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे रहती है और इसलिए कई काम विशेषकर मरम्मत के काम बाहर की पार्टियों को देने पड़े हैं और यह काम एक विशेष कम्पनी की फर्मों को सौंपा गया है। बहाना यह बनाया गया है कि यह कर्मशाला रेलवे की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

महंगे विद्युत पुर्जों की मरम्मत तथा स्टोर्स सप्लाय सम्बन्धी वित्तीय मामले उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा निपटाये जाते रहे हैं। इनमें काफी गड़बड़ियां पायी गई हैं। विशिष्ट फर्मों को 'खुले मूल्य' प्रणाली के आधार पर संतोषजनक कार्य निष्पादन गारंटी के बगैर ही काम दिशे दिये गये। यदि रेलवे प्रशासन के पुनर्गठन के लिए कदम उठाये जायें तो हमें यात्रियों तथा विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धन मिल सकता है तथा हम नये अवसर पैदा कर सकते हैं।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे की योजना पर कई करोड़ रुपये व्यय किये गये लेकिन जिस ढंग से काम चल रहा है, उससे तो लगता है कि 100 वर्ष में भी काम पूरा नहीं होगा। कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे होनी चाहिये। सिआलदाह—बानगांव लाइन को दोहरी करने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : प्रो० दण्डवते यूं तो एक विद्वान व्यक्ति हैं परन्तु अपना पद भार सम्भालते ही बरखास्त कर्मचारियों की बहानी अत्यन्त आपत्तिजनक है। क्या उन कर्मचारियों को जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेकर रेल सम्पत्ति को जलाया है, फिर से नौकरी पर लगाना उचित है। मंत्री जी के शांतिपूर्ण ढंग से इस विषय पर विचार करना चाहिये था।

रेलवे बोर्ड तथा रेलों के महा प्रबन्धकों के लिए सैलून की सुविधा दी जाती है क्योंकि उन्हें भी पर जाकर निरीक्षण करना होता है। कई बार बन क्षेत्र में भी जाना होता है

जहां पर अतिथि गृह या सर्किट हाउस नहीं होते। अतः वहां पर सैलून का होना बहुत आवश्यक है। इस छोटी सी बात पर इतना शोर मचाया जा रहा है। कठिन या दुर्गम स्थानों पर अधिकारियों को कुछ न कुछ सुविधा तो अवश्य दी जानी चाहिये। तभी वे अधिकारी अधिक कुशल सेवा प्रदान कर सकते हैं।

बहुत से रेलवे पुल काफी पुराने हो चुके हैं और किसी भी समय उनके टूटने का भय है। इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की जाये जो रेलवे पुलों का पूरा-पूरा अध्ययन करे और आवश्यकतानुसार मरम्मत अथवा नये पुलों के निर्माण की सिफारिशें करे। वैसे भी वर्षा ऋतु आरम्भ हो चुकी है। अतः इस विषय में हमें तत्काल कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

आंध्र प्रदेश के लिए कुछ नई लाइनों का प्रस्ताव था। अभी तक इस बारे में बहुत थोड़ा कार्य हुआ है। प्रस्तावित रेल लाइनें नाडुकुडा बीवी नगर लाइन और रामागुडम-निजामाबाद हैं। उन्हें शीघ्र पूरा किया जाये।

प्रायः सभी बड़े-बड़े नगरों में जहां रेल लाइनें गुजरती है, उपरि पुल नहीं है। इस कारण कई बसों, कारों और अन्य मोटर गाड़ियों को घंटों रुकना पड़ता है। माल के लाने-ले जाने में बहुत विलम्ब हो जाता है। रेल मंत्रालय को सभी शहरों में नहीं तो कम से कम बड़े-बड़े शहरों और औद्योगिक नगरों में ऐसे पुल अवश्य बनाने चाहिये। निजामाबाद में भी उपरि पुल की अत्यन्त आवश्यकता है।

SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY (Banaskantha) : Sir, I congratulate the hon'ble Minister for presenting this good budget. I hope the assurances given by him will be fulfilled very soon.

Gandhiji's dream will come true if class-less trains are introduced in the near future. The passengers have to face considerable difficulties for reservation in trains. Sanitary conditions are also poor at the stations. These aspects should be looked into at the earliest.

Metre gauge line between Ahmedabad and Delhi should be converted into broad gauge. It is an important line which connects Gujarat and Rajasthan.

There is need to amend the Indian Railways Act. So far as the claims are concerned these should be disposed off quickly. An over bridge should immediately be constructed near Saij village on the Ahmedabad—Abu road. There is a I.F.C.O. Fertilizer factory and a natural Gas Gathering Station of Indian Oil at that place. As a result of which the transportation has increased very much.

I come from Banaskantha constituency which is a backward area to the extent that the people have not seen the train. The number of post offices is also not much. I hope the hon'ble Minister will see that two railway lines—one from Radhinpur to Harij and the other from Kansa to Bhilri are constructed.

The people have been demanding the restoration of Radhanpur-Palanpur railway train which has been suddenly discontinued. I hope the hon'ble Minister will accede to our request.

There is no arrangement for teaching Hindi language to the children of railway employees in Palanpur and they have to travel as far as 30 Km. to reach Abu for this

purpose. The children remain hungry the whole day. So arrangements should be made to hold Hindi classes in Palanpur.

The Headquarter of the Western Railways is located in Bombay whereas most of their work pertains to Gujarat. I, therefore, request him to shift this headquarters to Gandhinagar.

Drinking water is the basic necessity for every body including the railway employees. So drinking water must be provided at every station at every cost. Sophisticated machinery, at present used by O.N.G.C. should be utilised for carrying under ground pipeline to the fields so that the farmer is not put to excessive loss and the crops do not suffer for want of irrigation water.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, रेलगाड़ियों द्वारा माल भेजा जाना कम खर्चीला है क्योंकि उसमें जो ऊर्जा लगती है वह हमारे यहां उपलब्ध है जबकि सड़कों द्वारा यातायात बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि हमें तेल बाहर से मंगाना होता है। इन सब के बावजूद भारतीय रेलों द्वारा माल बाहर भेजा जाना कम हो रहा है और यात्री भी गाड़ियों की अपेक्षा सड़क पर चलने वाले वाहनों को प्राथमिकता देते हैं। मेरा यह विश्वास है कि इस दिशा में सुधार की बहुत आवश्यकता है।

रेलवे प्लेटफार्म के पैसे घटाने का कोई लाभ नहीं है। इससे प्लेटफार्म खरीदने वालों की भीड़ बढ़ जायेगी और यात्रियों को गाड़ी पकड़ने में अधिक दिक्कत उठानी होगी।

जितनी आमदनी रेलों से इस समय हो रही है, उससे दुगनी आमदनी हो सकती है। पर अभी तक किसी एक यातायात विशेषज्ञ की सेवाएं भी प्राप्त नहीं की गई हैं। आई०सी० एस० व्यक्ति पदभार संभालते हैं, जिन्हें यातायात की स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। रेलवे की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ायी हुई है। कल आज और कल के लिए कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं किया गया। इससे क्षेत्रीय असमानता पैदा हुई है।

आप एक बार रेल द्वारा आसाम की यात्रा करें तो पता चलेगा कि वहां क्या स्थिति है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी केवल कमलापति त्रिपाठी को प्रसन्न करने में ही लगे रहे।

(व्यवधान)

हमें रेलों पर व्यय को कम करके आय को बढ़ाना है। ऐसा करते हुए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की नौकरी पर आंच न आए। दोहरी छतें वाली रेलगाड़ियों (डबल डैकर) की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। एक दशाब्दी से मैं उनके लिए मांग करता आ रहा हूं। रेलवे में अनुसंधान कार्य पर कोई बल नहीं दिया जाता। अनुसंधान द्वारा रेलों में व्यय को बहुत कम किया जा सकता है। रेलों के डीज़लीकरण से बहुत खर्च बढ़ गया है और लाभ कुछ नहीं हुआ।

रेलवे बोर्ड में अनेक भ्रष्ट अधिकारी हैं। पिछली सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों ने बड़ी बेइमानियां की हैं और अपना हित-साधन करने की कोशिश में लगे रहे हैं। मुगलसराय डिवीज़न और धनबाद डिवीज़न केवल त्रिपाठी जी को खुश करने के लिए बनाये गये ताकि स्वार्थी अधिकारी पदोन्नत का लाभ उठा सकें।

लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि पहाड़ी, अल्प विकसित और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वहां रेल लाइनों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। पर अधिकारियों के पास इन बातों की ओर ध्यान देने की फुर्सत कहां है। रेलवे बोर्ड में भ्रष्ट अधिकारियों का जाल बिछा हुआ है। वे लोग ठेकेदारों

से मिलकर मनमानी करते हैं। बोर्ड में यातायात सदस्य बहुत भ्रष्ट हैं और बेइमान अधिकारी हैं। उनके विरुद्ध घोटालों के अनेक मामले हैं। ऐसे ही अनेक व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध अभी तक कुछ नहीं किया गया है हालांकि उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं और उन्हें कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है।

कलकत्ता भूमिगत रेलवे का वर्षों बाद भी कुछ नहीं बना। बजबज रेलवे लाइन को दोहरी करने के बारे में कुछ नहीं किया गया। जो छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता है। उन्हें महीने के अंत में वेतन भी नहीं मिलता। तब आप उनसे बेहतर सेवा की क्या आशा कर सकते हैं? सभी वेयरों की सेवाएं स्थायी की जानी चाहिए। आशा है आप इन सुझावों की ओर ध्यान देंगे।

श्री पी० अंकितोडू प्रसाद राव (बापतला) : रेलवे बजट में कोई नई बात नहीं है। बजट पुराने ही ढंग से रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है और जिसे संसद में पेश कर दिया गया है।

पद संभालने पर नई सरकार की ओर से मंत्री महोदय द्वारा जो घोषणाएं की गईं कि ग्राम लोगों को इस बजट से लाभ पहुंचेगा दुर्भाग्य से बजट में एक ही राहत की गई जो कि प्लेटफार्म टिकट सस्ता किया जाने के बारे में है। परन्तु यह राहत भी समृद्ध वर्गों को ही मिली है क्योंकि वे लोग ही अपने संबंधियों को लाने अथवा छोड़ने स्टेशन पर जाते हैं।

इस बजट में दूसरी श्रेणी के यात्रियों की उपेक्षा की गई है। उन्हें कोई नई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। दूसरी श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है। पेय जल और अच्छे भोजन की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

दूसरी श्रेणी के आरक्षित यात्रियों की सूचि केवल एक या डेढ़ घंटा पहले लगाई जाती है जिसमें लगभग 1 हजार यात्रियों के नाम होते हैं। इन सब यात्रियों को अपने बैठने के डिब्बे तथा सीट का पता लगाना होता है। इस संबंध में यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। यदि सम्भव हो सके तो टिकट पर ही सीट का और डिब्बे का नम्बर लिख दिया जाये और यदि यह सम्भव नहीं तो आरक्षित सीटों की सूचि प्लेटफार्म पर गाड़ी छूटने से कम से कम छह घंटे पहले लगाई जानी चाहिए ताकि यात्री आराम से अपनी सीटों के नम्बर जान सकें।

वास्तव में यात्री गाड़ियां जिनमें ग्राम जनता सफर करती है, के रख-रखाव और चलन में कोई सुधार नहीं किया गया है। लोग कम दूरी की यात्रा रेल से करना पसन्द नहीं करते क्योंकि गाड़ियां या तो देरी से चलती हैं और या उनमें उचित सुविधायें नहीं होती हैं।

[श्री एस० डी० पाटिल पीठासीन हुए]

SHRI S. D. PATIL in the Chair

तेज चलने वाली गाड़ी को पकड़ने के लिए दूसरे दर्जे के यात्रियों को स्थानीय गाड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन पर स्थानीय गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चलती हैं जिससे यात्रियों को एक दिन पहले ही यात्रा शुरू करनी पड़ती है। दक्षिण-मध्य रेलवे पर केवल विजयवाड़ा ही ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां सभी तेज गाड़ियां रुकती हैं। तेज चलने वाली गाड़ियों से यात्रा करने के लिए लोगों को अनेक स्थानों से विजयवाड़ा आना पड़ता है। परन्तु कोई यात्री गाड़ी विजयवाड़ा ठीक समय पर नहीं पहुंचती है। रेल मंत्री को इस स्थिति में सुधार करना चाहिए।

विजयवाड़ा-मद्रास सेक्शन की रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है, यद्यपि इसे 1979 तक पूरा हो जाना

चाहिए। इसी प्रकार मद्रास-गुंटूर सेक्शन जिसके सितम्बर, 1979 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है।

विजयवाड़ा-मद्रास सेक्शन पर तेज गति से चलने वाली अनेक रेल गाड़ियां प्रारम्भ की गई हैं। इस लाइन पर अनेक रेल फाटक हैं। तेज गाड़ियों के चलने के कारण फाटक 24 घंटे में से 18 घंटे बंद रहते हैं। इस वर्ष इस लाइन पर केवल दो ऊपरी पुलों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इस लाइन पर और पुल बनाने की मंजूरी दी जानी चाहिए।

रेलवे अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि निडू-बूरोलो स्टेशन पर ऊपरी पुल का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसे आगामी बजट में शामिल किया जाये।

इस वर्ष बीबीनगर—नादीकुडी रेलवे लाइन के लिए बहुत कम धन निर्धारित किया गया है। जब तक इस कार्य में तेजी नहीं लाई जायेगी उत्तर दक्षिण के बीच यातायात में पर्याप्त राहत नहीं मिल पायेगी।

इन शब्दों के साथ ही मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूँ।

श्री विनोद भाई बी० सेठ (जामनगर): सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय को गांधीवादी बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। परन्तु मुझे खेद है कि विराम गांव से पोरबन्दर तक नई लाइन के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ओखा से विरामगांव तक रेलवे लाइन बदलने का कार्य इस वर्ष आरम्भ होने वाला है। यह कार्य लगातार किया जाना चाहिए, चरणवार नहीं। इस वर्ष इसके लिए 6 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है जबकि पिछले वर्ष 16.98 करोड़ की राशि नियत की गई थी। मैं चाहता हूँ कि सभा इस पर गम्भीरता से विचार करे। यह परिवर्तन लाइन यदि ओखा तक नहीं बिछाई जाती तो इस वर्ष कम से कम कनालूस तक तो पूरा किया जाये।

पत्तनों, रेलवे तथा सड़क परिवहन के बीच तालमेल होना चाहिए। अब इनमें स्पर्धा पैदा हो गई है। रेल मंत्रालय को सम्भवतः सरकार को सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण करने की सलाह देने पर सोचना पड़ेगा। निस्संदेह सड़क परिवहन अधिक प्रभावी और सूक्ष्म है और मैं समझता हूँ कि रेलों को पीछे नहीं रहना चाहिए।

प्रसन्नता की बात है कि रेल मंत्री अब भावनगर के लिए नई लाइन बिछाने के संबंध में विचार कर रहे हैं जोकि वहां के लोगों की चिरकालीन मांग है। यह कार्य जितनी शीघ्र आरम्भ हो सके बेहतर होगा। अहमदाबाद से दिल्ली तक रेलवे लाइन की व्यवस्था ठीक करने का कार्य इस बजट में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह अहमदाबाद के उद्योग एवं व्यापार की बहुत पुरानी मांग है।

ओखा से दिल्ली तक चलने वाली रेल गाड़ी में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का केवल एक ही डिब्बा होता है जोकि पर्याप्त नहीं है। मंत्री महोदय को भावनगर से दिल्ली तक चलने वाली रेलगाड़ी में दूसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

गुजरात में हापा बहुत बड़ा मार्शलिंग यार्ड है और हापा में काम करने वाले लोगों को शटल सेवा से वहां जाना पड़ता है। लेकिन इनसे किराया लिया जा रहा है क्योंकि दूसरी सेवाओं के बारे में प्रभार अधिक नहीं लिया जाता। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि अधिक सुविधाएं देने के लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

ड्यूटी पर कर्मचारियों के लिए कम्बालियां में एक विश्राम स्थल है। परन्तु एक दिन ड्यूटी देने वाले कर्मचारी को 4 दिन अपने घर से दूर रहना पड़ता है।

अहमदाबाद में एक वर्कशाप को जोकि अच्छा कार्य कर रही है, बन्द किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। जबकि भूस्वामी उसे 5 वर्ष के लिए देने को तैयार है। मंत्री महोदय वर्कशाप को स्थानांतरित न करें।

जामनगर क्षेत्र में देश के नमक के कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्पादन होता है। सौराष्ट्र में बाक्साईट तथा अन्य पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। लेकिन माल डिब्बों का उपलब्ध न होना एक भारी समस्या है। मंत्री महोदय को यह देखना चाहिए कि वहां पर माल डिब्बे समय पर उपलब्ध हैं। ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

बम्बई की उपनगरीय रेल सेवा संतोषजनक नहीं है। इसमें बहुत भीड़ रहती है। अतः यात्रियों की कठिनाई दूर करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये।

रेलवे सामान्य आरक्षित निधि की 440 करोड़ रुपये की ऋणी है। हमें यह ऋण कम करना चाहिये।

रेलों में दिये जाने वाले भोजन के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर खान-पान विभाग की जांच की जानी चाहिये ताकि रेलवे में दिया जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार होता रहे।

श्रेणी-विहीन रेल गाड़ियां चलाने का विचार तो बहुत अच्छा है। इसे चालू करके देखा जाये। अंधे और विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जानी चाहिये।

रेलवे सुरक्षा दल रेलवे का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। कभी-कभी तो यह दल अपराधियों के साथ सांठ-गांठ कर लेता है। इस बल को समुचित रूप से गठित किया जाये।

अंत में मैं मंत्री महोदय, को इस बजट के लिये बधाई देता हूं।

डा० बसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : मैं रेल मंत्री को आशावादी और संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं।

मैं प्रो० दण्डवते को रेलवे बोर्ड के पुनर्गठित करने तथा पुराने रेलवे अधिनियम में संशोधनों के कार्य को हाथ में लेने पर बधाई देता हूं।

यात्रियों के लिये बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। मेरा सम्बंध मध्य प्रदेश के राजगढ़ स्थान से है। जहां कि रेलों का विस्तार नहीं हुआ है। यह क्षेत्र अत्यन्त अविकसित है। मैंने कुछ उद्योगपतियों को वहां पर उद्योग स्थापित करने को कहा है परन्तु सफल नहीं हो सका।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि गंज-वसौधा से सिरोज और लाटेरी मकसूदनगढ़ तथा ब्योरा तक नई रेल लाइन बिछाई जाये। गुनर-माकसी लाइन को एक और बाहन तक तथा दूसरी ओर से उज्जैन तथा हन्दौर तक बढ़ाया जाये। रेलवे को अपेक्षित क्षेत्रों में रेलों का विकास करना चाहिये।

नगरों में आउट एजेंसियां आरम्भ की जायें ताकि लोग अपने टिकट तथा माल वहां बुक करा सकें।

बंबई में कई प्रकार का यातायात चलता है। भीड़ के समय वहाँ भारी यातायात चलता है जिससे बहुत भीड़ हो जाती है। रेलवे विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि यहाँ अत्यधिक यातायात हो जायेगा। इसको ध्यान में रखते हुए मेरा यह सुझाव है कि भूगर्भीय रेलगाड़ियाँ शीघ्रातिशीघ्र चलाई जायें। मंत्री महोदय को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने का यत्न करना चाहिये। भारत में काम करने के लिये अनेक उद्यमी हैं। जिन्हें यह काम दिया जा सकता है। किन्तु इस परियोजना में विलम्ब नहीं करना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि इस सदन के सदस्यों की एक समिति गठित की जाये जो कम विकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों में जाकर इस बात का पता लगाये कि वहां पर किस प्रकार की लाइनें बनाई जा सकती हैं। ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके।

SHRI DURGA CHAND (KANGRA) : This is the first railway budget which has not affected the people adversely. They have welcomed it.

Himachal Pradesh being a hilly area is largely cut off from the point of view of communications. The Pathankot-Jogindernagar line in the State was constructed in 1928 in 4 years time when power house was constructed in Jogindernagar. But when Pang dam was built about 20 Kilometers of line was submerged in the dam. But it took the Congress Government 5 years to re-align and re-construct the line. After re-construction of the line 2 trains have started running there although previously there used to be four trains. Even out of these two trains one has been categorized as Express train. Things are different in hill areas. So I request you to convert the Express train into ordinary one, so that the people may be benefited from them. The Railway line be extended from Jogindernagar to Mandi.

The former Railway Minister inaugurated a railway line from Mangal to Talwara. But there is no provision in the Budget for that line. Even that is not included in the list of lines the construction of which has been assured by the Railway Minister. There is scope of extension of railway lines in Sirmour District from Jamunanagar to Paunte. The railway lines should be extended in this area.

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 15 जून, 1977/25 ज्येष्ठ, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, June 15, 1977/Jyaistha 25, 1899 (Saka)